सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा – 4

17 मैनुअलों का संग्रह

भाग – 6

मैनुअल संख्या 14, 15, 16 एवं 17

उत्तरांचल शासन

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
चमोली

"प्राक्कथन"

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद धारा–4 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों, विभागों में अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत 17 मैनुअल्स बनाये जाने का प्राविधान है प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जायेगा तो आधारभूत सूचनायें इन मैनुअलों में ही उपलब्ध हो जायेगी, तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य श्रोतों का आश्रय लेना होगा।

पशुपालन विभाग उत्तरॉचल द्वारा अधिनियम की धारा–4 निर्धारित 17 मैनुअलों के अन्तर्गत विभिन्न विभागीय सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, विभाग के लिए जहॉ यह एक अभिनव एवं चुनौती पूर्ण कार्य था, तब विभागीय मैनुअलों को अध्यावधिक रूप से व्यवस्थित करने की पुरानी परम्परा को पुर्नजीवित करने में सहभाग करने हेतु एक सुखद अनुभव भी था, इसी अवधारणा से इस कार्य को सम्पन्न किया गया है। मैनुअलों को 6 भागों में विभाजित किया गया है।

भाग–1	मैनुअल संख्या 1, 2, 3 एवां 4
भाग–2	मैनुअल संख्या–5
	खण्ड–1, 2, 3 एवां 4
भाग–3	मैनुअल संख्या 6, 7 एवं 8
भाग–4	मैनुअल संख्या 9 एवं 10
भाग–5	मैनुअल संख्या 11, 12 एवं 13
भाग–6	मैनुअल संख्या 14, 15, 16 एवं 17

उल्लेखनीय है कि अधिकार के अन्तर्गत वर्णित 17 मैनुअल के अतिरिक्त एक मैनुअल 17–ए के रूप में अलग से बना दिया गया है, जिसमें सभी मैनुअलों की विशय सूची एक स्थान पर उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में जो मैनुअल का रूप उभर कर आया है वह एक प्रारम्भिक अवस्था है, तथा इसे निरन्तर अध्यावधिक किया जायेगा, इसके अतिरिक्त मैनुअलों को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर वैबसाईट में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि जनसामान्य को यह सम्बन्धित जानकारियॉ सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सके।

प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 से सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था। इनके अन्तर्गत बाबूगढ़, मेरठ में एक डिपो खोला गया, जहां सामान्य प्रबन्धक के साथ–साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी मेलों का आयोजन कराया जाता था। इसको प्रभावी बनाने हेतु सन्1901 मे 07 पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गयी।

वर्ष 1899 में ग्लाईन्डर एण्ड फारसी तथा 1910 में पशु फार्म मझरा (लखीमपुर खीरी) एंव वर्ष 1913 में माधुरीकुण्ड(मथुरा) में स्थापित किये गये तथा पंजाब पशु चिकित्सा विद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

वर्ष 1916 में पशु पालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टों के अधीन रखकर तीन सर्किलों में बांटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारी जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यों में आयी। समस्याओं के फलस्वरूप इसी वर्ष कैटल ब्रीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (लखीमपुर खीरी) एंव माधुरीकुण्ड फार्म, मथुरा, कृषि विभाग को सौंप दिये गये एंव बेनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन) में कवाराइन टाइन स्टेशन खोले गये। वर्ष 1933 में सब सर्किलों को समाप्त करते हुये वर्ष 1935 में वैटनरी इनवेस्टीगेशन आफिसर नियुक्त किये गये। पशु प्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा सन्तोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया गया। इस प्रकार 1944 तक धीरे–धीरे पशु सम्बन्धी सभी कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमैन्ट को स्थानान्तरित कर दिये गये।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। इससे पूर्व सिविल वेटनरी डिपार्टमैन्ट एंव कृषि विभाग द्वारा पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय सिविल डिपार्टमेन्ट मुख्यतः अश्व प्रजनन एंव पशु रोग नियन्त्रण कार्य से सम्बन्धित था। कृषि विभाग द्वारा गोवंशीय सांडो की पूर्ति पशु प्रजनन हेतु की जाती थी। बाद में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशु चिकित्सा, रोग नियन्त्रण, पशु प्रजनन एंव चारा विकास आदि कार्यक्रमों भी पशुपालन विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये।

वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु अपर निदेशक, पशुपालन विभाग पर्वतीय के पद का सृजन कर पर्वतीय क्षेत्र के सभी (08 जनपदों पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश) में विभाग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का नियन्त्रण एंव संचालन का कार्य सौंपा गया।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चमोली

स्वतन्त्रता से पूर्व यह कार्यालय वेटनरी इन्सपेक्टर, सहारनपुर के अन्तर्गत कार्यरत था। वर्ष 1960 से यह कार्यालय जिला पशुधन अधिकारी, चमोली के नाम से स्थापित हुआ।

इस पुस्तिका में चार मैनुअल हैं जिसमें प्रस्तावना, संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य और कर्तव्य, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य, लोक प्राधिकारी एवं उसके कर्मियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना संकलित की है। जनता के लिए यह नियम, विनियम, एक्ट पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल राज्य के लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है।

सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में कोषागार बही रसीद संख्या–385 उपलब्ध है। सूचना अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सूचना/जानकारी के लिए लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

भाग–6

हस्तपुस्तिका की सामग्री

क0सं0	विवरण
1.	मैनुअल –14 किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।
2.	मैनुअल –15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयॉ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।
3.	मैनुअल –16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ
4.	मैनअुल –17 ऐसी अन्य सूचनाएँ जो विहित की जाए।

मैनुअल–14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

मैनुअल–14

क0सं0	विवरण
1.	इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली

क्र0सं0	संगठन का नाम	सूचना का विवरण
1	इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे	इलेक्ट्रोनिक के रूप में अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4(1) के अन्तर्गत निम्न सूचना के ब्यौरे हैं, जो उसमे उपलब्ध होगी। 1. संगठन की विशिष्ठियां कृत्य और कर्तव्य। 2. अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां एंव कर्तव्य। 3. विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया एंव पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व। 4. कर्तव्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक। 5. दस्तावेजों का विवरण जों नियन्त्रणाधीन है। 6. व्यवस्था की विशिष्ठिंया बोर्डों, परिषदों का विवरण। 7. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

		8. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक 9. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये समवितार्णो पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ 10. सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति एवं फायदाग्राहियों के ब्यौरे 11. अनुदत्त/रियायतों के प्राप्त कर्ताओं की विशिष्टियॉ 12. लोक सूचना अधिकारियों के नाम 13. कर्तव्यों के निर्वाहन के लिये प्रयोग में लाये गये नियम, विनियम, निर्देशिका तथा विशेष जानकारी, लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास मैनुअलों में धारित रहेंगी। जिसके बारे ब्यौरे मैनुअल भाग–2/5,1,2,3,4 में उपलब्ध रहेगी।

पशुपालन विभाग के लोक सूचना अधिकारियों की सूची एवं वैबसाईट/ई0मेल

लोक सूचना अधिकारियों पते	लोक सूचना अधिकारियों की वैबसाईट/ई0मेल
सचिव, पशुधन एवं दुग्ध सहकारिता, उत्तरॉचल शासन	Secy_avus@ua.nic.in
अपर सचिव, पशुपालन एवं डेयरी, उत्तरॉचल शासन	vd_panai121@rediffmail. com
निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली (उत्तरॉचल)	dirah_ua@hub.nic.in
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, पौड़ी	
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नैनीताल	ddahntl@rediffmail.com
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक–ऋषिकेश	ddah_pashulok@yahoo.com
उप निदेशक सघन भेड़ विकास प्रायोजना पौड़ी	
उप निदेशक सघन पशु विकास प्रायोजना हल्द्वानी	
प्रभारी अधिकारी विदेशी पशुप्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैंण	
परियोजना अधिकारी, विदेशी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, मक्कू रूद्रप्रयाग	
प्रायोजना अधिकारी डी0एफ0एस0 श्रीनगर गढ़वाल	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौड़ी	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उधमसिंहनगर	cvousnagar@hotpop.com
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चमोली	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देहरादून	cvo_ddun07@yahoo.co.in
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी टिहरी	cvotgh@rediffmail.com
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अल्मोड़ा	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चम्पावत	cvochampawat@lmail.com
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उत्तरकाशी	cvo_uki@rediffmail.com
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी रूद्रप्रयाग	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बागेश्वर	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पिथौरागढ़	cvo_pithoragarh@yahoo.com.in
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी नैनीताल	
उत्तरॉचल लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड	www.uldb.org ceo@uldb.com
उत्तरॉचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड	www.uswdb.org www.uttara.com

पशु कल्याण बोर्ड	
प्रभारी अधिकारी अंगोरा शशक, प्रक्षेत्र चम्पावत	
रोग निदान अधिकारी (कु0) कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कोटद्वार पौड़ी	
रोग निदान अधिकारी (कु0) कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला हल्द्वानी	
रोग निदान अधिकारी (भेड़) श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल	
मुख्य तकनीकी अधिकारी (कु0) अल्मोड़ा	

मैनुअल–15

क0सं0	विवरण
1.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ

मैनुअल–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयॉ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष यदि लोक उपयोग के लिए सुरक्षित है, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ	1– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में निम्न सुविधा उपलब्ध की गयी है। अ.) निदेशालय स्तर पर निदेशक पशुपालन लोक सूचना अधिकारी ब.) मण्डल स्तर पर उप निदेशक लोक सूचना अधिकारी स.) जिला स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी लोक सूचना अधिकारी द.) ब्लाक स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी थ.) ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी सभी लोक सूचना एवं सहायक लोक सूचनाअधिकारियों के पास जनता को सूचना अधिकारियों के पास जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए 16 मैनुअल उपलब्ध होंगे तथा सूचना लेने के लिए रसीदबही भी उपलब्ध होगी। 1. सूचना प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर ई0मेल की सुविधा भी उपलब्ध है। 2. पशुपालन विभाग के समस्त सूचनाऍ एन0आई0सी0 की वैबसाईट .ua.nic.in पर भी उपलब्ध होगी
पुस्तकालय, वाचन कक्ष की सुविधा	कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सॉय 5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनुअलों की हस्तपुस्तिका का अवलोकन करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है।

मैनुअल–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers

मैनुअल–16

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण
1	निदेशालय के अन्तर्गत लोक सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या
2	निदेशालय के अन्तर्गत लोक सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण
3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के अन्तर्गत सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण
4	विकासखण्ड अन्तर्गत सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या

1.शासन स्तर पर–	01
2.निदेशालय स्तर पर–	01
3.मण्डल स्तर पर–	11
4.बोर्ड स्तर पर–	03
5.जनपद स्तर पर–	01
6.सहायक लोक सूचना अधिकारी–	23

सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों का विवरण
(सचिवालय एवं निदेशालय हेतु)

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपील अधिकारी		
	पदनाम/नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0/ई0मेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0/ई0मेल
सचिवालय/शासन	अपर सचिव	पशुपालन, उत्तरॉचल शासन देहरादून	0135–2712810	सचिव	पशुपालन, उत्तरॉचल शासन देहरादून	0135–2711718
निदेशालय/विभागाध्यक्ष	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267	सचिव	सचिव, पशुपालन उत्तरॉचल शासन, देहरादून	0135–2714106 0135–2711718
मण्डल	उप निदेशक (गढ़वाल मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	01368–222480	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल	05942–236204	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	उप निदेशक पशुपालन विभाग पशुलोक	कार्यालय उप निदेशक पशुपालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक देहरादून	0135–2453398	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	प्रायोजना निदेशक (भेड़ प्रक्षेत्र मक्कू)	कार्यालय प्रायोजना निदेशक वृहद्व भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू रूद्रप्रयाग	–	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपील अधिकारी		
	पदनाम/नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0/ई0मेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0/ई0मेल
	प्रभारी अधिकारी (पशु प्रजनन प्रक्षेत्र)	कार्यालय प्रभारी अधिकारी विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण चमोली	–	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	प्रभारी अधिकारी (अंगोरा	कार्यालय प्रभारी अधिकारी अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	–	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग	01372–252266 01372–252267

	शशक प्रक्षेत्र)	चम्पावत			उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	
	रोग निदान अधिकारी (कुक्कुट)	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल	–	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	रोग निदान अधिकारी (कुक्कुट)	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला हल्द्वानी नैनीताल	–	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	उप निदेशक	कार्यालय उप निदेशक सघन भेड़ विकास प्रायोजना पौड़ी	01368–222489	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	उप निदेशक	कार्यालय उप निदेशक सघन पशु विकास प्रायोजना हल्द्वानी	05946–222035	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267
	रोग निदान अधिकारी (भेड़)	कार्यालय रोग निदान अधिकारी (भेड़) श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल	–	अपर निदेशक	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेश्वर–चमोली	01372–252266 01372–252267

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपील अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0 / ई0मेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0 / ई0मेल
जिला कार्यालय	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी नैनीताल	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, विकास भवन, नैनीताल	05942–248367	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204
	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उधमसिंहनगर	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, विकास भवन, उधमसिंहनगर	05944–242787	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204
	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, विकास भवन, अल्मोड़ा	05962–232289 05962–232290	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204

	मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट)	कार्यालय– मुख्य तकनीकी अधिकारी कुक्कुट अल्मोड़ा	05962–232289 05962–232290	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204
	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बागेश्वर	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, बागेश्वर	05963–220041	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपील अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0/ई0मेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0 नं0/ई0मेल
जिला कार्यालय	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चम्पावत	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, चम्पावत	05965–230843	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204
	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, पिथौरागढ़	05964–225319	उप निदेशक (कुमॉयू मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	05942–236204
	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देहरादून	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, विकास भवन, देहरादून	0135–2712891 0135–2712572	उप निदेशक (गढ़वाल मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	01368–222480
	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौड़ी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा –धिकारी, पौड़ी	01368–223084	उप निदेशक (गढ़वाल मण्डल)	कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	01368–222480

सब–डिवीजन/तहसील/विकासखण्ड/अन्य निम्न स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण

(शासन/निदेशालय के लिए)

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चमोली

विभाग का नामः–पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड मुख्यालय स्तर

क0सं0	सहायक लोक सूचना		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन
1.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	डा0 पी0 एस0 यादव मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चमोली	01372 252273
2.	मुख्य सहायक	कार्यालय– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली।	

सब डिवीजन/तहसील/विकासखण्ड/अन्य निम्न स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण :–

(शासन/निदेशालय के लिए)

विभाग का नाम :– पशुपालन विभाग, उत्तरांचल, जनपद देहरादून

क0सं0	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन
1	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, चमोली	.
2	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, जोशीमठ	01389 222195
3	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, घाट	01372 265212
4	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी,कर्णप्रयाग	01363 244253
5	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, गैरसेंण	01363 268138
6	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, पोखरी	01372 222114
7	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी,नारायणबगड़	.
8	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, थराली	01363 271237
9	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय – पशु चिकित्साधिकारी, देवाल	.

मैनुअल – 17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

मैनुअल–17

विषय सूची

क0सं0	विवरण
1.	वर्ष 2004–2005 की विशेष उपलब्धियॉ
2.	पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाव
3.	पशुपालन कैसे करें
4.	मुर्गियों के मुख्य रोग लक्षण निदान टीकाकरण एवं रोग नयत्रंण
5.	अन्य उपयोगी जानकारियॉ
6.	डेगरेशन कमेटी रिपोर्ट
7.	नागारिक अधिकार पत्र
8.	उत्तरॉचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड
9.	यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0
10.	बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियत्रंण कार्ययोजना 2006
11.	सेन्ट्रल ऑफ एक्सीलेन्स का अभिप्राय

पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोग
लक्षण और बचाव

यह रोग जो बैक्टीरिया, वाइरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते है, संक्रामक रोग कहलाते है। छूत से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग होते है। पशुपालक जानते है कि संक्रामक रोगों द्वारा दुधारु पशुओं में शारीरिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है।

1. खुरपका मुंहपका रोग : (FOOT & MOUTH DISEASE)

यह एक भयानक संक्रामक वाइरस जनित रोग है। रोग में तेज बुखार आता है जो 104 **F** तक पहुंचता है। मुंह से लार टपकती है, खुर में घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खड़ा नही रह पाता है लंगडाकर चलता है, घाव में कीडे पड़ जाते है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है।

बचाव : इसका टीकाकरण पशुपालन विभाग, उत्तरांचल द्वारा रियायती दर पर किया जाता है, यह टीका वर्षा आरम्भ होने से पहले मई–जून में लगवा लेना चाहिए, यह टीका लगवाकर महामारी से बचा जा सकता है। यदि बीमारी हो जाये तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए।

2. पोंकनी रोग : RINDERPEST

यह भी वाइरस जनित भयानक रोग है, इससे काफी पशुओं की मृत्यु हो जाती है, बीमारी में बुखार 105☐ से 107☐ तक आता है, दस्त आते है, मुंह जीभ तक आंतों में छाले पड जाते है। पशु कमजोर हो जाता है, आंखें बैठ जाती है, नाक, आंख तथा मुंह से पानी गिरने लगता है, पशु कमजोर होकर लडखडाकर गिर जाता है और मर जाता है।

बचाव : स्वस्थ पशुओं में रोग से बचाव के लिए टीका लगवा लेना आवश्यक है। यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है। इससे जी.टी.बी. तथा लेपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है। आजकल रिन्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर.पी. खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नही कराया जा रहा है।

3. माता रोग : (COWPOX)

यह विषाणु जनित रोग है इसमें अयन एवं थनों में छाले पड़ जाते है। बाद में घाव बन जाते है। जिससे थनेला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है।

बचाव : बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा घाव में एन्टीसेप्टिक मल्हम लगाना चाहिए।

4. रैबीज (RABIES)

यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है। यह रोग वाइरस जनित है। प्रमुख लक्षणों में पशु का उग्र होना, मुंह से लार टपकना, रोगी पशु कंकड तथा मिटटी को पकड कर चबाने का प्रयास करता है अंत में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। बीमार पशु की लार लगने से मनुष्य में यह रोग फैल जाता है।

बचाव : पशु के घाव को कारबोलिक एसिड साबुन द्वारा साफ करना चाहिए। उसके बाद एन्टीरेबीज का टीका लगवाना चाहिए क्योंकि लक्षण पैदा होने पर उपचार सम्भव हो जाता है। यह टीका राजकीय पशुचिकित्सालय द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है।

5. गलाघोंटू : **(HAMORRHAGIC SEPTICEMIA)**

यह जीवाणु जनित रोग है। यह पॉस्टुरेल्ला जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग में 104□ से 106□F तक बुखार आता है, गले मे सूजन आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। उपचार न कराने पर पशु 24 घंटे में मर जाता है। यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है परन्तु वर्ष में कभी भी हो सकता है।
बचाव : रोग की रोकथाम के लिए पशुओं को प्रतिवर्ष मई–जून माह में टीका लगवा लेना चाहिए। रोग हो जाने पर पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार कराये।

6. लंगड़िया बुखार : (BLACK QUARTER)

यह भी जीवाणु जनित रोग है। यह क्लोस्ट्रीडियम चोबिसाई द्वारा फैलता है मुख्यतः यह रोग 6 महीने से 2 वर्ष की आयु के पशुओं में होता है। प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, पैर में सूजन आना और सूजन में गैस का भरना है, सूजन के दबाने से चरचराहट की आवाज आती है।
बचाव : रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में अगस्त–सितम्बर में टीका लगना चाहिए। बीमार पशु को एन्टी ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए। मरे पशु को जमीन में गाड देते है जिससे संक्रमण न हो सकें।

7. जहरी बुखार : (ANTHRAX)

यह रोग ''बैसिलस–एन्थ्रेसिस'' नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में 105□F से 108□॰ तक तेज बुखार आता है, तिल्ली बढ़ जाती है तथा खून का रंग काला हो जाता है। नथुनों से खून निकलता है अंततः 24–48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यों में भी फैल जाता है। यह 'व्छव्ज्6 रोग है।
बचाव : रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं में अगस्त माह में एन्थ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए। मरे हुए पशु की खाल नही निकालनी चाहिए और शव को गहरे गढढे में चूना डालकर दबा देना चाहिए।

8. संक्रामक गर्भपात : (CONTAGIOUS ABORTION)

यह जीवाणु जनित रोग है जो ब्रुसेल्ला एर्बोटस से होता है। प्रमुख लक्षणों में गर्भपात, जेर का रुकना, बांझपन तथा मेटराइटिस है। यह रोग मनुष्यों में संक्रमण द्वारा फैल जाता है जिसे अनडुलेन्ट फिवर कहते है।
बचाव : इस रोग से बचाव के लिए बीमार पशु को अलग रखना चाहिए। पशु के सीरम की जांच से रोग का पता चलता है। बच्चों में कांटन स्ट्रेन–19 नामक टीका लगवाना चाहिए।

9. क्षय रोग : (TUBERCULOSIS)

यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम–टयूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होता है। शरीर में गांठे पड़ जाती है। दुधारु पशुओं में लक्षण फेफडों में दिखाई देते है। बीमार पशु का टयूबर कुलीन परीक्षण कराना चाहिए, रोग से बचाव के लिए बी.सी.जी. का टीका लगवाये।

10. जोहनीज रोग : (JOHNEY'S DISEASE)

यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम पेराटयूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होता है। प्रमुख लक्षण तीसरे से छठे वर्ष की उम्र में दिखाई पडते है। पशु कमजोर हो जाता है, त्वचा सूख जाती है, प्यास बढ जाती है, दस्त पतले तथा बदबूदार हो जाते है। साथ में म्यूकस तथा गैस निकलती है।
रोग की रोकथाम के लिए वैक्सीन– वैक्सीन एक माह तक के बछडों में लगवाना चाहिए।

इन समस्त रोगों के लक्षण उत्पन्न होने पर पशुचिकित्सक की सलाह से उपचार करायें जिससे पशुपालन शासन द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाकर आर्थिक हानि से बच सकें।

वार्षिक सुरक्षात्मक टीका कार्यक्रम
पशुओं में संक्रामक बीमारियों का टीका कार्यक्रम

क्र0 सं0	नाम बीमारी	लक्षण	टीका	लगाने का समय	खुराक	माह
1.	महामारी	तेज बुखार, बाद में पतली दस्त लेकर गुदा तक फफोली, गंभीर अवस्था में मृत्यु।	(1) टिश्यू कल्चर (2) फीज ड्राइट गोटी आर.पी. वैक्सीन	3 माह पर 6 माह पर वार्षिक	1 उसण्ध्ब 1 उस खाल के नीचे	जनवरी
2.	गिल्टी (लंगडी बुखार)	तेज बुखार, स्वास्थ्य बिगड जाना, गंभीर अवस्था में मृत्यु, खून काला हो जाता है।	टिश्यू आर.पी. वैक्सीन एन्थ्रेक्स स्पार वैक्सीन	4 माह पर वार्षिक	उपरोक्त	मार्च
3.	जहरबाद (Black फनंतजमतद्ध	पिछले पैरों से रीढ़ की हडडी तक सूजन लंगडाना, गंभीर अवस्था में मृत्यु होती है।	एनाकल्वर बी.क्यू. वैक्सीन	4 माह पर वार्षिक	उपरोक्त	मई का प्रथम सप्ताह
4.	गला घोंटू या धुर्रका (H.S)	तेज बुखार, गले के पास सूजन, गले से धुर्र–धुर्र की आवाज होना, श्वांस लेने में	ऑयल एडजूवेन्ट एच.एस. वैक्सीन	4 माह पर	3 उसण	मई–जून वर्षा होने से पहले
5.	खुरपका–मुंहप का (FMD)	मुंह तथा खुरों के बीच फफोले, खाने पीने, चलने फिरने में परेशानी, गम्भीर अवस्था में खडा तथा खुरों का गिर जाना।	खुरपका, मुंहपका मुंहपका टीका प्रति 6 माह पर	7–8 सप्ताह 4 माह पर इसके	3 उसण खाल खाला के नीचे	कभी भी अक्टूबर, नवम्बर
6.	गर्भपात (संक्रामक)	कमजोरी से, खुराक की कमी से, गर्भाशय में इन्फेक्शन से, चोट या धक्का लगने से।	ब्रेसेल्ला एर्योटस स्ट्रेन 19 टीका	6 माह से 18 माह की उम्र तक एक बार	5 उसण खाल के नीचे	कभी भी वर्ष में
7.	रेबीज	पशु उग्र होता है, लकवा मार जाता है, पानी पीने से डर लगता है।	रेबीजिन	वर्ष में एक बार	1 उसण्मांस	आवश्यक तानुसार वर्ष भर

(ग) टीको का रखरखाव : सभी टीकों को धूप से दूर छांव में 4.6 F के तापक्रम में रखा जाता है। इसको FRIDGE में रखते है। यह सुविधा चिकित्सालय पर होती है। इसके अलावा विशेष तरल पदार्थ जिसे COOLANT कहते है के साथ वैक्सीन रखते है, जो तापमान एक स्तर पर रखता है। इसको यातायात के समय प्रयोग किया जाता है। इससे टीका रास्ते में खराब नही होता है।

पशुपालन कैसे करे ?

पशु की आवास व्यवस्था :

1. पशुशाला का निर्माण ऊंचे स्थान पर करें।
2. पशु के खडे होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला हो तथा चिकना न हो वरना पशु के फिसलने का खतरा रहता है।
3. खुला हवादार स्थान हो तथा फर्श पक्का हो।
4. पानी के स्तर से ऊंचे वाले स्थान पर पशुशाला न बनायें।
5. गोबर, पेशाब गडडे में एकत्र कर खाद बनानी चाहिए।
6. पशुशाला की सफाई नियमित रुप से दो बार करें।
7. पशुशाला के पास छायादार वृक्ष हों।
8. पशु का स्नान कराने की व्यवस्था हो।

पशु की आहार व्यवस्था :

नवजात पशु के लिए :

- बच्चे को खीस (कोलेस्ट्रम) अवश्य पिलायें।
- प्रथम माह में 2–2.5 ली0 दूध प्रत्येक दिन पिलायें।
- 15 दिन पश्चात पूरक आहार देना प्रारम्भ करें।

प्रवर्तक (स्टार्टर) आहार बनाने का सूत्र

मोटा दला हुआ मक्का, जौं	40%
खली (अलसी, मूंगफली)	35%
गेंहू का चोकर	22%
मिनलर मिक्सचर	2%
नमक	1%
योग	100%

वयस्क पशु के लिए

- चारे में 2/3 भाग सूखा तथा 1/3 हरा चारा होना चाहिए।
- ब्यानें के 2 माह पूर्व पशु से दुग्ध लेना धीरे–धीरे बन्द करना चाहिए।
- दुधारु गाय को 10 कि.ग्रा दूध पर 3 कि.ग्रा व भैंस को 10 कि.ग्रा दूध पर 5 कि.ग्रा दाना आवश्यक होता है जो उत्पादन राशन (प्रोडक्शन) कहलाता है।

राशन सूत्र (1)

चूना/जौं/मक्का (पीली)	25%
चावल की पालिश	15%
गेंहू का चोकर	32%
मूंगफली/सरसों/अलसी की खली	25%
नमक तथा मिनरल मिश्रण	3%
योग	100%

राशन सूत्र (2)

गेंहू का आटा	50%
खली सरसों	30%
चने/मटर चूनी	20%
योग	100%

कृत्रिम गर्भाधान क्यों अपनायें :

1. उच्च गुणवत्ता के सांड सरलता से नही मिलते।
2. प्रत्येक सांड के रखरखाव एवं चारे पर अधिक खर्च आता है।
3. छोटे आकार के पशुओं में नैसर्गिक प्रजनन में परेशानी होती है।
4. सांड द्वारा प्रजनन से जननअंग की बीमारी फैलती है।
5. वीर्य की जांच सांड में संभव नही हो पाती है। कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व वीर्य जांच कर प्रयोग कर सकते है।
6. सांड में एक बार के वीर्यदान से एक पशु गर्भित होता है जबकि उसी वीर्य की मात्रा से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 20–30 पशु गर्भित किये जाते है।
7. सांड की मृत्यु के पश्चात भी उसकी संतति प्राप्त की जा सकती है।
8. किसी दूरस्थ स्थान पर पहाडों पर भी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा संतति आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
9. एक दिन में सांड द्वारा अधिकतम दो कवरिंग होती है जबकि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक दिन में कितनी भी संख्या में पशुओं को गर्भित किया जा सकता है।

अच्छा दुग्ध उत्पादन – महत्वपूर्ण तथ्य :

1. पशु का दुहान नियमित रुप से निश्चित समय पर करें।
2. दुहान से पूर्व जनन अंगों एवं अयन को लाल दवा के पानी से साफ करें। (पोटशियम परमेंगनेट)
3. दुहान का बर्तन ऊपर से आधा तिरछा/ढका हुआ हो।
4. दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथों का साबुन से स्वच्छ कर लाल दवा से धोकर किया जाए।
5. दुहान के समय शान्ति का माहौल हो अथवा हल्का संगीत बजाने से अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता है।
6. दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार में पूरा करना चाहिए।
7. दूध की प्रारम्भिक धार प्रयोग में नही लानी चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए।
8. गर्मियों में दिन में एक बार पशु को नहलायें एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करें।
9. दुहान के समय गंध वाला आहार न खिलायें या ग्वालों को इत्र का प्रयोग नही करना चाहिए अन्यथा दूध में गंध आ जायेगी।

भारतीय पशुओं के आनुवांशिक पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता

- भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी है। (High Capability of Milk Production)
- भारतीय नस्लों की मौसम के साथ तारतम्यता अच्छी है। (Better Adaptability)
- भारतीय नस्लों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। (Good Resistance Power)
- नर बच्चों की कार्यक्षमता अधिक होती है। (High Drought Power)
- भारतीय में वसा का प्रतिशत अधिक होता है। (High Fat Percentage)
- रखरखाव में कम खर्च आना। (Low Maintenance Cost)
- डिस्टोकिया का प्रतिशत कम होना। (Less Dystocia Occurrence

पशुपालन कार्यो का माहवार कैलेण्डर – आवश्यक कार्य जो किये जाने है।

1. अप्रैल (चैत्र)

1. खुरपका–मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवायें।
2. जायद के हरे चारे की बुवायी करें, वरसीम चारा बीज उत्पाद हेतु कटायी कार्य करें।
3. अधिक आय के लिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें।
4. अन्तः एवं वाह्य परजीवी का बचाव दवापान से करें।

2. मई (बैसाख)

1. गलाघोंटू तथा लगडिया बुखार का टीका सभी पशुओं में लगवायें।
2. पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में खिलायें।
3. पशु को स्वच्छ पानी पिलायें।
4. पशु को सुबह एवं सायं नहलाएं।
5. पशु को लू एवं गर्मी से बचाने की व्यवस्था करें।
6. पारजीवी का पशुओं में उपचार करवायें।
7. बांझपन की चिकित्सा करवाये तथा गर्भ परीक्षण करवाये।
8. पारजीवी पशुओं को नमक का सेवन करायें।

3. जून (जेठ)

1. गलाघोंटू तथा लगडिया बुखार का टीका अवशेष पशुओं में लगवायें।
2. पशु को लू से बचाये।
3. हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें।
4. पारजीवी की दवा पशुओं को पिलाये।
5. खरीफ के चारे मक्का, लोबिया के लिए खेत की तैयारी करें।
6. बांझ पशुओं का उपचार करायें।
7. सूखे खेत की चरी न खिलायें अन्यथा जहर फैलने का डर रहेगा।

4. जुलाई (आषाढ़)

1. गलाघोंटू तथा लगडिया बुखार का टीका शेष पशुओं में लगवायें।
2. खरीफ चारा की बुवायी करें तथा जानकारी प्राप्त करें
3. पशुओं को अन्तः कृमि की दवापान कराये।
4. वर्षा ऋतु में पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था करें।
5. ब्रायलर पालन करें आर्थिक आय बढाये।
6. पशु दुहान के समय खाने को चारा डाल दे।
7. पशुओं को खडिया का सेवन कराये।
8. कृत्रिम गर्भाधान कराये।

5. अगस्त (सावऩ)

1. नये आये पशुओं तथा अवशेष पशुओं में गलाघोंटू तथा लगडिया बुखार का टीकाकरण करवाये।
2. लिवर फलूक के लिए दवापान करायें।
3. गर्भित पशुओं की उचित देखभाल करें।
4. ब्याये पशुओं को अजवाइन, सोंठ खिलाये तथा देख लें के जेर निकल गया है।
5. जेर न निकलने पर पशु चिकित्सक से सम्पर्क करे।
6. भेड/बकरियों को पारजीवी की दवा पिलायें।

6. सितम्बर (भादो़)

1. संतति को खीस (कोलेस्ट्रम) अवश्य पिलायें।
2. अवशेष पशुओं में एच.एस. तथा बी.क्यू. का टीका लगवाये।
3. खुरपका–मुंहपका का टीका लगवाये।
4. पशुओं की डिर्वमिंग करायें।
5. भैंसों के नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखें।
6. ब्याये पशुओं को खडिया अवश्य खिलायें।
7. गर्भ परीक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान करायें।
8. तालाब में पशुओं को न जाने दें।
9. दुग्ध में छिछडे आने पर थनैला रोग की जांच अस्पताल पर करायें।
10. खीस पिलाकर रोग निरोधी क्षमता बढायें।

7. अक्टूबर (क्वार/अश्विन)

1. खुरपका–मुंहपका का टीका अवश्य लगवाये।
2. वरसीम एवं रिजका के खेत की तैयारी एवं बुवायी करे।
3. निम्न गुणवत्ता पशुओं को बधियाकरण करायें।
4. उत्पन्न संततियों की उचित देखभाल करें।
5. स्वस्थ जल पशुओं को पिलायें।
6. दुहान से पूर्व अयन को धोंये।

8. नवम्बर (कार्तिक)

1. खुरपका–मुंहपका रोग का टीका लगवाये।
2. कृमिनाशक दवा का सेवन कराये।
3. पशुओं को संतुलित आहार दें।
4. वरसीम तथा जई अवश्य बोयें।
5. लवण मिश्रण खिलायें।
6. थनैला रोग होने पर उपचार कराये।

9. दिसम्बर (अगहन/मार्गशीष)

1. पशुओं का ठंड से बचाव करें, परन्तु झूल डालने के पश्चात आग से दूर रखें।
2. वरसीम की कटाई करें।
3. पशुओं तथा बच्चों को पटेरे की दवा पिलाये।

4. खुरपका–मुंहपका रोग का टीका अवश्य लगवाये।
5. सूकर में स्वाईन फीवर का टीका अवश्य लगवाये।

10. जनवरी (पौष)

1. पशुओं का शीत से बचाव करें।
2. खुरपका–मुंहपका का टीका लगवाये।
3. बांझपन संतति का विशेष ध्यान रखे।
4. उत्पन्न संतति का विशेष ध्यान रखे।
5. वाहृय पारजीवी से बचाव के लिए दवा से नहलाये।
6. दुहान से पहले आयन को धो लें।

11. फरवरी (माघ)

1. खुरपका–मुंहपका रोग का टीका लगवाकर पशुओं को सुरक्षित रखें।
2. जिन पशुओं में जुलाई अगस्त में टीका लग चुका है उन्हें पुनः लगवायें।
3. वाहृय पारजीवी तथा अन्तः पारजीवी की दवा (सुई) लगवायें।
4. कृत्रिम गर्भाधान कराये।
5. बांझपन चिकित्सा एवं गर्भपरीक्षण करायें।
6. बरसीम का बीज तैयार करें।
7. पशुओं को ठंड से बचाने का प्रबन्ध करें।

12. मार्च (फागुन)

1. पशुशाला की सफाई व पुताई करायें।
2. बधियाकरण कराये।
3. खेत में चरी, सूडान तथा लोबिया की बुवायी करें।
4. मौसम में परिवर्तन से पशुओं में बचाव करें।

विशेष :

किसी भी रोग के होने पर या अन्य परेशानी में निकटती पशुचिकित्साधिकारी से सम्पर्क करें। चारा बीज पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध रहते है, लाभ उठाये।

महत्वपूर्ण तथ्य :

1. उपचार से बचाव बेहतर है। टीकाकरण करवाकर अपने पशु सुरक्षित रखें।
2. बकरी एवं सूकर पालन द्वारा आर्थिक स्तर ऊंचा उठायें।
3. दुग्ध व्यवसाय को अपनाकर जीविका आसान बनायें।

नवजात मेमनों की देखभाल

गर्भावस्था के अन्तिम पखवाडे में भेडों को उचित खुराक न मिल पाने के कारण बहुत कमजोर व कम वजन वाले मेमने पैदा होते है। ऐसे मेमने प्रायः मर जाते है। इस आकस्मिक हानि से भेड पालक को बहुत नुकसान उठाना पडता है। अनुसंधानों तथा अनुभवों से ज्ञात हुआ है के मेमनो की उचित देखभाल और अच्छी खिलाई–पिलाई करके नवजात मेमनो की मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जन्म के समय तथा बाद के दिनों में यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जावे तो नवजात मेमनो को मरने से बचाया जा सकता है।

1. ब्याने वाली भेड के जननद्वार के आसपास की ऊन काट देनी चाहिए ऐसा करने से मेमनो को अपनी माता का दूध पीने में असुविधा नही होगी तथा भेड का पिछला हिस्सा साफ रहेगा, जिससे मक्खियों का आक्रमण नही हो सकेगा।

2. भेड के ब्याते ही बच्चे की नाक–मुंह पर लगी झिल्ली को साफ कर देना चाहिए, यदि भेड बच्चे को न चाटे तो मेमनों को पोंछकर सुखा देना चाहिए, इसी दौरान नाभि–नाल को 5–6 सेमी0 दूर से काट कर उस पर टिंचर आयेाडीन लगा देना चाहिए।

3. नवजात मेमनों को सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाकर रखना चाहिए इसके लिए यह ख्याल रखना जरुरी है कि ब्याने वाली भेडो को अलग साफ–सुथरे स्थान या बाडे में रखें। जिससे पैदा होने वाले मेमनों को भी स्वच्छ स्थान मिले। यदि सर्दी के दिन हो तो बाडा चारों तरफ से ढका हुआ और तेज हवा से सुरक्षित होना चाहिए। स्वच्छ स्थान पर मेमनों का जन्म होने से बीमारियों का खतरा कम रहता है।

4. नवजात मेमनों की मृत्यु बहुत सर्दी के कारण होती है क्योंकि पैदा होने पर मेमना गीला होता है। यदि भेड़ मेमने को चाटकर शीघ्र साफ नही करती है तो कम वजन वाले मेमनों की संचित ऊर्जा का उपयोग शरीर का तापमान सही रखने में होने लगता है। फलस्वरुप बच्चे को ठंड लग जाती है। इसी दौरान यदि मेमनों को दूध पीने को नही मिलता है तो शरीर का तापमान कम होने लगता है और मर जाता है। नवजात मेमनों को टांट के टुकडे से लपेट कर सूखी घास पर रखने से सर्दी से बचाया जा सकता है।

5. कभी–कभी कमजोर मेमना सांस लेने में असमर्थ होता है। अतः तत्काल मर जाता है। यदि इन मेमनों को कृत्रिम सांस मुंह से दिया जाये या पिछले दोनो पैरों को पकडकर हल्का झटका देने से सांस शुरु करने मे मदद मिलती है। कृत्रिम सांस के लिए अगले पांव या वक्षस्थल को पकडकर अन्दर की ओर धीरे–धीरे दबाकर बार–बार छोडने से सांस की किया शुरु हो जाती है और मेमना सांस लेने लगता है।

6. नवजात मेमने के पैदा होने के एक घंटे के भीतर खींस (पहले दिन का दूध) पिलाना आवश्यक होता है क्योंकि यह मेमने की पोषकदायी खुराक है। इससे शरीर को गर्मी (ऊर्जा) मिलती है। यह बीमारियों से बचाने की क्षमता रखता है। यह दस्तावर होने के साथ–साथ आंतरिक जीवाणुनाशक का कार्य भी करता है।

7. अगर किन्हीं कारणों से मेमने को खींस न पिलाया जा सके या उसकी मां मेमने को जन्म देकर तुरन्त मर जाये तो बच्चे के साथ की ब्यायी दूसरी भेड़ से दूध पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

8. कई बार नवजात मेमने मां से दूध पीने में असमर्थ होते है और इनसे मां के थनों के छिद्र नही खुल पाते, जिससे दूध बाहर नही निकल पाता, इस स्थिति में मां के थनों से थोडा सा दूध निकाल लेवें, जिससे छिद्र खुल जावे फिर नवजात मेमने को दूध पिलाने में सहायता करें। यदि मां के दूध नही होवे तो दूसरी ताजा ब्यायी भेड़ का दूध पिला सकते है। यदि नवजात मेमना दूध पीने में फिर असमर्थ हो तो दूध बोतल की सहायता से पिलाया जा सकता है। किन्तु इस प्रकिया में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा दूध वाली बोतल तथा दूध बनाने वाले बर्तन का गर्म पानी में उबालना आवश्यक है अन्यथा दस्त लग जाने से मेमना मर भी सकता है।

9. नवजात मेमनों को सात–आठ दिन तक मॉ के साथ ही रहने देना चाहिए उसके 15 से 20 दिन की उम्र तक 24 घंटे में चार–पांच बार दूध पिलाना चाहिए।

10. 15 दिन की उम्र से अधिक मेमनों को अधिक दूध पी जाने के कारण होने वाले रोग से बचाने में विशेष ध्यान देना चाहिए। दो माह की उम्र में मेमनों को चेचक के टीके अवश्य लगवा लेने चाहिए।

11. गर्भवती भेडों को एम.सी0सी0 के टीके लगवा देने चाहिए, जिससे नवजात मेमनो को फूड पोआईजनिंग वाले रोग नही होगें।

यदि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखा जाये तो नवजात मेमनो को मृत्यु से बचाया जा सकता है।

मुर्गियों के मुख्य रोग, लक्षण, निदान, टीकाकरण एवं रोग नियन्त्रण

मुर्गियों के मुख्य रोग निम्न प्रकार है –

1. रानीखेत – मुर्गियों में यह बीमारी सबसे घातक है। यह एक विषाणु से होती है वैसे तो यह रोग सभी आयु वर्ग में फैलता है परन्तु चूजों में यह अत्यधिक उग्र रुप से फैलता है। गले में घरघराहट, बलगम की शिकायत, श्वास लेने में कठिनाई, मुंह खोलकर स्वास लेना, शरीर की मांसपेशियों में कम्कपाहट, चलने में लंगडापन तथा पैरों में लकवा होना, तेज बुखार, बीट पानी जैसी पतली बदबूदार तथा पंख बिखर जाते है। कलंगी काली पड जाती है। सर, पैरों या पंजो के बीच कर लेती है। यदि पक्षी अंडे देने वाला हो तो उसके अंडे उत्पादन में गिरावट, अंडे का छिल्का काफी पतला तथा उनका आकार भी काफी कम होता है आदि लक्षण दिखाई देते है। इस रोग का कोई उपचार नही है। रोग होने पर शत–प्रतिशत तक मृत्यु हो जाती है यदि समय पर टीकाकरण किया जाये तो रोग पर नियन्त्रण किया जा सकता है। रानीखेत एफ.वन की एक बूंद नाक में तथा एक बूंद आंख में एक से छः दिन तक डाल दी जाए तो दो माह की उम्र तक रानीखेत से पक्षियों का बचाव किया जा सकता है, 6 से 8 सप्ताह बाद इन पक्षियों को रानीखेत का टीका लगा दिया जाता है और ऐसा करके पक्षियों को रानीखेत रोग से जीवन भर के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। बीमार पक्षियों को तुरन्त स्वस्थ पक्षियों से अलग कर, क्षेत्र की सफाई, कीटनाशक घोल का छिडकाव तथा विछावन को तुरन्त बदल दिया जाये तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।

2. मुर्गी चेचक – यह दूसरी मुख्य फैलने वाली बीमारी है। यह एक किस्म के विषाणु द्वारा होती है यह सभी आयु के पक्षियों में होती है परन्तु बडी में अधिक।
लक्षण – भूख की कमी, सुस्त, सांस लेने में तकलीफ, नाक या आंख से पानी आना, कलंगी, कर्णफूल और चेचक के दाने पैदा होना, तेज बुखार, कानों में झागदार पदार्थ जमा हो जाना, मृत्यु छोटे बच्चों में अधिक और बडों में कम होती है। इस बीमारी से 60 प्रतिशत तक मृत्यु सम्भव है। इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है कि दो माह की उम्र पर फाउल पोक्स का टीका लगाया जाए। इस रोग में बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी जाती है, परन्तु यदि रोग हो जाये तो स्वस्थ पक्षियों को तुरन्त बीमार पक्षियों से अलग कर टीका लगा दिया जाना चाहिए, बाडो की सफाई तथा कीटाणुनाशक घोल का छिडकाव कर बीमार पक्षियों को सन्तुलित आहार तथा पानी के साथ एन्टीवायोटिक तथा विटामिन्स दिये जायें। मुंह में यदि झिल्ली हो गई हो तो उसे निकाल देना चाहिए।

3. जुकाम लगना – (फाउल कोराइजा) यह जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है जो अतिशीध्र मुर्गियों को अपनी पकड में ले लेता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में छींक आना, खांसना, सांस लेने में कठिनाई होना, सिर को ऊपर उठाना तथा चेहरे, कर्णफूल में सूजन, आंख तथा नाक से दुर्गन्धित द्रव का निकलना, भूख में कमी हो जाना, अंडो की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाना। रोग के उपचार के लिए सल्फायुक्त औषधियां आहार या पानी देना चाहिए। इसी के साथ–साथ अच्छे एन्टीवायोटिक्स भी दिये जाते है रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पक्षियों को तुरन्त अलग कर देना चाहिए।

4. मुर्गी का हैजा रोग (पाउल कालरा) – यह भी जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है यह अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है जब बीमारी का प्रकोप होता है तो पक्षी बिना लक्षण दिखाये काफी संख्या में मृत पाये जाते है। इस बीमारी में हरे पीले दस्त, भूख में कमी, कभी–कभी सांस लेने में कठिनाई प्यास अधिक लगना, जोडों में सूजन, कलंगी तथा कर्णफूल में सूजन या काला पड जाना तथा भार में गिरावट आने के लक्षण दिखाई देते है। इसमे कभी–कभी छः से आठ सप्ताह के आयु वर्ग की मुर्गियों में रोग होता है परन्तु सामान्य बडी मुर्गियो में ही यह रोग होता है। मृत्यु कभी कम कभी अधिक होती है रोग के उपचार में सल्फा दवाओं का प्रयोग किया जाता है। एन्टीवायोटिक द्वारा भी उपचार हो जाता है। रोग से बचाव के लिए डेढ़ माह से अधिक पक्षियों में फाउल कालरा का टीका लगवा लेना

चाहिए। रोग नियन्त्रण के लिए बीमारी के दौरान कुक्कुट गृहों में स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए उचित व्यवस्था की जाये।

5. लकवे का रोग (मैरिक्स डिजीज) – यह विषाणुजनित रोग है इस बीमारी में भी मृत्यु दर अधिक होती है। रोग के मुख्य लक्षण जो पाये जाते है उस के अनुसार बीमार पक्षियों को लकवा रोग पैदा हो जाता है वे खा पी नही सकते। जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी आमतौर से छोटी उम्र के पक्षियों (डेढ से दो माह) अधिक होती है। बडी उम्र के पक्षियों में जो अंडा देने वाली होती है, उनके पैरों तथा गर्दन में लकवा हो जाता है इन के भार में कमी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है तथा कभी–कभी दस्तों की शिकायत होती है। इस रोग से बचाव के लिए एक दिन के बच्चों को एच0बी.टी0 नामक वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। इससे जीवन पर्यन्त इस रोग से सुरक्षा हो जाती है। हालांकि बीमारी पैदा होने पर बीमार पक्षियों की चिकित्सा सम्भव नही परन्तु यदि स्वस्थ पक्षियों को अलग कर बाडों की सफाई उन में कीटाणुनाशक दवा का छिडकाव कर दिया जाए और बिछावन बदल दी जाये और मुर्गी बाडों में स्वच्छ हवा का आवागमन पर्याप्त कर दिया जाये तो स्वस्थ पक्षियों को बीमार होने से बचाया जा सकता है।

6. चिचड़ी ज्वर (स्पाइरोकिटोसिस) – इस रोग के कीटाणुओं की बढत चिचडियां होती है। यह मुर्गियों की एक आम तथा खतरनाक बीमारी है। रोग के लक्षणों में बीमार मुर्गियां अलग–अलग रहती है, सुस्त हो जाती है पंख बिखर जाते है, पैरों व पंजो में सूजन आ जाती है, कमजोर हो जाती है तथा बुखार हो जाता है, ठीक से खडी नही हो पाती, सिर झुका देती है, पानी अधिक पीती है। हरे रंग के तीव्र दस्त, तथा मरने से पहले शरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। रोग से बचाव के लिए छः सप्ताह से अधिक आयु पर वैक्सीन लगाया जाता है। बीमार होने पर एन्टीवायोटिक का टीका तीन दिन तक लगवाना चाहिए। रोग नियन्त्रण के लिए बाडों चिचडियों को नष्ट कर दें इसके लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग या फिर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना होगा।

7. दीर्घकालीन श्वांस रोग (सी.आर.डी.) – यह भी संक्रामक रोग है जो अक्सर सर्दियों में होता है। इस रोग के फैलने पर पक्षियों में मृत्यु दर 40 प्रतिशत तक हो सकती है। रोग के लक्षण, भूख कम लगना, सांस लेने में कठिनाई, आंख से पानी आना तथा गले के अन्दर पीले रंग का पदार्थ जमा होना तथा एक विशेष प्रकार की आवाज करना है। इस रोग के फैलने में आहार की कमी, परजीवियों का प्रकोप, विटामिन्स 'ए' की कमी तथा कुक्कुट शालाओं में नमी अधिक होना सहायक होते है। रोगी मुर्गियों का एन्टीवायोटिक तथा विटामिन्स द्वारा उपचार शुरु कर देना चाहिए। आहार मे हरी सब्जियों या बरसीम का प्रयोग करायें। रोग नियन्त्रण हेतु अंडों की सफाई पर विशेष ध्यान दे क्योंकि बीमारी अंडों के द्वारा फैलती है।

8. खूनी दस्त लगना (कोक्सीडियोसिस) – यह बीमारी परजीवियों किटाणुओं के प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होती है यह बीमारी कम आयु के चूजों में अक्सर होती है इस रोग के लक्षण जैसे पक्षी की बीट के साथ खून आना, खून मिले दस्त होना, कलंगी का सूखा पड जाना, पक्षियों का उघना, भूख में कमी, अंडा देने में कमी, पेशियों का कमजोर हो जाना, यदि रोग की चिकित्सा शीघ्र न की जाए तो मृत्यु दर में वृद्वि हो जाना, बीमारी के उपचार के लिए पक्षियों को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए। रोग नियन्त्रण के लिए मुर्गी बाडों को सूखा रखा जाए तथा बिछावन को पलटते रहना चाहिए या उस में चूना छिडक दें। मुर्गी बाडों में हवा की शुद्व व्यवस्था करें। बचाव हेतु 15 दिन की आयु पर कोर्स दोबारा दें। इसके बाद दो तीन माह तक प्रत्येक माह देते रहें।

9. एस्केरियासिस – यह रोग गोल कृमि के कारण होता है जो कि आन्तों में पाई जाती है यह गोल तथा लम्बे होते है जो कि आन्तो में गुच्छे बना लेते है इन के कारण पक्षियों के भार में कमी, अंडा देने की क्षमता गिर जाना, पक्षी सुस्त व कमजोर हो जाते है इसके बचाव व उपचार के लिए कृमिनाशक दवापान प्रतिमाह कराया जाना चाहिए।

10. शरीर पर लगने वाले वाह्य परजीवी – चिचडी, जूं, पिस्सू मुर्गी के शरीर के ऊपर पाये जाते है। यह मुर्गी बाडों के दरारों में भी रहते है जहां से रात में निकलकर मुर्गी पर आक्रमण कर देते है। यह उनका खून चूसते है जिस कारण चूजों में मृत्यु भी हो जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियां अपना उत्पादन बंद कर देती है। शरीर में खुजली होती है। नियन्त्रण के लिए बाडों का सारा कूडा–करकट जला दें, नियमित रूप से बाडों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। जिन मुर्गियों पर कीडे दिखाई दें उन पर भी कीटनाशक दवा का छिडकाव करायें।

11. विटामिन 'ए' की कमी (एविटामिनोसिस) – यह रोग विटामिन 'ए' की कमी से होता है इसमें आंख की रोशनी कम हो जाती है पक्षियों की बढत कम होती है बच्चे कमजोर हो जाते है और सुस्त रहते है पंख उभरे–उभरे रहते है, बडी मुर्गियों की कलंगी पीली पड़ जाती है। आंखों में पानी आने लगता है पलक के नीचे एक लसदार चीज पाई जाती है जिससे आंखों

में सूजन आ जाती है। इस बीमारी को रोकने के लिए आहार में विटामिन 'ए' की मात्रा बढ़ा दें। मुर्गियों कों हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कराये। दाने में मांस का कीमा, मछली का चूरा, मछली का तेल, मिलाकर खिलाने से रोग नियंत्रित हो जाता है।

मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए बाडों को तथा खाने पीने के बर्तनों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसी व्यवस्था करें की पीने के लिए साफ पानी हमेशा मिलता रहे। मुर्गियों को सन्तुलित आहार दिया जाए। रोगों के निदान के लिए यदि मुर्गियों में किसी प्रकार के असामान्य लक्षण दिखाई दें, वे आहार खाना कम या बंद कर दें तो तुरन्त ही पास के चिकित्सालय पर सम्पर्क कर पक्षियों की जांच कराकर पशु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के अनुसार कार्यवाही करें। समय–समय पर टीकाकरण के लिए निकटतम पशुपालन की संस्था पर सम्पर्क करें।

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

(उप निदेशक सघन भेड़ विकास प्रायोजना पौड़ी गढ़वाल)

लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।

सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

- आवेदन पत्र, प्रारूप शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मॉगी जाय आवेदन प्रारूप निर्धारित होने के उपरान्त
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा सूचना न देने पर शासन द्वारा राज्य सूचना आयुक्त से अपील भी की जा सकती है, जिसकी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की जा रही है।

लोक प्राधिकारी द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में:–

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण– भेड़ पालकों को भेड़पालन, प्रबन्धन मशीन द्वारा

- ऊन कतरन, संक्रामक बीमारियॉ तथा उनकी रोकथाम आदि का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य–भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की
- जानकारी प्रदान करते हुए भेड़ों में होने वाली प्रमुख बीमारियॉ तथा उनकी रोकथाम,
- मशीन द्वारा ऊन कतरन कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- लाभार्थी की पात्रता– लाभार्थी का भेड़पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षायें– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- अनुदान/सहायता– कोई नही।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण– कोई नही।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रकिया– कोई नही।

- आवेदन करने के लिये कहॉ/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।

- आवेदन शुल्क– कोई नही।
- अन्य शुल्क– कोई नही।
- आवेदन पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नही।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नही।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

लोक प्राधिकरण द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में– कोई नही।
लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के संयोजन, संयोजन की अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में– कोई नही।
लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण– कोई नही।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय निरीक्षण बिन्दु

विभागीय अधिकारियों के लिए भ्रमण दिवस मुख्यालय के अधिकारियों के लिए सप्ताह में एक दिन, मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के लिए सप्ताह में दो दिन तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए सप्ताह में तीन दिन निर्धारित किया गया है। उक्त भ्रमण के समय विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया जाना है जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता हैः–

- विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्य पूर्ति का भौतिक सत्यापन करना।
- कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत उत्पन्न संतति का भौतिक सत्यापन करना।
- डे बुक पंजिकाओं का निरीक्षण एवं आउट ब्रेक की स्थिति।
- स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत कार्यक्रमों की समीक्षा।
- योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं की उपलब्धता एवं आवश्यकता।
- बाढ़ एवं सूखे की स्थिति एवं उसकी रोकथाम की व्यवस्था तथा सूचना का प्रेषण।
- अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य ग्रामों का भ्रमण कर विभागीय कार्यक्रमों का भौतिक सत्यापन।
- विभागीय साण्डों की जॉच एवं भौतिक सत्यापन।
- क्षेत्रीय एवं अन्य रोग निदान प्रयोगशालाओं का निरीक्षण।
- विभागीय संस्थाओं के समय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनके स्टोर का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन तथा उप निदेशक द्वारा 2 प्रतिशत संस्थाओं के स्टोर का निरीक्षण।
- लेवी की धनराशि की प्राप्ति एवं जमा करने का सत्यापन।
- उपस्थिति पंजिकाओं का निरीक्षण।
- विभागीय संस्थाओं का प्रभारी अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनाओं की स्थिति।
- भ्रमण के समय यह देखा जाय कि कितने पशुओं को टीका लगना या तथा उनमें से कितने पशुओं को टीका लगाया गया तथा टीके की गुणवत्ता एवं कौन–कौन से टीके लगाये गये।
- कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कितनी पूर्ति हुई तथा कितनी संतति उत्पन्न हुई।
- विभागीय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की विशेष समीक्षा की जाय तथा यह देखा जाय कि परियोजनाएँ सुचारू रूप से चल रही है अथवा नही तथा उनकी गुणवत्ता ठीक रखी जा रही है अथवा नही।
- भ्रमण के समय विभाग से सम्बन्धित प्रमुख विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण करें तथा चल रहे विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करें, योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई है तो उसका समाधान करें।
- क्षेत्र में भ्रमण एवं निरीक्षण की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाय।
- आडिट एवं पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित कराना।
- अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण आदि।

उपरोक्त भ्रमण कार्यक्रमों/निरीक्षणों एवं भौतिक सत्यापन के समय मुख्यालय अधिकारियों एवं मण्डलीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का 2 प्रतिशत मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा 5 प्रतिशत तथा पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

पशुधन विभाग

सामान्य परिचय

प्रारम्भ में सिविल वेटरनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा पशुपालन सम्बन्धी कार्य प्रदेश में सम्पादित किये जाते थे। उस समय सिविल वेटरनरी डिपार्टमेन्ट मुख्यतः अश्व–प्रजनन एवं पशु रोग–नियत्रंण कार्य से सम्बन्धित था तथा कृषि विभाग द्वारा गोवंशीय साण्डों की पूर्ति प्रजनन हेतु की जाती थी। वर्ष 1944 में पशुपालन विभाग पृथक रूप से स्थापित होने पर पशुधन का सर्वागीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा, रोग नियत्रंण, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम शनै–शनै चरणबद्व रूप से निदेशक पशुपालन/विभागाध्यक्ष के नियत्रंण में आरम्भ किये गये। वर्ष 1984 में भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम पारित होने के फलस्वरूप प्रदेश में पशुचिकित्साविदों को प्रोत्साहित करने के ध्येय से पशुपालन शिक्षा क्षेत्र में अवांछित प्रमाण–पत्रों पर नियत्रंण करने तथा पशुपालन विज्ञान के डिग्रीधारकों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से वर्ष 1986–87 में उ0प्र0 पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना हुई।

उद्देश्य

(1) पशुधन एवं पशुधन उत्पाद क्षमता में वृद्वि कर दूध, मॉस एवं अण्डों का उत्पादन बढ़ाना।
(2) पशुपालन के द्वारा स्वरोजगार के नवीन अवसर सृजित करना।
(3) गोवंशीय पशओं की अवैध तस्करी पर प्रभावी नियत्रंण रखना।
(4) संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कर पशुधन को स्वस्थ्य रखना।
(5) प्रभावी एवं वैज्ञानिक विधियों द्वारा पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में वृद्वि करना एवं स्वेदशी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
(6) पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत पशु प्रबन्धन विधियों का प्रचार व प्रसार करना।
(7) नस्ल सुधार हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना।
(8) पशुपालकों को उनके पशुधन उत्पादों का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना।
(9) पशुधन प्रक्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना।

कार्यक्रम एवं कार्यकलाप

पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य, पशु तथा भैंस, कुक्कुट, भेड़, बकरी, सूअर, चारा तथा चारागाह विकास एवं गोस्त तथा पशुधन पदार्थ के उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम मुख्यतः संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, डी श्रेणी डिस्पेन्सरी, सचल पशु चिकित्सालय, पालीक्लीनिक, वीर्य संग्रह केन्द्र, तरल नत्रजन केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उप केन्द्र, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र, सघन पशु विकास, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र, सघन भेड़ विकास/भेड़ प्रक्षेत्र स्थापित कर कार्यक्रम सम्पादित किये जाते हैं।

मुख्य विधिक प्राविधान

अधिनियम

- गोवध निवारण अधिनियम, 1955
- कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, 1871
- यू0पी0 वैटनरी कौसिंल एक्ट, 1947
- यू0पी0 गौशाला एक्ट, 1964
- यू0पी0 पशुधन सुधार अधिनियम, 1964
- यू0पी0 कैटिल परचेज टैक्स एक्ट, 1976

नियम

- दि यू0पी0 प्रिवेन्शन ऑफ कॉउ स्लाटर रूल्स, 1964
- रूल्स फॉर दि सप्लाई आफ स्टड एनीमल

मैनुअल हेण्ड बुक

- सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट मैनुअल, 1913–14

समिति द्वारा पशुधन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुवार संस्तुतियॉ नीचे के स्तरों में दी जा रही हैः–

समिति की संस्तुति

उ0प्र0 वेटनरी काउंसिल एक्ट 1947 की आवश्यकता नही रह गई है क्योंकि इण्डियन वैटनरी काउंसिल एक्ट 1984 पारित कर तद्विषयक प्राविधान किये जा चुके हैं। उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य पशु चिकित्सा परिषद नियमावली 1990 भी प्रख्यापित की जा चुकी है। अतः उ0प्र0 वैटनरी काउंसिल एक्ट 1947 निरस्त किया जाय।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग

पशुधन विभाग

अपेक्षित कार्यवाही

उ0प्र0 वैटनरी काउंसिल एक्ट 1947 को निरस्त करने की

कार्यवाही

की जाय।

समिति की संस्तुति

उ0प्र0 गोशाला एक्ट 1964 में गोशाला सम्पत्ति विषयक प्राविधान किया गया है। गोशाला की सम्पत्ति का स्पष्ट अभिज्ञान हो सके इस हेतु यह आवश्यकीय है कि गोशाला की पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति को चिन्हित किया जाय। तद्नुसार चिन्हित सम्पत्ति गोशाला की सम्पत्ति मानी जाय। उक्त अधिनियम की धारा–2 (5) के अन्तर्गत गोशाला सम्पत्ति का अभिप्राय ऐसी सम्पत्ति से है जो या तो गोशाला में निहित है या गोशाला के ट्रस्टी द्वारा गोशाला के लाभ हेतु रखी गई है। इस प्राविधान में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की जाय कि गोशाला की जो भी सम्पत्ति होगी उसका सूचीकरण किया जायेगा तथा वह सूचीकृत संपति गोशाला में निहित मानी जायेगी। इस व्यवस्था से गोशाला के नाम से निजी लाभ प्राप्त करने पर अंकुश लगेगा तथा गोशाला सम्पत्ति के सम्बन्ध में पारदर्शिता आयेगी।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग — पशुधन विभाग

अपेक्षित कार्यवाही — अधिनियम की धारा–2(5) में संशोधन।

समिति की संस्तुति

उ0प्र0 गोशाला एक्ट 1964 के अन्तर्गत गोशाला के पंजीकरण के समय निर्धारित प्रारूप पर सूचना देनी होती है। धारा–5 के अन्तर्गत पंजीकरण करते समय गोशाला की विगत तीन वर्षो के आय–व्यय, गोशाला संपत्ति तथा गो–पशुओं का स्पष्ट विवरण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि गोशाला के संचालन तथा उसकी स्थिति के सम्बन्ध में पारदर्शिता विकसित हो। गोशाला अधिनियम के अन्तर्गत गोशाला की न्यूनतम आवश्यक भूमि से सम्बन्धित प्राविधान जोड़ा जाय। गोशाला के पास कम से कम साढ़े तीन हैक्टेयर भूमि हो तथा कम से कम 15 गो पशु हों। साथ ही उतनी आय हो जिससे पशुओं का समुचित पालन किया जा सके। इस प्राविधान से गोशाला का भौतिक स्वरूप स्पष्ट होगा तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम आर्थिक क्षमता प्राप्त होगी। गोशाला का पंजीकरण करते समय इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में सन्तुष्टि की जाय।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग

पशुधन विभाग

अपेक्षित कार्यवाही

उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 में संशोधन।

समिति की संस्तुति

उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 की धारा–8(2) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि ऐसी जॉच करते समय रजिस्ट्रार, निदेशक पशुधन व अन्य व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा। इसमें यह प्राविधान भी जोड़ा जाय कि ऐसी जॉच में शिकायतकर्ता को भी सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। जॉच में लगने वाली समय सीमा को भी निर्धारित किया जाना आवश्यकीय है। जॉच तीन माह के अन्दर पूरी हो जाय तथा विशेष परिस्थितियों में यदि समय बढ़ाने की आवश्यकता है तो इस हेतु निर्धारित समय समाप्त होने से पूर्व समय में अधिकतम 3 माह की वृद्वि हेतु निदेशक पशुपालन की अनुमति प्राप्त की जाय। जॉच में 6 माह से अधिक समय न लगे, यह सुनिश्चित किया जाय।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग पशुधन विभाग

अपेक्षित कार्यवाही समिति की संस्तुति उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 की धारा–8(2) में तद्नुसार संशोधन।

उक्त अधिनियम की धारा–16 के अन्तर्गत दण्ड का प्राविधान किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत इस आशय का प्राविधान किया जाय कि निर्धारित विवरण न उपलब्ध कराने पर एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की व्यवस्था है। अधिनियम/नियम आदि के उल्लघंन पर तीन सौ रूपये के अर्थदण्ड का प्राविधान है। न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड भुगतान करने हेतु निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में पचास रूपये प्रतिदिन के अर्थदण्ड का प्राविधान है। अर्थदण्ड की यह धनराशि

दूनी कर दी जाये तथा इन्हें समय–समय पर मूल्य स्तर को देखते हुए संशोधित करने पर विचार किया जाय।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग पशुधन विभाग

अपेक्षित कार्यवाही उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 की धारा–16 में संशोधन।

समिति की संस्तुति

उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत एक नई धारा जोड़ कर पंजीकरण का पॉच वर्ष में नवीनीकरण हेतु प्राविधान किया जाय ताकि पंजीकृत गोशालाओं की संख्या तथा उनकी स्थिति की जानकारी अद्यावधिक रहे। गोशाला के संचालन, नियंत्रण व तद्विषयक नीति निर्धारण में सहायक होगा।

यदि गोशालाओं का प्रबन्धन समुचित रूप से नही किया जा रहा है तो इसका प्रभाव गोशाला की संपत्ति व उद्देश्यों पर विपरीत रूप से पड़ना स्वाभाविक है। अतः गोशाला की धनराशि का दुरूपयोग करने, गोवंश के अतिरिक्त गोशाला में अन्य पशु पालने पर निबन्धन समाप्त करने की व्यवस्था की जाय। ऐसी स्थिति में गोशाला की संपत्ति राज्य में निहित करने विषयक प्राविधान बनाये जायें। गोशाला प्रबन्धन के लिये यह भी आवश्यकीय कर दिया जाय कि बाहरी व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार से प्राप्त किये जाने वाले धन का विवरण निबन्धक को उपलब्ध कराया जाय।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग पशुधन विभाग

अपेक्षित कार्यवाही समिति की संस्तुति उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 में तद्नुसार संशोधन।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विभाग के अतिरिक्त बैफ जैसी–स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है। विभाग के अधीन विभिन्न पशुधन प्रक्षेत्रों में सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न पालतू पशुओं की नस्लों का संरक्षण एवं सुधार हेतु विभाग को विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ–साथ जैसे दुग्ध विकास विभाग व ग्राम्य विकास विभाग के समन्वय से भी कार्य किया जा सकता है। विभिन्न पालतू पशुओं की नस्ल में गिरावट न हो इस हेतु व्यापक एवं प्रभावी नियम बनाने होंगे। विभाग को पशुओं के नस्ल संरक्षण एवं नस्ल सुधार के क्षेत्र में पशुधन प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाना होगा ताकि प्रदेश के अन्तर्गत स्थित यह प्रक्षेत्र अपनी दीर्घकालीन भूमिका दृढ़ रूप से निभा सके। इन प्रक्षेत्रों में पशुओं के रख–रखाव, उनके चारे, चिकित्सा व नस्ल संरक्षण व सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का व्यवसायिक स्तर पर उपयोग कर लाभ प्राप्त करना चाहिए। इन प्रक्षेत्रों में उपलब्ध भूमि का उपयोग पशुओं हेतु चारे के अतिरिक्त चारा विकास एवं शोध कार्यक्रमों हेतु किया जा सकता है।

पशुओं हेतु पौष्टिक चारे व दवाओं के सम्बन्ध में शोध कार्य किया जा सकता है तथा इन क्रियाकलापों से कम कम से कम इतनी धनराशि अर्जित की जानी चाहिए जितनी इन प्रक्षेत्रों के रख–रखाव हेतु आवश्यकीय है।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग	पशुधन विभाग ग्राम्य विकास विभाग दुग्ध विकास विभाग
अपेक्षित कार्यवाही	सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण समन्वयोपरान्त कार्यवाही

समिति की संस्तुति

मरे हुए पशुओं से वातावरण दूषित न हो इस हेतु वर्तमान प्राविधान अपर्याप्त है। इस हेतु प्राविधान बनाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशुओं के ठेके तथा तद्विषयक व्यवस्था है। इसी प्रकार नगरीय स्थानीय निकायों का दायित्व नगरीय क्षेत्रों के सम्बन्ध मं है। इन स्थानीय निकायों के द्वारा मृत पशुओं के स्वास्थ्य परक निस्तारण की व्यवस्था हो, इस हेतु निश्चित दायित्व सौंपा जाय। तद्विषयक अधिनियमों में इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

कार्यवाही हेतु उत्तरदायी विभाग	पशुधन विभाग पंचायती राज विभाग नगर विकास विभाग पर्यावरण विभाग
अपेक्षित कार्यवाही	मृत पशुओं के सम्बन्ध में नियमों तथा उप नियमों में विस्तृत एवं स्पष्ट प्राविधान बनाये जायें।

नागरिक अधिकार–पत्र
पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की पृथक रुप से स्थापना वर्ष 1944 में की गई। इससे पूर्व सिविल वेटरीनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशु रोग नियन्त्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशुपालन विभाग के पृथक रुप से स्थापना होने पर पशुपालन का सर्वागीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा एवं रोग नियन्त्रण के साथ पशुधन विकास, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

उद्देश्य

पशुधन विभाग का प्रमुख उद्देश्य पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के सम्भावित रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण, रोगग्रस्त पशुओं की सामयिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, दुग्ध, अण्डा, मॉस एवं ऊन के उत्पादन में वृद्वि करना कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक अभिजनन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों का सुधार, स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन, विदेशी नस्लों की प्रजातियों का प्रसार तथा उन्नतिशील प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने एवं पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा आदि उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विस्तार ग्रामीण अंचलों में पिछड़े एवं निर्बल वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निम्न उद्देश्यपरक विभिन्न योजनाऍ व कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

1. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग।

2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संर्वधन करना।

3. पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत पशु प्रबन्धन विधियों का प्रचार–प्रसार करना।

4. ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालको का गॉवों में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास, और उसमे व्यवसायिक विविधीकरण हेतु चेतना जागृति करना।

5. गो नस्ल/गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना।

6. प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्वि कर दूध, ऊन, अण्डा व मांस आदि का उत्पादन बढाना तथा पशुपालको को उनके पशुधन उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना।

वर्तमान में अपनाई जा रही पशु–पक्षी प्रजनन नीति (संक्षिप्तीकरण):–

प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में पशुधन की उत्पादकता व उत्पादन क्षमता में वृद्वि लाने हेतु वर्तमान में संस्तुत प्रजातियों गौ वंशीय पशुओं को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार जर्सी तथा फ्रीजियन व भैंसों में मुर्रा प्रजाति से संकरण कराना, भेड़ो में विदेशी नस्लों अर्थात रेम्बुले व मेरिनो प्रजाति के मेढ़ो से स्थानीय भेड़ो को वर्णशंकर करने हेतु मेढे उपलब्ध कराना। अंगोरा नस्ल के बकरे द्वारा स्थानीय प्रजाति की बकरी नस्लों में उन्नयन, स्थानीय सूकर/सूकरियों में उत्पादन क्षमता में वृद्वि हेतु नस्ल सुधार के लिए विदेशी मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर साण्डों का प्रयोग, शशक का विकास जर्मन अंगोरा प्रजाति से, स्थानीय अश्वों व गर्दभो की भार वाहन क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें नस्ल सुधार हेतु काठियावाडी घोड़े व

इटेलियन प्रजाति के गर्दभ साण्डो का प्रयोग किया जा रहा है, इटेलियन गर्दभ को कठियावाड़ी घोडे से क्रास कराकर खर्च का उत्पादन, राज्य में बैकयार्ड कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रो द्विकाजी (अण्डा/मॉस) क्रायलर पक्षी तथा मॉस उत्पादन की दृष्टि से क्रायलर पक्षी का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में बतख पालन को भी (अण्डा/मॉस) बढावा देने हेतु योजनाएँ बनायी जा रही है।

पशु सम्पदाः–

प्रदेश में वर्ष 2003 की पशुगणना के आधार पर कुल पशुधन संख्या 49.43329 लाख है जिनमें से गौवंशीय पशु 2.188 लाख, महिषवंशीय पशु 12.28 लाख, भेड़ 2.958 लाख, बकरी 11.581 लाख, घोडे टटटू 0.174 लाख, सूकर 0.327 लाख, अन्य पशु 0.227 लाख है। इसके अतिरिक्त खरगोश 6849, कुत्ते 2.658 लाख है। कुक्कुट पक्षियों की कुल संख्या 19.84 लाख है जिनमें से 0.17 लाख अन्य कुक्कुट पक्षी है। उन पशुधन का घनत्व 92.43 प्रति वर्ग किलोमीटर है।

पशुजन्य पदार्थो के अनुमान तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धताः–

1. विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल दुग्ध उत्पादन 1188 हजार मीट्रिक टन, अण्डा उत्पादन 1842 लाख, ऊन उत्पादन 342 हजार किलोग्राम व व मीट उत्पादन 72 लाख (वधालयो में वध किये गये पशुओ के अनुसार) है।
2. प्रतिव्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता 0.371 ग्राम, प्रतिव्यक्ति वार्षिक अण्डो की उपलब्धता 21, प्रति व्यक्ति वार्षिक मॉस की उपलब्धता 0.821 कि0ग्रा0 ऑकी गयी है।

उपरोक्त ऑकड़े भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा उनके द्वारा जारी बुलेटिन में प्रकाशित है।

कार्यरत विभागीय संस्थाएँः–

प्रदेश में ग्राम्य स्तर पर 584 पशु सेवा केन्द्र ''द'' श्रेणी पशु औषधालय विकासखण्ड स्तर व नगर क्षेत्र में 291 पशुचिकित्सालय (95 विकासखण्ड स्तरीय तथा 196 अन्य नगरीय क्षेत्रों में) जनपद स्तर पर पशुचिकित्सालय, सचल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, 14 भेड़ प्रक्षेत्र, 4 अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र, 2 पशुधन प्रक्षेत्र, 3 कुक्कुट प्रक्षेत्र, 5 अंगोरा शशक प्रक्षेत्र, 8 सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं, 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र, 1 अश्व गर्दभ व खच्चर उत्पादन इकाई, अश्व प्रजनन इकाई, दो सूकर प्रक्षेत्र, 2 मण्डल स्तरीय प्रयोगशालायें, 2 कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशालायें कार्यरत हैं।

मानव शक्तिः–

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में समूह 'क' के 18 पद, समूह 'ख' के 399 पद, समूह 'ग' 1565 पद, समूह 'घ' के 1876 पद (कुल–3858 पद) राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर व ग्राम स्तर तक सृजित हैं। जो संविधान के 73 वें संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर उत्तरॉचल शासन के शासनादेश संख्या–73/गअ/पशुपालन/2004 दिनांक 24 मई 2004 के अनुरूप कार्य करेंगे।

क्र. सं.	योजना का नाम
1	2
(1)	**जिला सेक्टर योजनायें –** **अ– पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवायें और पशु स्वास्थ्य**
1.	पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण (पूंजीगत)
2.	पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों में अतिरिक्त दवा/साजसज्जा आदि की व्यवस्था
3.	पशुओं में अन्तः कृमियों के नियंत्रण हेतु सामूहिक रूप से दवापान
4.	पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों पर नियंत्रण हेतु वैक्सीन की व्यवस्था
	ब–पशुधन विकास
1.	पशुओं में बांझपन निवारण हेतु बांझपन शिविरों का आयोजन
2.	दुग्ध समितियों के मार्गों पर उपलब्ध पशुओं को अतिरिक्त सुविधा
3.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृडीकरण एवं स्थापना
	स–भेड एवं ऊन विकास
1.	भेडों को पारजीवी किटाणुओं से बचाव के लिये उन्हें सामूहिक रूप से दवापान
	द–अन्य पशुधन विकास
1.	ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शनियों का आयोजन
	य–चारा विकास
1.	चारा विकास कार्यक्रम का सुदृडीकरण

(2)	**राज्य सेक्टर योजनायें**
1.	उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलेंपमेंन्ट बोर्ड के संचालन हेतु वित्तीय सहायता
2.	उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष को सुविधायें
3.	पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को सुविधायें
(3)	**केन्द्र पोषित/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें**
1.	खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण योजना (50 प्रतिशत के0पो0)
2.	उत्तरांचल कुक्कुट विकास/प्रसार एवं विपणन ऐजेंन्सी (80 प्र.के.पो.)
3.	रिन्डरपेस्ट उन्मूलन योजना (100 प्रतिशत के.पो.)
4.	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट की स्थापना (50 प्र.के.पो.)
	चारा बैंकों की स्थापना (75 प्र.के.पो.)
5.	सांख्यिकीय इकाई की स्थापना
6.	पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) (75 प्र.के.पो.)
7.	17वीं पशु गणना का कार्य किये जाने की योजना (100 प्र.के.पो.)
8.	उत्तरांचल पशु चिकित्सा परिषद
(4)	**बाह्य सहायतित योजना**
(5)	**विश्व बैंक की योजना**
(6)	**अन्य योजना**

पशुपालकों एवं ग्रामीणों के प्रति विभाग की प्रतिबद्वता–

पशुपालन विभाग द्वारा किसानो के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैः–

1. पशुचिकित्सा एवं रोग के रोकथाम हेतु निरन्तर सेवायें 291 पशुचिकित्सालयों, 14 ''द'' श्रेणी औषधालयों तथा 584 पशुसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में पशुचिकित्सालय तथा ग्राम्य स्तर पर 'द' श्रेणी औषधालय/पशु सेवा केन्द्र उपलब्ध है।

2. विभिन्न पशु बीमारियों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार की 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एस्कैड योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के पशु रोंगो के नियंत्रण हेतु ग्राम स्तर तक सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जॉच/पैथोलोजी की सुविधा मण्डल स्तर पर 2 मण्डलीय रोग निदान प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

3 पशुओं में खुरपका – मुॅहपका पशु प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पशुपालकों के 50 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

4. मुर्गियों की प्रमुख बीमारियों के निदान एवं नियंत्रण प्राप्त करने हेतु दो प्रयोगशालायें क्रमशः कोटद्वार, पौड़ी व रूद्रपुर, उधमसिंहनगर में कार्यरत है।

5. वर्तमान समय में बांझपन पशुओं उर्वरकता में ह्रास की जटिल समस्या हो रही है। जिसके निवारण हेतु विशेष बांझपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालको को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

6. पशुधन विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रमुख रुप से गायों एवं भैंसो में प्रजनन कार्य अतिहिमिकृत वीर्य तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है। प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ करने हेतु उत्तरांचल पशुधन विकास परिषद का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से गाय, भैंस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिए विशेष सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही है।

7. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु संशोधित गोवध निवारण अधिनियम लागू किया जा चुका है।

8. हरे चारे की व्यवस्था में बायोमास, प्रमाणित चारा बीज उत्पादन, मिनीकिटों द्वारा चारा प्रर्दशन सिल्वीपाश्चर विकास पर बल देते हुए उन्नतशील चारा बीज के मिनीकिटों का वितरण किया जा रहा है।

9. भेड़ बकरियों के नस्ल सुधार हेतु 12 भेड़ प्रक्षेत्र, 113 भेड़ और प्रसार केन्द्र, 1 सघन भेड विकास प्रायोजना तथा एक बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों, 2 सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों व 1 अश्व गर्दभ व खच्चर प्रजनन प्रक्षेत्र के माध्यम से उत्पादित उन्नत नस्ल के मेढा साण्ड, बकरा साण्ड, अश्व तथा सूकर साण्ड का वितरण नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढावा देने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

10. भेड प्रजनन कार्यक्रम में सामूहिक दवापान, ऊन की शियरिंग, ऊन क्रय विक्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

11. कुक्कुट पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान में 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक–ऋषिकेश, हवालबाग–अल्मोड़ा तथा बिण पिथौरागढ़ में कार्यरत है। जिनके माध्यम से कायलर व ब्रायलर कुक्कुट पक्षियों का उत्पादन कर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बी0पी0एल0 परिवारों को उचित मूल्य पर वितरित किया जा रहा है।

12. बेराजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवक युवतियों को लाभान्वित करने के लिए मिनी डेयरी, बकरी, भेड, सूकर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना करवाई जा रही है।

13. पशुपालन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पशुपालकों को ग्रामों में ही उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में हर शनिवार को पशुपालकों का शिविर/गोष्ठी आयोजित की जा रही है तथा वहीं पर आवश्यक विभागीय सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही है।

14. विभिन्न रोगों के टीकाकरण तथा चिकित्सा हेतु औषधि, वैक्सीन आदि की जो व्यवस्था अब तक जनपद स्तर पर की जा रही थी उसे राज्य स्तर पर ही सम्पादित किया जा रहा है ताकि इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

15. प्रदेश में पशुपालन से सम्बन्धित सभी विभागों कार्यवयी संस्थाओं को एक छत नीचे लाकर (बोर्डोका गठन कर) एक दूसरे विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों का एक दूसरे विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों की डबटेलिग सभी कार्यदायी विभागों द्वारा संचालित पशुपालन सम्बन्धी परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभिन्न स्थापित बोर्डो, (उत्तरॉचल लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, उत्तरॉचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड एवं पशु कल्याण बोर्ड) के एक छतरी के नीचे होने के कारण उपलब्ध संसाधनों का व्चजपउनउ उपयोग,योजनाओं की विस्तृत एवं अधावधिक जानकारी की उपलब्धता एक ही प्रकृति के कार्यो की समस्त सूचनाएँ एक ही स्थान पर (बोर्ड के माध्यम से) उपलब्ध होने के कारण, समीक्षा प्रभावी रूप से की जानी चाहिए।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किये जाने वाले शुल्कों का विवरण निम्नवत हैः–

(अ) पशु प्रजनन एवं चिकित्सा सेवायेंः–

क्र0 सं0	सेवा का विवरण	सेवा शुल्क (रुपये)
1.	**कृत्रिम गर्भाधान**	
	अ. मुख्यालय पर	50.00
	ब. पशु स्वामी के द्वार पर	50.00
2.	**प्राकृतिक गर्भाधान शुल्क**	
	क. गाय/भैंस	75.00
	ब. घोड़ा/गधा	100.00
	स. बकरा साण्ड	5.00
	द. सूकर साण्ड	5.00
3.	**चिकित्सा शुल्क**	
	अ. बड़े पशु	10.00
	ब. भेड़/बकरी/सूअर	5.00
	स. कुत्ता/बिल्ली	40.80
4.	**टीकाकरण शुल्क**	
	अ. एच.एस./बी.क्यू.	2.50
	ब. आर.पी.	1.50
	स. आर.डी.	–
	द. एफ.पी.	0.80
	य. स्वाइन फीवर	7.00
	र. पी.पी.आर.	1.00
	ल. एफ.एम.डी.	3.20
	व. एन्टेराटोक्सेमिआ	3.70
5.	**बधियाकरण**	
	अ. मुख्यालय पर– बड़े पशु	13.70
	ब. मुख्यालय पर– छोटे पशु	10.90
	स. पशु स्वामी के द्वार पर– बड़े पशु	20.30
	द. पशु स्वामी के द्वार पर– छोटे पशु	13.60
6.	**शव विच्छेदन शुल्क**	
	अ. बड़े पशु गाय/भैंस/घोड़ा आदि	100.00
	ब. छोटे पशु भेड़/बकरी/सूकर	20.00
7.	**स्वास्थ्य परीक्षण**	
	अ. बड़े पशु	50.00
	ब. छोटे पशु	20.00
8.	**रोग निदान सेवायें**	
	अ. रक्त की जॉच	10.00
	ब. गोबर/मल की जॉच	5.00
	स. मूत्र की जॉच	5.00

सूचनाओं की उपलब्धता

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों तथा अन्य वैज्ञानिक जानकारियॉ उनके निकटस्थ पशु सेवा केन्द्रों अथवा पशु चिकित्सालय से प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा अधिकतम कार्यक्रम उनके द्वारा ही संचालित किये जाते है।

शासन की पारदर्शिता की नीति के अन्तर्गत जन सामान्य को विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी के साथ प्रयोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की अद्यावधिक जानकारी/शिकायतों का निस्तारण/समाधान तथा अन्य जानकारियॉ प्राप्त करने हेतु हेतु प्रान्तीय स्तर पर विभागाध्यक्ष/निदेशक/अपर निदेशक, मण्डलीय स्तर पर उप निदेशक पशुपालन विभाग से तथा जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, जिनके कार्यालय स्थित दूरभाष निम्नवत है।

क्र0सं0	स्तर	सम्पर्क अधिकारी का नाम	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	2	3	4
1.	राज्य स्तर	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल, गोपेश्वर–चमोली	01372–252266
2.	मण्डल स्तर पर	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	01368–222480
		उप निदेशक, पशुपालन विभाग, सघन भेड़ विकास प्रायोजना, पौड़ी	01368–222489
		उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल	05942–236204
		उप निदेशक, पशुपालन विभाग, सघन पशु विकास प्रायोजना, हल्द्वानी, नैनीताल	05946–222035
		उप निदेशक, पशुपालन विभाग, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक–ऋषिकेश	0135–2453398
3.	जनपद स्तर पर	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	05942–248637
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	05944–242787
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	05962–232289
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	05963–220041
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	05964–225319
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत	05965–230843
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	0135–2712891
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	01368–223084
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, टिहरी	01378–227296
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चमोली	01372–252273
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग	01364–233251
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	01374–222320
		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	01334–239978

अपील

1. पशुपालक अपने जनपद/क्षेत्र में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी अपने निकटस्थ पशु सेवा केन्द्र पशुचिकित्सालयों से प्राप्त कर संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ उठायें।

2. अपने बहुमूल्य पशुओं को विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु वार्षिक सुरक्षात्मक टीका कार्यक्रम के अनुसार समय पर टीके लगवायें। पशुपालक जानते है कि घातक संक्रामक रोगों द्वारा पशुओं में शारीरिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है।

3. अपने गौ एवं महिषवंशीय पशुओं को समय पर उच्च नस्ल के गाय, जर्सी से फ्रीजिन तथा भैंसों को मुर्रा नस्ल के साण्डों/अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा गर्भित करवायें। यह सुविधा उत्तरॉचल लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा पशुपालन के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके लिए आप निकटतम, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र के प्रभारी से सम्पर्क स्थापित करें तथा नैसर्गिक अभिजनन हेतु साण्ड पालक से सम्पर्क करें।

4. स्थानीय गायों के दुग्ध उत्पादन में वृद्वि हेतु निम्न स्तरीय पशुओं को विदेशी मूल के हालस्टीन फ्रीजियन अथवा जर्सी पशुओं सं संकरण तथा अपने पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उसे हरा चारा/दाना निर्धारित मात्रा पर (शारीरिक भार एवं उत्पादन क्षमता के अनुसार)लवण, मिश्रण आदि संतुलित मात्रा में अवश्य खिलायें। आपके पास उपलब्ध पशुओं के अनुसार जानकारी निकटतम संस्था से प्राप्त की जा सकती है।

5. पशुओं को हरे चारे की निरन्तर उपलब्धता हेतु अपने खेतों पर विभिन्न फसल चक्रानुसार चारे का उत्पादन अवश्य करें, ताकि निश्चित मात्रा में पशुओं का हरा चारा उपलब्ध हो सकें जिसके अभाव में पशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और अधिक दाना/राशन खिलाना पशुपालक के लिए आर्थिक रूप से लाभदायी नही है।

हरा चारा उत्पादन का कैलेन्डर

चारा	किस्म	बुआयी का समय	बीज मात्रा किग्रा/है.	खाद किग्रा/है	सिंचाई	परिपक्व होने का समय	उत्पाद टन/है	रिमार्क
ज्वार	पूसा चरी एम.पी.चरी	मार्च जुलाई	50	छ.100 दो बार में	3–4 बार गर्मी में	80–90 दिवस	30–35	गर्मी के मौसम में भ्छ विषाक्ता से बचने से पहले फूल आने से पहले पशु को न खिलायें
मक्का	गंगा 5–2	मार्च से अगस्त	60–75	N.100	4–6 बार	60–70 दिवस	30–35	–
लोबिया	HC-42 K-397	अप्रैल से जुलाई	40–50	N.25 P-50	2–3 बार	60–70 दिवस	35	–
ज्वार	FS-277 HCF-119	जून से जुलाई	35–40	N-20 P-40	1–2 बार	65–85 दिवस	30–35	–
जई	हरियाणा जेवी केन्ट W. 11 अल्जीरियन	मध्य अक्टूबर से अंतिम दिसम्बर तक	75–80	N.60–75 P-25–30	3–4 बार	110 दिवस अल्पकालीन 130–140 दिवस दीर्घकालीन	45–50	–
वरसीम	मस्कावीं वरदान T-5, 26, 780	मध्य सितम्बर से 25–30 नवम्बर तक	25–30	N.25 P-80	15–20 दिन के अन्तराल पर जाडे में 10–15 दिन के अन्तराल पर गर्मी में	पहली कटाई 50–60 दिन में दूसरी तीसरी 30–35 तत्पश्चात 20 दिन बाद	75–80	बीज का कल्वर से उपचार
लूसर्न	T-9 (बहुवर्षीय) आनन्द 2 (वार्षिक)	अक्टूबर से नवम्बर से	15	N-25 P-80	20 दिन के अन्तराल पर जाडे में 40 दिन के अन्तराल पर गर्मी में	पहली कटाई 60 दिवस पर फिर 20–30 दिन बाद	50–70	मई जून में बढोत्तरी होती है।

चारा	किस्म	बुआयी का समय	बीज मात्रा किग्रा/है.	खाद किग्रा/है	सिंचाई	परिपक्व होने का समय	उत्पाद टन/है	रिमार्क
नेपियर बाजरा हाइब्रिड	NB.21 NB-3	मार्च से जुलाई	3600 जड़	N-200	10 दिन गर्मी में 20 दिन जाडे मे अन्तराल पर	60 दिन में पहली कटाई फिर 40 दिवस में	150	—
सूडान	S.S.G.-59	अप्रैल–मई	30	N-100	15–20 दिन में कटाई	50–55 दिवस पर	75	तीन कटाई मिलती है।
पैरा ग्रास		जून	10	N-30	1–2 बार	80–90 दिवस में पहली कटाई	150	जल भराव इलाके के लिए उपयुक्त है।
अंजल घास	पूसा जाइंट	जून	8–10	N-30 किग्रा. बीते समय 30 किग्रा. बाद में कटाई के पश्चात	1–2 बार	100 दिवस में पहली कटाई, 2–5 कटाई पहला दूसरा और तीसरा वर्ष	20–25	—

उत्तरॉचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड

पशुलोक–ऋषिकेश (देहरादून)

टेलीफैक्स : (0135) 2452052

(मैनुअल–17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तरः

18.1 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

- आवेदन पत्र (संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति सहित)
- शुल्क
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मॉगी जाये (कुछ टिप्स)
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व अपील करने की प्रकिया

18.2 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरणकोई नही
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक व वित्तीय लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- लाभार्थी की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हों)
- अनुदान/सहायता (यदि हो) कुछ नही
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण लागू नही
- अनुदान राशि सहित लागू नही
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रकिया लागू नही
- आवेदन के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो) कुछ नही
- अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो) कोई नही
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करें) कोई नही
- संलग्नकों की सूची कोई नही
- संलग्नकों का प्रारूप संलग्न है
- आवेदन करने की प्रकिया चयन प्रकिया
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी (यदि हो)
- प्रशिक्षण के समय/अवधि के बारे में आवेदन को सूचित करने का तरीका
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य
- विभिन्न स्तर यथा– जिला स्तर, ब्लाक स्तर आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में जो मैनुअल 13 में न सम्मिलित हों:

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण
- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता
- आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो)

- अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करें)
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहॉ उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएँ पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
- आवेदन की सारी औपचारिकताएँ सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि
- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो)
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो) लागू नही

18.4 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में :

- पंजीयन का उद्देश्य
- आवेदक की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो)
- आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो) कोई नही
- अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो) कोई नही
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करें – संलग्न है
- संलग्नकों की सूची कोई नही
- संलग्नकों का प्रारूप कोई नही
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहॉ उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएँ पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
- आवेदन की सारी औपचारिकताएँ सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि
- प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो) कोई नही
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो) कोई नही

18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax etc. द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में

- टैक्स का नाम व विवरण
- टैक्स लेने का उद्देश्य
- टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदण्ड व प्रक्रिया
- बडे (Major) बकायेदारों (Defualter) की सूची लागू नही

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में सूचना (यह स्थानीय निकाय यथा– नगरपालिका/नगर परिषद/यू0पी0सी0एल0 द्वारा दी जानी है)

- आवेदक की पात्रता
- पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो)
- आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो)
- अन्य शुल्क/देय (जहॉ उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करें
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहॉ उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएँ पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है
- बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण
- बिल तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना
- टैरिफ तथा अन्य देय लागू नही

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

18.8

उपयोगी जानकारियॉ यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0

लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।

सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

- आवेदन पत्र, प्रारूप शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मॉगी जाय–आवेदन प्रारूप निर्धारित होने के उपरान्त
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा सूचना न देने पर शासन द्वारा राज्य सूचना आयुक्त से अपील भी की जा सकती है, जिसकी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की जा रही है।

लोक प्राधिकारी द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में:–

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण– भेड़ पालकों को भेड़पालन, प्रबन्धन मशीन द्वारा ऊन कतरन, संक्रामक बीमारियॉ तथा उनकी रोकथाम आदि का प्रशिक्षण।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समयसीमा–प्रत्येक वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से माह मार्च
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य–भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करते हुए भेड़ों में होने वाली प्रमुख बीमारियॉ तथा उनकी रोकथाम, मशीन द्वारा ऊन कतरन कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य– वर्ष 2004–05 में तीन दिवसीय 15 प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन भेड़ पालकों के ग्रामों में करते हुए प्रत्येक कैम्प में 20 भेड़ पालकों को प्रशिक्षण

प्रदान किया गया। इस प्रकार 300 भेड़ पालकों को लाभान्वित किया गया। प्रत्येक कैम्प रू0 10,000/– मानक के अनुसार कुल रू0 1.50 लाख का व्यय सुनिश्चित किया गया, जिसमें भेड़पालकों के आने–जाने, रहने खाने का व्यय, साहित्य एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध में व्यय किया गया।

- लाभार्थी की पात्रता– लाभार्थी का भेड़पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षायें– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- अनुदान/सहायता– कोई नही।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण– कोई नही।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रकिया– कोई नही।
- आवेदन करने के लिये कहॉ/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
- आवेदन शुल्क– कोई नही।
- अन्य शुल्क– कोई नही।
- आवेदन पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नही।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नही।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- चयन प्रक्रिया–प्रार्थना पत्र/आवेदन–पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर गठित चयन समिति जिसमें ग्राम प्रधान, विकासखण्ड स्तर के पशुचिकित्साधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित कर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी–प्रशिक्षण कार्यकम सामान्यतः माह सितम्बर सप्ताह से माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित हे।
- प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका–डाक द्वारा/––––सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा बताये जाने वाले कार्य–क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से ग्राम को अवगत कराते हुए भेड़ पालकों को जागरूक किया जाना है।

18.1 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण– भेड़पालक प्रशिक्षण
- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता– प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक अनिवार्य है
- आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करें–क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी
- आवेदन शुल्क– कोई नही।
- अन्य शुल्क– कोई नही।
- आवेदन पत्र का प्रारूप–प्रार्थना पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नही
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नही।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधकारी उपलब्ध करायेंगे।

- चयन प्रक्रिया–प्रार्थना पत्र/आवेदन–पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर गठित चयन समिति जिसमें ग्राम प्रधान, विकासखण्ड स्तर के पशुचिकित्साधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित कर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के
- अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी है।
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया–प्रशिक्षण कार्यक्रम/करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रदान करना।
- आवेदन की सारी प्राथमिकताएँ सही तरीके से पूरी करने के पश्चात प्रमाण–पत्र/प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि–प्रशिक्षण प्राप्ति के तुरन्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।
- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा– कोई नही
- नवीनीकरण की प्रक्रिया– कोई नही

18.2 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में :

- पंजीयन का उद्देश्य– भेड़ पालकों को समस्त विभागीय सुविधाएँ प्रदान करने उनके सत्यापन हेतु। यदि भेड़ पालक किसी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो यह उपयोगी।
- लाभार्थी की पात्रता–लाभार्थी का भेड़ पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षाएँ– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करें – क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
- आवेदन शुल्क–कोई नही
- अन्य शुल्क –कोई नही
- आवेदन पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नही
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नही
- आवेदन करने की प्रक्रिया–भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया–प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्थान निर्धारित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- आवेदन की सारी प्राथमिकताएँ सही तरीके से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि–प्रशिक्षण प्राप्ति के तुरन्त पश्चात प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।
- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा–कोई नही।
- नवीनीकरण की प्रक्रिया–कोई नही।

18.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में–कोई नही

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के संयोजन को अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में– कोई नही।

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण–लोकप्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त ऊन विपणन में अन्य विभागों जैस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से सहायता देना तथा कताई बुनाई की नई तकनीकों की जानकारी देना।

बर्ड फ्लू
निगरानी एवं नियत्रंण
कार्य योजना

पशु पालन विभाग,
उत्तरॉचल

विषय सूची

क्र.सं	विषय
	प्रस्तावना
	परिचय
1.0–1.17	बर्ड–फ्लू फैलने की आशंका की स्थिति में रोकथाम के उपाय
2.0–2.17	बर्ड फ्लू प्रमाणित होने की स्थिति में नियंत्रण एवं निगरानी कार्ययेाजना
3.0–3.5	संक्रमित प्रक्षेत्र के कार्मिकों हेतु सलाह
संलग्नक–1	पशु चिकित्साधिकारी हेतु किट
संलग्नक–2	रोग निदान अधिकारी हेतु किट
संलग्नक–3	रोग नियन्त्रण प्रश्नावली
संलग्नक–4	संक्रमित नमूने भेजने के प्रपत्र
2.0–2.17	बर्ड फ्लू प्रभावित एवं सम्भावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करना
4.0	जनसामान्य हेतु सूचना
4.1	कुक्कुट पालकों द्वारा अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय
5.0	बर्ड फ्लू के सम्भावित प्रकोप पर निगरानी एवं नियत्रंण हेतु सूचना प्रबन्ध तन्त्र
5.1	बर्ड फ्लू के प्रमाणित हाने की स्थिति में निगरानी एवं नियत्रंण हेतु सूचना प्रबन्ध
	राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी शासनादेशों की प्रतियॉ

प्रस्तावना

उत्तरांचल राज्य की स्थापना भारत गणतन्त्र के 27वें राज्य के रूप मे 9 नवंम्बर 2000 को की गई थी। उत्तरांचल राज्य की सीमाएं उत्तर में चीन गणंतन्त्र उत्तर पूर्व में नेपाल दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य तथा पश्चिम मे हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से मिलती है। उत्तरांचल एक पर्वतीय क्षेत्र बाहुल्य राज्य हैं। सीमावर्ती जनपदों एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रो कें ग्रामीण एवं उप नगरीय क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। सीमावर्ती जनपदों यथा चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, पिथौरागढ़, के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है। पशुपालन व्यवसाय के माध्यम से प्रति वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग रू 1500 करोड़ का योगदान किया जाता है। तथा प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख मानव श्रम दिवसों के समतुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करायें जाते है। इस प्रकार पशुपालन व्यवसाय का उत्तरांचल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

17 वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना 2003 के अनुसार उत्तरांचल में लगभग 50 लाख पशुधन एवं 20 लाख कुक्कुट उपलबध हैं। पशुधन एंव कुक्कुट को स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा, टीकाकरण एवं प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व पशुपालन विभाग का हैं। उत्तरांचल में अवस्थापित राजकीय एवं निजी कुक्कुट परिक्षेत्रों को बर्ड फलू महामारी से बचाने के लिए निगरानी एवं नियन्त्रंण दिशा निर्देश कार्ययोजना के रूप में पशुपालन, डेरी एंव मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किए गए है।

बर्ड फ्लू निगरानी एंव नियत्रंण दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन राज्य स्तर पर पशुपालन विभाग, उत्तरांचल द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कुक्कुट पालकों, प्रक्षेत्र प्रबन्धको, निजी कुक्कुट फार्म प्रबन्धको द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंत्रण हेतु कार्य योजना के क्रियान्वयन में कतिपय भाषागत असुविधा को इंगित किया गया था। इसलिये क्षेत्रीय परिवेक्षक अधिकारियों एवं कार्मिकों के उपयोगार्थ बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियत्रंण दिशा निर्देशों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है। बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंन्त्रण कार्य–योजना का हिन्दी अनुवाद एवं प्रस्तुतिकरण डा0 प्रेम शंकर यादव, पशुचिकित्साधिकारी, जलागम प्रबन्ध निदेशालय एवं डा0 अविनाश आन्नद पशुचिकित्साधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, सुभाष नगर देहरादून, के सहयोग से किया गया है। जो कि एक सराहनीय प्रयास है।

बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंत्रण कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में उपलब्ध 20 लाख कुक्कुट प्रक्षेत्र को बर्ड फ्लू की महामारी से बचाव करने में मदद मिलेगी तथा असमय रोग के कारण कुक्कुट की क्षति को बचाया जा सकेगा। उपभोक्ताओं से गुणवता पूर्ण कुक्कुट उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। समस्त विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकरियों को मैं बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियत्रंण कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा करती हूँ।

(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेशक
पशुपालन पालन विभाग
देहरादून

परिचय

देश के विभिन्न भागों में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए कुवकुट प्रजाति के रक्त के नमूने जॉच के लिए बर्ड–फ्लू निगरानी एवं नियंत्रण कार्य योजना के अंतर्गत एकत्रित किए जा रहे है। पशु अभ्यारणों एवं पक्षी विहारों में अप्रवासी पक्षियों के रक्त के नमूनों की भी जॉच की जा रही है। हजारों नमूनों की जॉच की जा चुकी है और समस्त नमूने बर्ड–फ्लू वाइरस के लिए नकारात्मक पाए गए है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश कें समस्त कुवकुट प्रजाति के पक्षी अभी तक बर्ड फ्लू से ग्रसित नहीं है। अतः कुवकुट पालकों, कुवकुट फार्म प्रबन्धकों, कुवकुट उत्पाद विक्रेताओं एंव उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सावधान रहने की निगरानी एवं नियन्त्रंण व्यवस्था को चुस्त दुरस्त रखने की और किसी भी विपदा से निपटने के लिए तैयार रहने की। इसी उद्देश्य से बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंन्त्रण कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। पशुपालन व्यवसाय की तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। प्रान्तीय सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से पशु रोग नियन्त्रण एवं पशु सर्वधन हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित करती है। बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंन्त्रण कार्ययोजना का क्रियान्वयन सम्बंधित राज्य सरकारों के पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू को रोकने के लिए कुवकुट पालकों एवं उपभोक्ताओं के सतत सम्पर्क में रहें तथा किसी भी प्रकार अफवाहों को न फैलने दें तथा जनता को भ्रमित होने से बचांए। कुवकुट पालकों, उपभोक्तओं कुवकुट उत्पाद विक्रेताओं को, प्रेस मिडिया को सही सूचनाओं की जानकारी दें। इसलिए यह परम आवश्यक है कि पशुपालन विभाग के कार्मिकों के लिए बर्ड फ्लू की निगरानी एवं नियन्त्रण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उपलबध कराए जाए।

पशु पालन विभाग के कार्मिकों, कुवकुट फार्म प्रबन्धकों एवं उपभोक्ताओं के सहयोगार्थ निगरानी एवं

नियंन्त्रण कार्य योजना को निम्नलिखित तीन भागों में बॉटा गया है।

1. बर्ड फ्लू महामारी फैलने की आशंका की स्थिति में रोगथाम हेतु कार्य योजना।
2. बर्ड फ्लू महामारी की रोगथाम हेतु कार्य योजना।
3. बर्ड फ्लू संक्रमित कुवकुट की देखरेख कर रहे कार्मिकों हेतु सलाह।

यहां यह स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि कुवकुट पक्षियों की श्रेणी में कुवकुट, बत्तख,टर्की, गिनी फाउल एवं बटेर आदि सम्मिलित है।

1.0 बर्ड फ्लू फैलने की आशंका की स्थिति में रोकथाम कार्य–योजना

सर्तक एवं तैयार रहने की आवश्यकता

1.1 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं सम्बंधित क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों को राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं निजी कुक्कुट प्रबन्धकों के साथ सतत सम्पर्क में रहना चाहिए तथा महामारी फैलने की आंशका की स्थिति में सम्बधिंत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को फोन, फैक्स या ई–मेंल द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना तत्काल भेजी जानी चाहिए।

1. कुक्कुट प्रक्षेत्र पर सामान्य से अधिक मृत्युदर होना।
2. कुक्कुट रोग के लक्षण, जिसका निदान न हो रहा हो।
3. पक्षी विहार में पक्षियों की अकारण मृत्यु होना ।

सूचना तंन्त्र का विकास, इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी को कुक्कुट पालक किसी भी संदिग्ध अवस्था में तुरन्त सूचित करें। तथा पशुधन प्रसार अधिकारी प्राप्त सूचना को तत्काल स्थनीय पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराएगें। स्थिति की गंम्भीरता को देखतें हुए पशुचिकित्साधिकारी समस्त सूचनाएं फोन फैक्स या ई–मेल के द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलबध कराना सुनिश्चित कराएगें। पशु अभ्यारण एवं पक्षी विहार के प्रभारी अधिकारी किसी भी संदेहास्पद स्थिति मे अप्रवासी पक्षियों की मृत्यु की सूचना स्थनीय पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगें।

1.2 निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तरांचल समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों एवं रोग नियत्रंण अधिकारियों को बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सलंग्नक 1 एवं 2 पर निर्दिष्ट किट्स उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में कम से कम 5 फोगिंग मशीन और 20 सैट सुरक्षा कपड़े होने चाहिए तथा दो या तीन फोगिंग मशीन संक्रमित क्षेत्र के दौरे के समय तथा एक जोड़ी सुरक्षा कपड़े प्रभावित स्थल का दौरा करते समय ले जाने चाहिए।

प्राथमिक सूचना मिलने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रभावित स्थल का दौरा

1.3 कुक्कुट प्रक्षेत्र में संक्रमण अथवा उच्च औसत मृत्यु दर अथवा पशु अभ्यारण/पक्षी विहार में पक्षियों के बीमार होने/मृत्यु होने पर पशुचिकित्साधिकारी/अन्य माध्यम से सूचना प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्तर्गत मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुरोग निदान अधिकारी के साथ उक्त स्थल का दौरा करना सुनिशचित करेगें। पशुरोग निदान अधिकारी के पास संलग्नक 2 के अनुसार एक पशुरोग निदान किट होनी चाहिए जिससे कि वह प्राथमिक और नैदानिकी परीक्षण कर सकें और नमूने एकत्र कर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेज सके ।

पशुरोग निदान अधिकारी और उसके सहायक को बचाव वाले कपड़े पहनकर संक्रमित स्थल पर जाना चाहिए जहां पक्षियों का रखा गया हो। यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त वस्त्र और उपकरण कीटाणु रहित हों और पूर्व में प्रयोग न किए गए हो।

पशु रोग निदान अधिकारी के द्वारा प्राथमिक एवं नैदानिकी परीक्षण

1.4 पशु रोग निदान अधिकारी द्वारा समस्त सुरक्षा वस्त्र चैजिंग रूम में पहनने चाहिये और चैजिंग रूम में रोग नियंन्त्रण अधिकारी की किट को छोड़ना जिसमें निम्नलिखित सामान होना चाहिएः–

1. लीक प्रूफ वाटर कन्टैनर।
2. नमूने रखने वाला थरमोकोल बाक्स ।
3. दो जोड़ी सरर्जीकल दस्तानें।
4. पॉच आटोक्लवेबिल प्लास्टिक के बैग्स।
5. पॉच काले रविस बैगस।
6. कीटाणुनाशक घोल।

पशु रोग निदान अधिकारी किट का अवशेष सामान अपने साथ कुक्कुट शेड ले जा सकते है।

1.5 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशु रोग निदान अधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र करनी चाहिएः–

1. सर्व प्रथम उत्पादन इकाईयों ,उत्पादन उप–इकाईयों का चिन्हीकरण।
2. प्रक्षेत्र पर कुवकुट एवं अन्य पशुओं की संख्या।
3. प्रक्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों एवं वाहनों की पहचान एवं संख्या।
4. कार्मिको, उपकरण, वाहन, पशु/कुवकुट के आवागमन का विवरण।
5. कीटाणु नाशक एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता का विवरण।
6. कुक्कुट एवं पशुओं की रोगों से लड़ने की क्षमता की जानकारी/टीकाकरण आदि।

1.6 संक्रमित एवं संभावित कुक्कुट एंव पशुओं की पशु रोग निदान अधिकारी द्वारा नैदानिकी परीक्षण कर प्रक्षेत्र पर रोग संक्रमण की स्थिति का आंकलन करना चाहिए। प्रक्षेत्र पर समस्त सम्भावित/संक्रमित कुक्कुट एवं पशुओं का नैदानिकी परीक्षण किया जाना चाहिए। नैदानिकी परीक्षण प्रक्षेत्र की विभिन्न इकाईयों पर पृथक–पृथक किया जाना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम विवरण को विशेष सावधानी पूर्वक संग्रहित करना चाहिए। पशुरोग निगरानी विवरण संलग्न 3 तीन पर उपलब्ध प्रपत्र पर किया जाना चाहिए तथा विवरण में निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य संकलित की जानी चाहिएः–

1. संक्रमण के संकेत मिलने पर पशुओं/कुक्कुट के आवगमन का 20 दिन तक लेखा जोखा रखना चाहिए।
2. समस्त प्रक्षेत्र कार्मिकों, उनके संबंधी, पशुचिकित्साधिकारी/एवं अन्य व्यक्तियों के आवागमन का लेखा–जोखा रखना चाहिए।
3. फार्म पर उपलब्ध समस्त वाहन चाहे इनका सम्बन्ध कुक्कुट/पशुओं से हो या न हो का लेख–जोखा रखा जाना चाहिए।

समस्त पशु रोग निगरानी एवं नियन्त्रंण सूचनायें संलग्नक–तीन के अनुसार संकलित कर फैक्स/ई–मेल द्वारा तत्काल निदेशक, पशुपालन विभाग,उत्तरांचल को अति शीघ्र उपलबध कराना सुनिश्चित करायें। प्रत्येक संक्रमित कुक्कुट को प्रजाति के आधार पर चिन्हित कर लेखा–जोखा रखा जाए। जिसमें प्रजाति के साथ–साथ संक्रमण के चिन्ह दिखाई देने की तिथि, रोग के लक्षण तथा मृत्यु दर आदि का विवरण सम्मिलित होना चाहिए।

1.7 प्राथमिक एवं नैदानिकी रोग अन्वेषण के द्वारा बर्ड फ्लू होने की संम्भावना हो तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को तुरन्त रोग की रोगथाम एवं निगरानी हेतु वर्णित व्यवस्था को प्रभावी बनाना चाहिए।

यदि प्राथमिक एवं नैदानिकी परीक्षण के द्वारा बर्ड फ्लू संक्रमण की संभावना नहीं हो तो कुक्कुट पालको कुवकुट प्रक्षेत्र प्रबन्धको एवं उपभोगताओं के उपयोगार्थ सूचना का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

<u>निदेशक (पशुपालन)/जिलाधिकारी व अन्य को शीघ्र सूचित करें</u>

1.8 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, निदेशक,(पशुपालन)/जिलाधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी, जो कि राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर का हो को दूरभाष, फैक्स या ई–मेंल ,द्वारा सूचित करें तथा विभिन्न प्रतिबन्धों को, जिनका विवरण निम्नवत है, को प्रभावी रूप से लागू कराने में सहायोग प्राप्त करें।

<u>सर्तकता प्रक्षेत्र का चिन्हीकरण</u>

1.9 लगभग 10 कि0मी0 का प्रभावित सर्तकता प्रक्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के सभी गांवों को सर्तक्तता प्रक्षेत्र के अन्दर सम्मिलित किया जाना चाहिए।ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वह राजकीय पशुचिकित्साधिकारी एवं अन्य पशुचिकित्साविद् जो भी इस क्षेत्र के अन्तर्गत पशुचिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करते हों उनको सावधान किया जाए और उनसे अनुरोध किया जाये कि बर्ड फ्लू की रोक–थाम के लिए प्रभावी रूप से सहयोग करें।

<u>संग्रहित नमूनों को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा जाना</u>

1.10 निम्न प्रकार पेथोलोजिकल नमूनों को एकत्र करके उच्च सुरक्षा पशु रोग निदान प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाना चाहिए।

1. कम से कम पांच संक्रमित कुक्कुट को शव विच्छेदन जांच के लिए।
2. कम से कम पांच कुक्कुट के श्वास नलिकाएं एवं फेफड़ो के नमूने।
3. कम से कम पांच पक्षियों की आंतो के नमूने।
4. तीस स्वस्थ कुक्कुट या कम से कम 10 स्वस्थ कुवकुट के क्लोऐकल और ट्रेकियल स्वेब ट्रांसपोर्ट मिडियम/टीसू कल्चर मिडिया में रखकर भेजे जाने चाहिएं।
5. कम से कम 10 रक्त (सीरम) नमूने जांच हेतु भेजे जाने चाहिए।

समस्त संकलित नमूनों को अच्छी तरह से लीक प्रूफ कन्टेनर में पैक कर कोल्ड चेन बनाते हुए प्रयोगशाला भेजे जाने चाहिए। नमूने ले जाते समय उच्चकोटी की स्वच्छता बनाये रखनी चाहिए। तथा संक्रमण को रोकने के लिए डबल पैंकिग करनी चाहिएं। समस्त नमूने आईस बाक्स जिसमें चिलिंग बोटलस लगीं हो तथा जिनकों पूर्णतयाः जीवाणु रहित किया गया हो में संग्रहित कर भेजा जाना चाहिए। समस्त नमूनों के साथ संलग्नक चार के अनुसार विवरण अंकित होना चाहिए। रोग निदान अधिकारी एवं सहयोगी कार्मिक नमूने एकत्रित करने के दौरान समस्त सुरक्षा वस्त्र चेजिंग रूम में पहनें तथा समस्त उपकरण आदि, जो कि जीवाणु रहित किए गए हो, का उपयोग करें । समस्त एक बार प्रयोग में लाई जानी वाली वस्तुओं को एक पृथक प्लास्टिक बैग में रखा जा सकता हैं।

1.11 मुख्य पशुंचिकित्साधिकारी/रोग निदान अधिकारी के उस स्थान तक पहुंचने के 24 घण्टे के अर्न्तगत नमूनों को एकत्रित कर, किसी विशेष वाहक द्वारा उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल के लिए भेजा जाना चाहिए। वह संदेश वाहक जो नमूने लेकर जाय, की सूचना मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/रोग निदान अधिकारी द्वारा निदेशक (पशुपालन) को फोन/फैक्स द्वारा दी जाए। यह जरूरी नहीं कि लिखित अनुमति प्राप्त की जाए क्योंकि यह जरूरी है कि नमूने जल्द से जल्द भोपाल पहुचाएं जाएं । यदि आवश्यक हो तो सूचना वाहक जल्दी पहुंचने के लिए वायुयान का प्रयोग कर सकता है। उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल से अनुरोध है कि सारी जांच जितनी जल्दी हो सके पूरी कर लें। उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला भोपाल को नमूने प्रेषित करने की सूचना जल्द से जल्द टेलीफोन नं0, 0155–2759204 फैक्स नं0 0155–2758842 पर अग्रिम रूप से प्रेषित कर दी जाय। उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल को चाहिए कि वह संदेशवाहक के अस्थायी आवास की व्यवस्था स्थानीय रूप से करें। यह बहुत ही आवश्यक है, कि नमूनों की जांच वहां पहुचंने के तीन या चार दिन के अन्दर हो जानी चाहिए।

<u>प्रयोगशाला परिणाम प्राप्त होने तक संक्रमित स्थल पर रोकथाम हेतु व्यवस्था</u>

1.12 प्रयोगशाला परिणाम प्राप्त होने तक कुक्कुट प्रक्षेत्र को संन्देह की स्थिति में रखा जाए तथा निम्न लिखित प्रतिंबध लागू किए जाएंः–

1. कोई भी वाहन प्रभावित इलाके के अन्दर या बाहर न जाए। निजी वाहन फार्म के बाहर ही खड़े किये जाए।

2. कोई भी वस्तु जैसे कुक्कुट अण्डे, मृत कुवकुट तरल पदार्थ, प्रक्षेत्र के औजार और मशीन आदि न तो प्रक्षेत्र के बाहर लाई जाये और न ही बाहर की कोई वस्तु अन्दर लायी जाए।

3. प्रक्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिक हमेशा सुरक्षित वस्त्र पहनें जब वह प्रक्षेत्र के अन्दर ही हो जैसे चेहरे का मास्क, दस्ताने और गमबूट आदि। प्रक्षेत्र के बाहर जाते समय प्रक्षेत्र कार्मिक सारे सुरक्षित वस्त्र आदि प्रक्षेत्र में छोड़ कर जाएं और समस्त वस्त्र आदि को अच्छे जीवाणु नाशक घोल से जीवाणु रहित किया जाए।

4. प्रक्षेत्र कार्मिको का प्रक्षेत्र के अन्दर बाहर जाना कम कर दिया जाए। और कोई अन्य पशु/कुक्कुट का भी प्रक्षेत्र मे प्रवेश वर्जित किया जाय।

5. प्रक्षेत्र कार्मिक की भीतरी आवाजाही पर भी रोक लगायी जायें। वह किसी अन्य कुक्कुट प्रक्षेत्र/पक्षी विहार/पशु अभ्यारण में न आएं जाएं।

6. कीटनाशक दवाओं का प्रयोग सर्तकता से सम्पूर्ण प्रक्षेत्र में किया जाए।

7. समस्त कुक्कुट प्रक्षेत्र के अभिलेखों को नियमित रूप से भरा जाए।

8. प्रयोगशाला परिणाम प्राप्त होने के पूर्व समस्त कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद विक्रेताओं की दुकानो को बन्द रखने की सम्भावनाओं का आंकलन राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर तय किया जाए। संक्रमण का प्रसार होने तथा अधिक कुक्कुट प्रक्षेत्रों के प्रभावित होने की स्थिति में कुक्कुट उत्पादो की बिक्री पर पूर्ण प्रतिंबन्ध लगाया जाएं।

1.13 संक्रमित/संदेहशील कुवकुट प्रक्षेत्र के कार्मिको को लगाये गये प्रतिबन्धों के विषय में अवगत कराया जाए और प्रतिबन्धो का कठोरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चत किया जाए। जब यह रोक लगायी जाए तो इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए कि इन प्रतिबन्धों को लागू करने से कुक्कुट उत्पादकों एवं उपभोगताओं में किसी भी प्रकार के भय का वातावरण उत्पन्न न हो और अफवायें न

फैल सके। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका और स्थानीय प्रेस की मदद भी ली जा सकती है।

1.14 प्रयोगशाला परिणाम प्राप्त होने तक रोग निदान अधिकारी को चाहिए कि वह संदेहशील और प्रभावित क्षेत्रों के सभी कुवकुट प्रक्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करें और मृत्यु दर का अभिलेख अंकित करें। इस दौरान उन समस्त कुवकुट प्रक्षेत्रों के अभिलेख एक पृथक पंजिका में अंकित किए जाएं जिनमें सौ से अधिक कुवकुट उपलब्ध हों और जो प्रभावित/संक्रमित क्षेत्र की परिधि में आते हो।

1.15 उपरोक्त सभी प्रतिबन्ध बड़ी सावधानी एवं सर्तकता पूर्वक लगाये जाने चाहिए, और यदि प्रयोगशाला परिणाम नकारात्मक आये तो सभी प्रतिबंध तुरन्त हटाये जाने चाहिए। अगर कुवकुट पक्षियों में मृत्यु दर यथावत बनी रहे तो दूसरी जांच भी की जाए और मृत्यु दर कम करने के लिए अन्य तरीके अपनाये जाने चाहिए।

1.16 अगर संदेहशील/संक्रमित क्षेत्र पक्षी विहार/पशु अभ्यारण हो तो उपरोक्तानुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

<u>पशु चिकित्सा अधिकारी को नामित किया जाना</u>

1.17 प्रभावित क्षेत्र को छोड़ने से पहले मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/रोग निदान अधिकारी को चाहिए कि वह स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी को अपने विधिक कार्य क्षेत्र के अर्न्तत बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंन्त्रण कार्ययोजना प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नामित किया जाए जो कि कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रभारी अधिकारी से विचार विमर्श कर पक्षी विहार/पशु अभ्यारण में तैनात प्रभारी अधिकारी, संबंधित प्रक्षेत्र में बर्ड–फ्लू निगरानी एवं नियन्त्रण कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें।

2.0 बर्ड फ्लू प्रमाणित होने की स्थिति में

नियंन्त्रण एवं निगरानी कार्ययोजना

संक्रमित एवं निगरानी क्षेत्र की घोषणा

2.1 उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल के परिणाम द्वारा बर्ड फ्लू के संक्रमण होने की पुष्टि हो जाए तो समस्त विवरण तत्काल निदेशक, पशुपालन एवं सचिव/प्रमुख सचिव पशुधन को उपलब्ध कराया जाए। संक्रमित क्षेत्र की परिधि में लगभग 3 कि0मी0 तक के क्षेत्र के गांव एवं उपनगरीय क्षेत्रों के नाम आदि चिन्हित कर सूचना तत्काल निदेशक, पशुपालन एवं सचिव/प्रमुख सचिव पशुधन को प्रेषित की जाए ताकि संक्रमित क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने विषयक अधिसूचना जारी की जा सकें। और वहां एक साईन बोर्ड लगाया जाए जिसमें यह अकिंत हो कि 3 कि0मी0 वर्ग का इलाका बर्ड फ्लू के अर्न्तगत आता है। यह वहां की स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए।

वह एरिया जो 3–10 किमी के अन्तर्गत आता हो को सम्भावित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यह सम्भावित क्षेत्र संक्रमित और संक्रमण रहित क्षेत्र के बीच बफर जोन का काम करताहै।अगर टीकाकरण कार्य हो तो सम्भावित क्षेत्र को टीकाकरण के लिए चुना जाए।

सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा रिपोर्टिंग

2.2 सचिव/ प्रमुख सचिव संक्रमित क्षेंत्र की जानकारी राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों के संज्ञानार्थ तत्काल प्रस्तुत करेगें। सचिव/प्रमुख सचिव समस्त सूचनाएं पशुपालन आयुक्त तथा सयुंक्त सचिव (पशुस्वास्थ्य), पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली, को उपलबध करायेगे। समस्त संबन्धित संस्थाओं (स्थानीय/केन्दीय) को बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध जानकारी उपलब्ध करायेंगे। यह स्पष्ट करना आवश्यक है, कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ को बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्र की जानकारी केवल पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

नामित पशुचिकित्साधिकारी एवं सम्बंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियत्रणं कार्य योजना के प्रभावी कियान्वयन के लिए उत्तरादायी होगे।

2.3 उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा बर्ड फ्लू रोग के वायरस नमूनों में उपस्थिति प्रमाणित होने के उपरान्त रोग नियंन्त्रण एवं उन्मूलन हेतु समस्त प्रतिबंन्ध एवं प्रक्रियाएं जैसे कि प्रस्तर 1.12 में वर्णित हैं लागू की जानी चाहिए। बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र में निगरानी एवं नियंन्त्रण कार्ययोजना के प्रभावी कियान्वयन का उत्तरदायित्व इस कार्य हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, द्वारा नामित स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी का होगा। सम्बंन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी परिवेक्षक अधिकारी के रूप में बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियंन्त्रण कार्य योजना

के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें। यदि बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र पक्षी विहार/पशु अभ्यारण है तो समस्त प्रक्रियाएं प्रभारी अधिकारी से विचार विमर्श के उपरान्त निर्धारित की जाएंगी। किन्तु पक्षी विहार/पशु अभ्यारण की स्थिति में प्रस्तर 2.21 एव 2.22 के अर्न्तगत देय क्षति कीपूर्ति, उस स्थिति में जब पक्षियों को नष्ट करना आवश्यक हो, को देय नहीं होगी। बर्ड फ्लू प्रयोगशााला की जांचों द्वारा साबित होने पर सारी कार्यवाही एक बार दुबारा करनी चाहिए।

कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिंबन्ध

2.4 कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगायी जाएं और संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र पर कार्य करने वाले कार्मिक को किसी दूसरे कुक्कुट प्रक्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंन्धित किया जाना चाहिए। यह प्रयास किया जाए कि वन्य जीव–जन्तु एवं अप्रवासी पक्षी संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र के जल के संर्म्पक में न आएं। तथा संक्रमित क्षेत्र के उत्पादों का विपणन पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाए।

समस्त कुक्कुट आपूर्ति एवं कुक्कुट उत्पाद विपणन केन्द्रों को बन्द रखना

2.5 समस्त कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद विपणन केन्द्रों को, जो कि संक्रमित प्रक्षेत्र की परिधि के 10 कि0मी0 के क्षेत्र में सम्मिलित हो, को तुरंन्त बन्द कर देना चाहिए। यह समस्त कार्य ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं से विचार विर्मश कर किया जाना चाहिए।

समस्त वाहनों एवं कार्मिको की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिंबन्ध

2.6 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुरोग निदान अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के वाहनों को संक्रमित प्रक्षेत्र के बाहर 500 मीटर की दूरी पर खड़ा किया जाए। संक्रमित प्रक्षेत्र पर बाहरी व्यक्तियों एवं उपकरणों की आवाजाही पर प्रतिबन्धं लागू किया जाए। केवल उन्हीं उ उपकरणों के आवाजाही की अनुमति प्रदान की जाए जिनका प्रयोग बर्ड फ्लू के नियन्त्रंण हेतुअति आवश्यक हो। कीटनाशकों एवं जीवाणु नाशकों का प्रयोग वस्त्रों एवं उपकरणों की स्वच्छता निर्धारित करने के लिए किया जाए।

संक्रमित प्रक्षेत्र तक पहुंच

2.7 संक्रमित प्रक्षेत्र के सभी वस्त्रों को बदलना चाहिए। प्रक्षेत्र के सभी कार्मिकों को प्रक्षेत्र में प्रवेश करते समय डिपोजेब्ल गीयर, टोपी, जूते के कवर, आदि बदल देने चाहिए। वस्त्र बदलने का कमरा भी सुरक्षित होना चाहिए। उसमें बड़े–बड़े प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड के डिब्बे ,दस्ताने और उपयुक्त मात्रा में कीटनाशक होना चाहिए। किट के बचे हुए औजारों का प्रयोग कुक्कुट प्रक्षेत्र के भीतर ही होना चाहिए। सभी कार्य तुरन्त स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये जाने चाहिए।

1 संक्रमित प्रक्षेत्र के समस्त कार्मिको को निर्देशित किया जाए कि संक्रमित प्रक्षेत्र छोड़ने के तीन दिन तक संकमित प्रक्षेत्र के कार्मिक किसी अन्य कुक्कुट प्रक्षेत्र का दौरा न करें जिसमें जीवित कुक्कुट उपलब्ध हों और संक्रमण फैलने की संम्भावना हो। स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी एवं अन्य पशु चिकित्साविद् भी इस प्रतिबंध का अनुपालन करें।

2 संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र से जाते समय वहां खड़ें समस्त वाहनों को अच्छी तरह किसी कीटनाशक घोल से साफ करना चाहिए।

3 संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र में आते–जाते कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। वह जगह भी देखें, जहां प्रक्षेत्र कार्मिक अपनी सफाई करते हैं यह भी सुनिश्चित करे कि प्रक्षेत्र से जाते समय समस्त कार्मिक अपने डिस्पोजेबल गियर चेजिंग रूम में रखें तथा कीटाणुनाशक के द्वारा अपने हाथ पैर जूते इत्यादि साफ कर जल्दी घर लौट जाएं।

4 वाहन को अन्दर और बाहर से अच्छी तरह कीटाणुनाशक घोल से धोयें और वाहनों को संक्रमित प्रक्षेत्र से बाहर न जाने दिया जाए जब तक कि अत्यन्त आवश्यक न हो।

5 पानी से स्त्रों को प्रदूषित होने से बचाया जाए।

2.8 वाहनों एव प्रक्षेत्र कार्मिको की संख्या प्रक्षेत्र पर न्यूनतम कार्यो के संचालन हेतु सीमित की जाए। प्रक्षेत्र कार्मिक तब तक फार्म न छोंड़े जब तक कि उसने पूरी तरह कपड़े न बदल लिए हों और कीटनाशक घोल का प्रयोग न कर लिया हो। प्रक्षेत्र कार्मिक जो कुवकुट नष्ट करने का कार्य कर रहा हो को किसी सन्देंहशील कुवकुट प्रजाति के सम्पर्क में कम से कम 3 दिन तक न आयें।

<u>सक्रंमित कुक्कुट एवं सामाग्री को जलाकर नष्ट करना</u>

2.9 समस्त बीमारी की सामग्री एंव संक्रमित कुवकुट को स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी एवं स्थानीय अधिकारी जैसे नगर पालिका/पंचायत आदि की देख–रेख में नष्ट कर देना चाहिएं।

2.10 समस्त कुक्कुट उत्पाद जैसे कुवकुट मॉस, अण्डे, और बेकार सामग्री जैसे खाद आदि को संक्रमित इलाके से बाहर नहीं भेजना चाहिए और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उसे शीघ्र नष्ट कर देना चाहिए। संक्रमण फैलने से पूर्व क्रय की सामग्री, उपकरण, कुक्कुट आदि भी सम्मिलित हैं, को नष्ट कर देना चाहिऐं। कुक्कुट को नष्ट करके दबा देना चाहिए। नष्ट करने का प्रमाण पत्र स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से ले लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिऐ कि मृत कुक्कुट/अण्डे किसी भी स्थिति में संक्रमित क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुक्कुट प्रक्षेत्र में हुये नुकसान की भी भरपाई हो जाए। क्षतिपूर्ति के आकंलन के लिए उपरोक्त सभी कार्य जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि संक्रमण और अधिक न फैले कुक्कुट पालन फार्म के स्वामियों को चाहिए कि वह कुक्कुट प्रक्षेत्र में रखे गए कुक्कुटो के आवास को अच्छी तरह से बन्द करके रखें ताकि अन्य बाहरी या जंगली कुक्कुट फार्म में प्रवेश न कर पाएं।

कुक्कुट को नष्ट एवं निस्तारित करने के कार्य मे प्रयुक्त होने वाले उपकरण।

2.11 संक्रमित क्षेत्र का चिन्हीकरण करने के लिए लकड़ी के डण्डो पर लाल और सफेद टेप लगाकर संक्रमित क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जाए। कुक्कुट प्रक्षेत्र में आवाजाही का पता लगाने के लिए कीटनाशक गैस दवाईयां उपकरण, सीडेट, स्टन, नष्ट किये जाने वाले कुवकुट, उपयुक्त डिब्बा जो कि संक्रमित सामग्री को नष्ट करने के काम आये।

2.12 वह औषधियॉ जो ज्यादा कुक्कुटों को मारने के काम आये।

1. अल्फा क्लोरोलोज 2 से 6 प्रतिशत कुवकुट आहार में मिश्रित कर खिलाने से कुवकुट बेहोश हो जाएगें। और उन्हें प्लास्टिक के बैग में डालने पर सांस घुटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी।

2. सोडियम फेनोबारबिटल 80.मिली ग्राम को 55 मिली लीटर पीने के पानी में मिलाकर पिलाने से 4 घण्टे बाद कुवकुट बेहोश हो जाएगें।

2.13 लगभग 100 किलो मृत पक्षियों को जलाने के लिए 5 कुन्तल लकड़ी की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पक्षी पूरी तरह जल जायें। जहां जलाने की सुविधा न हो वहां पक्षियों को दफन किया जा सकता है। दफन करने के लिए 2 मीटर लम्बा और 2 मीटर चौडा तथा 2 मीटर गहरा गढ्ढा होना चाहिए। जिसमें एक साथ 300 पक्षियों को दबाया जा सकता है। अगर गढढे को एक मीटर और गहरा कर दिया जाए तो दोगुने मात्रा में पक्षियों को दबाया जा सकता है। अन्य सभी प्रयुक्त वस्तुएं भी इन पक्षियों के साथ दबा दी जा सकती हैं। समस्त मृत पक्षियों के उपर कैल्शियम हाईड्राआक्साइड डालने के उपरान्त 40 से0मी0 मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। यह कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए कि जिससे आवारा/जंगली पशु उसे खोद न सकें। उस गढढे पर निशान लगा देना चाहिए और पांच साल से पहले उसे खोदना/खोलना नहीं चाहिए।

संक्रमित सामग्री को नष्ट करने का तरीका

2.14 संक्रमित सामग्री को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

1. समस्त अनावश्यक सामग्री, जो कुक्कुट प्रक्षेत्र में मौजूद हो, को नष्ट कर देना चाहिए। कुक्कुट बीट, कुक्कुट उत्पाद, फूस चारा कुक्कुट पंख, अण्डे रखने की ट्रे आदि नष्ट कर देनी चाहिए। संक्रमित सामग्री की मात्रा के अनुसार कुक्कुट बीट को कुक्कुट के साथ ही दबा देना चाहिए। जहां कुक्कुट/कुक्कुट बीट को दबाया गया है वहां पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में संक्रमित कुक्कुट बीट फार्म से बाहर नहीं जाना चाहिएं।

2. समस्त कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद को उनके अवशेषों के साथ ही दबा देना चाहिए।

3. कुक्कुट द्वारा प्रयोग की गयी फूस/बिछावन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए।

4. कुक्कुट प्रक्षेत्र में उपलब्ध समस्त कुवकुट आहार एवं हरे चारे को भी नष्ट कर देना चाहिए।

5. सुरक्षा वस्त्र जो प्रक्षेत्र कार्मिकों द्वारा प्रयोग में लाये गये थे, को भी नष्ट कर देना चाहिए।

कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं उपकरणों की सफाई एवं कीटनाशक का प्रयोग

2.15 निम्नलिखित तरीकों को अपनाकार कुक्कुट प्रक्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों पर कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है।

1 कुक्कुट प्रक्षेत्र पर प्रयुक्त समस्त उपकरण जैसे अण्डो का भण्डारण कक्ष, पैकिंग कक्ष अण्डा ट्राली अण्डा उत्पादन प्रक्षेत्र, चूजा उत्पादन प्रक्षेत्र, आदि को कीटनाशक का सही ढंग से प्रयोग करते हुए जीवाणु रहित करना चाहिए। समस्त वाहन, जो कुवकुट अण्डों एवं कुवकुट चारा/आहार लाने ले जाने में प्रयुक्त होते हैं, को भी संक्रमण से मुक्त करना चाहिए।

2 कुक्कुट प्रक्षेत्र की समस्त दीवारों, फर्श, सीलिंग आदि पर भी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। और प्रक्षेत्र में, जो धातु के सामान जैस कुवकुट पिंजरा आदि को भी कीटाणु रहित करना चाहिए।

3 कुक्कुट प्रक्षेत्र के अन्दर उपलब्ध सभी उपकरणों आदि पर भी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए।

4 समस्त कुक्कुट आहार भण्डार (साइलो) को खाली करके उच्च दबाव युक्त पानी की बौछारों से धोना चाहिए। और कीटाणुरहित करने के लिए फियूमीगेशन करना चाहिए।

6 सभी उपकरणों को धो कर और कीटाणु रहित करने के बाद उसे दो सप्ताह में दो बार फियूमीगेशन करना चाहिए।

2.16 बर्ड फ्लू वाइरस को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त कीटाणुनाशको की सूची

1 रैक्टीफाइड स्प्रिट/सैवलोन/डेटोल (1 प्रतिशत घोल) का प्रयोग हाथ पांव धोने के काम आता है। उसका प्रयोग फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारिया एवं बाहर से आने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए।

2 सोडियम हाइड्रोआक्साड (2 प्रतिशत घोल) का प्रयोग फुट मैट जो कि प्रवेश द्वार पर होता है पर किया जाए । यह पदार्थ गमबुट को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है।

3 सोडियम हाड्रोक्लोराईट (2 प्रतिशत घोल) उपकरणों की सफाई के लिए किया जा सकता है।

4 क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट (4 प्रतिशत घोल) का प्रयोग दीवार फर्श सीलिंग और उपकरण की सफाई के लिए किया जा सकता है।

5 कैलिशयम हाईड्रआक्साईड (3 प्रतिशत घोल) दीवार और फर्श की सफाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

6 क्रिसोलिक एसिड (2.प्रतिशत घोल) फर्श की सफाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

7 सिन्थेटिक फिनाइल (2 प्रतिशत घोल) फर्श की सफाई के लिए।

8 विरकोंन एस (2 प्रतिशत घोल) उपलब्धता के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।

9 फार्मेलिन और परमैग्नेट का प्रयोग फ्यूमीगेशन के लिए किया जा सकता है।

स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना देना

2.17 बर्ड फ्लू संक्रमण के मनुष्यों में फैलने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए इसकी सूचना स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरन्त दी जानी चाहिए। संक्रमण के लक्षण मनुष्यों में पाए जाने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, निदेशक पशुपालन एवं सचिव पशुधन यह सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरन्त उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कुक्कुट प्रक्षेत्र पर कार्यरत कार्मिक जो कि संक्रमित कुवकुट एवं कुक्कुट उत्पादों की देख रेख में संलग्न हो का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। यदि कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिकों में बर्ड फ्लू रोग से सम्बंन्धित रोग के लक्षण दिखाई दे तो उनकी समुचित सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। समस्त प्रक्षेत्र कार्मिको को सुरक्षा वस्त्र एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नियमित रूप से करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने चाहिए।

विधिक व्यवस्थायें लागू कराना

2.18 समस्त पशुरोग नियन्त्रंण सम्बन्धी विधिक व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आधिकार मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/नगर पालिका अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आता है। समस्त विधिक व्यवस्थाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

कुक्कुट उत्पादक एवं कुक्कुट उद्योग के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान

2.19 निदेशक पशुपालन और सचिव पशुधन के स्तर से बर्ड फ्लू संक्रमण की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त इसकी सूचना तुरन्त समस्त क्षेत्रीय कुक्कुट उत्पादको एवं कुक्कुट उद्योग के संचालन कर्ताओं को दी जानी चाहिए। तथा समस्त कुक्कुट उत्पादक एवं कुक्कुट उद्योग कोविश्वास में लेकर नियमित अन्तराल पर बर्ड फ्लू के नियन्त्रणं हेतु आवश्यक उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उन्नतशील कुक्कुट पालकों कुक्कुट उत्पाद विक्रेताओं एवं स्थानीय सूचना तन्त्र को अवगत कराया जाए कि बर्ड फ्लू के नियन्त्रंण हेतु कार्ययोजना लागू की जा रही है। इससे सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन में समस्त सम्बंन्धित संस्थाओं का सहयोग सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा।

अधिकृत प्रवक्ता द्वारा मीडिया को सूचना देना

2.20 जनता में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से फैलने वाले भय को रोकने के लिए सही स्पष्ट व आवश्यक सूचना नियमित रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा मिडिया व प्रेस को दी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए राज्य सरकार को एक अधिकारी को नामित करना चाहिए। सूचना में मीडिया को चाहिए कि वह लोगो को सही जानकारी दें। और कुक्कुट उत्पाद के खान पान के बारे में सही जानकारी दें। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को इस विषय में प्रेस मिडिया के लिए वक्तव्य जारी करने से स्पष्ट रूप मना किया जाए। बर्ड फ्लू की प्रयोगशाला रिपोर्ट से पुष्टि होने पर संक्रमित कुवकुट को नष्ट करने का कार्यक्रम संचालित किया जाए तथा सरकार द्वारा इस कार्य को करने में कुवकुट प्रक्षेत्र स्वामियों को क्षति पूर्ति का भुगतान किया जाए। कुक्कुट क्षेत्र प्रबन्धकों से यह उम्मीद रखना गलत है कि वे बिना क्षति पूर्ति के सरकार की सहायता करेगे। क्योकि इस कार्य में उन्हें भारी नुकसान उठाना पडेगा।

अनिवार्य कुक्कुट नष्ट करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान करना

2.21 इस बात पर ध्यान दिया जाये कि कुक्कुट प्रक्षेत्र प्रबन्धकों को नष्ट किए गए कुक्कुट के बदले धनराशि का खर्च होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रोग पर लगाम लगायी जायें। राज्य सरकार को इस विषय पर तुरन्त निर्णय लेना चाहिएं। मुआवजे का दुरूप्रयोग न होने देने के लिए जिलाधिकारी को इस कार्य में लगाना चाहिए। खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए और मुआवजे की राशि देने के लिए यह जरूरी है कि कुवकुट की संख्या और अन्य सम्बन्धित आंकडें एकत्रित किये जायें। संदेहशील प्रक्षेत्र के 3 वर्ग कि.मी. के दायरे मे स्थापित समस्त कुवकुट प्रक्षेत्रों, में प्रस्तर 1.14 के अनुसार जांच रसीद देख लेनी चाहिए। किसी सहायता की अपेक्षा राज्य सरकार, द्वारा पृथक से की जाएगी। बर्ड फ्लू पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के लिए उन सभी पक्षियों को नष्ट कर देना चाहिए जो संदेहशील क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों जो संक्रमित कुवकुट हो उन्हें भी और जिन कुवकुट में अभी संक्रमण नहीं पाया गया हो पर उस संदेहशील क्षेत्र में आते हो, को भी नष्ट कर देना चाहिए। और कुक्कुट क्षेत्र प्रबन्धकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना चाहिए।

3 किमी क्षेत्र के कुक्कुट को नष्ट करना

2.22 बर्ड फ्लू के प्रभावी नियन्त्रंण के लिये आवश्यक है कि समस्त संक्रमित कुक्कुट/कुक्कुट उत्पाद नष्ट किये जाये। उन कुक्कुट को भी नष्ट कर दिया जाये, जो प्रत्यक्ष रूप से लक्षण प्रदर्शित न कर रहें हों। समस्त नष्ट किये गये कुक्कुट के लिये क्षति–पूर्ति की जायें।

जौविक सुरक्षा

2.23 बर्ड फ्लू को नियंन्त्रित करने का सबसे सही तरीका है कि जैव सुरक्षा को अपनाया जायें। निम्नलिखित जैव सुरक्षा के तरीके संक्रमित/संदेहशील कुवकुट प्रक्षेत्रों पर अपनाएं जा सकते है।

1 कुक्कुट प्रक्षेत्र के पक्षियों को घरेलू और जंगली कुक्कुट से दूर रखना चाहिएं। कुक्कुट प्रक्षेत्र के आस पास कोई पानी का खुला स्रोत नहीं होना चाहिए जिससे कि बाहरी पक्षी आकर्षित न हो।

2 कुक्कुट प्रक्षेत्र में एक स्थान पर एक उम्र के कुक्कुट ही रखे जाने चाहिए। सभी आए सभी जाएं का तरीका अपनाना चाहिए।

3 मनुष्यों की भीड़ को कम करने के लिए चाहिए कि कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिक सुरक्षित वस्त्र पहने, चेहरे पर मास्क लगाये, दस्ताने व गमबूट का प्रयोग करें। सक्रंमित कुक्कुट प्रक्षेत्र में बाहरी प्रक्षेत्र के कार्मिको की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। संक्रमित कुवकुट प्रक्षेत्र के कार्मिक कम से कम 3 दिन बाद ही किसी अन्य प्रक्षेत्र पर जाएं। कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिक प्रक्षेत्र छोंडनें से पहले वह अपने

आप को अच्छे से साफ कर ले, कीटनाशक का प्रयोग करे कपड़े और जूते बदलकर ही बारह जाये। इस बीच वह तीन दिन तक किसी अन्य कुवकुट प्रक्षेत्र या पक्षी विहार में न जाएं।

4 सम्पूर्ण कुक्कुट प्रक्षेत्र पर उपलब्ध उपकरण कुक्कुट आहार के बर्तन पीने के पानी के बर्तन कुक्कुट पिजंरे आदि की समय समय पर कीटनाशकों से सफाई की जाए। तथा दूसरे कुवकुट प्रक्षेत्र से कोई उपकरण न लाए और न ही उपयोग करने हेतु उपलब्ध कराए। अगर बहुत जरूरी हो तो पहले उस पर कीटनाशक का प्रयोग किया जाये और काम होते ही उसे तुरंत वापस कर दिया जायें।

टीकाकरण

2.24 टीकाकरण किये गये कुक्कुट सुरक्षित रहते हैं किन्तु संक्रमण फैला सकते है। अन्तर्राष्टीय पशु स्वास्थ्य संगठन (ओ0आई0ई0) के अनुसार बर्ड फ्लू फैलने का मुख्य कारण है कुक्कुट प्रक्षेत्र में पक्षियों की अधिक संख्या का होना है। बर्ड फ्लू से बचाव के लिये टीकाकरण करना एक बेहरत तरीका है। बर्ड फ्लू वाइरस के अनेक सबटाइप उपलब्ध होने के कारण यह निर्धारित करना कि किस सबटाइप वाइरस का टीका लगाया जाए एक अत्यन्त जोखिम भरा कार्य है।

2.25 समस्त सबटाइप वाइरस के टीके भण्डार में रखना भी एक अत्यंन्त मुश्किल कार्य है किन्तु वृहद टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने के लिए सब से अधिक पाए जाने वाले सबटाईप वाइरस के टीके का प्रयोग रिंगवैक्सीनेशन पद्वति के द्वारा किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि समेकित निगरानी प्रक्षेत्र, जो कि संक्रमित प्रक्षेत्र से 3 से 10 कि0मी0 की परिधि में हो टीकाकरण हेतु विस्तृत विवरण, संन्देहशील कुक्कुट की संख्या और टीकाकरण खुराक की आवश्यकता का विवरण पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना चाहिएं। पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय प्राप्त सूचनाओं से सतुंष्ट होने की स्थिति में बर्ड फ्लू वैक्सीन सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायेगा। सूचना मिलने पर पशु पालन डेरी एवं मत्स्य विभाग नई दिल्ली दवाइयों के मिलने से पूर्व ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी वह सारी तैयारियां करेगा जो कि आपात कालीन टीकाकरण में प्रयुक्त होती हो और एक मोबाइल टीम भी बनायेंगे।

2.25 टीकाकरण के तीन सप्ताह के बाद ही कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद को जो कि टीकाकरण में सम्मिलित थे, के उत्पाद को विपणन हेतु बाजार में लाया जा सकता हैं यह बात ध्यान देने योग्य है कि टीकाकरण केवल आपात स्थिति में ही किया जाये। यह एक नियमित कार्यवाही नहीं थी। टीकाकरण मात्र एक साधन नहीं है जिससे कुक्कुट प्रक्षेत्र में उत्पन्न बीमारियों को रोका जा सके। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि संक्रमित कुक्कुट को नष्ट कर देना चाहिये। जैव सुरक्षा के तरीकों का प्रयोग आदि द्वारा हम बीमारी को और अधिक फैलने से रोक सकते है। अगर टीकाकरण न अपनाया गया तो 4 सप्ताह तक बाजार में संक्रमित प्रक्षेत्र का कोई व्यापार नहीं होगा। जब तक कि सभी कुक्कुट जो कि संक्रमित प्रक्षेत्र के 3 वर्ग कि.मी. की परिधि में आते हो को पूरी तरह नष्ट न कर दिया जाए एवं निगरानी क्षेत्र जिसकी परिधि 3 से 10 कि.मी. की है में कोई नया संक्रमण दिखाई न दे।

निगरानी व्यवस्था और बर्ड फ्लू से मुक्ति

2.26 बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियन्त्रण कार्य–योजना का यह सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कुक्कुट उद्योग पर पड़ता है। एक बार अगर यह बीमारी किसी क्षेत्र में फैल गयी तो यह अपने साथ कुक्कुट एवं कुवकुट उत्पाद के व्यवसाय पर भी असर डालती है। अगर हमें कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद के व्यवसाय को साामान्य बनाए रखना है तो यह जरूरी हो जाता है कि जल्द–जल्द से रोग से निजात पा ली जए। समेकित निगरानी कार्ययोजना प्रभावी रूप से निगरानी क्षेत्रों में लागू की जाए। बर्ड फ्लू महामारी फैलने की स्थिति में निगरानी कार्ययोजना रोग के लक्षण

एवं वाइरस की उपलब्धता के आधार पर किया जाए। बर्ड फ्लू महामारी की पुष्टि होने की स्थिति में संक्रमण की मात्रा का पता सिरोसर्विलन्स के द्वारा लगाया जा सकता है। टीकाकरण नीति का प्रयोग बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है । इसमें संक्रमण की मात्रा का पता संक्रमण और टीकाकरण एन्टीबोडिज के द्वारा लगाया जा सकता है । संक्रमण और टीकाकरण के लिए संक्रमित क्षेत्र का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये। प्रत्येक पखवाडे में 0.5 प्रतिशत कुक्कुट का परीक्षण किया जाना चाहियें।

<u>जन–जागरूकता</u>

2.27 आम जनता में बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है इसमें वैज्ञानिक तरीकों द्वारा कुक्कुट उत्पाद को सही तरीके से तैयार कर खाने से भी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुक्कुट उत्पाद को 70 डिग्री सेलसियस में 30 मिनट तक पकाने से कोई भी कुक्कुट उत्पाद हानिकारक नहीं रहता है। यह बहुत आवश्यक है कि बर्ड फ्लू के संबन्ध में प्रयोगशाला ,द्वारा जारी की गयी नकारात्मक रिर्पोट को प्रेस व मीडिया को उपलब्ध कराया जाए।जन जागरूकता अभियानों में पत्रकार व मीडिया कार्मिको को भी आमंत्रित किया जाए और उन्हे समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।समस्त कुक्कुट उत्पाद संघ, राष्ट्रीय अण्डा समन्वय समिति तथा कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पाद परिसंघ का सहयोग लिया जाए। जनजागरूकता अभियोनों को संचालित करने के लिए केन्द्र सहातित योजना एस्क्रेड में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मद से वहन किया जाए।

3.0 संक्रमित प्रक्षेत्र के कार्मिकों हेतु सलाह

3.1 बर्ड फ्लू के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य नीति निर्धारित करना इस कार्य योजना के कार्य क्षेत्र से बाहर का विषय है। जिसे पृथक से जन स्वास्थ्य अधिकारियो द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किन्तुं यहां यह बात जानने योग्य है कि कुक्कुट प्रक्षेत्र पर काम करने वाले पशु चिकित्साधिकारी और अन्य कार्मिक, जो कि संक्रमित कुक्कुट को नष्ट करने और संक्रमित कुवकुट में कीटनाशक का प्रयोग करने का कार्य करतें है को तीन सप्ताह के लिए निरीक्षण में रखा जाए। समस्त कार्मिक, जो संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनको चाहिए कि वे सुरक्षित कपड़े पहने, चेहरे पर मास्क लगायें तथा गमबूट पहनें। जीवित संक्रमित कुक्कुट के सम्पर्क में आने से वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। संक्रमित कुक्कुट को नष्ट करने से ही आगे और अधिक संक्रमण को रोका जा सकता है।

<u>वृहद संक्रमित कुक्कुट को नष्ट करने वाले कार्मिको के बचाव हेतु संस्तुतियां</u>

3.2 संक्रमित कुक्कुट, कुक्कुट बीट, कुक्कुट प्रक्षेत्र की डस्ट एवं मिट्टी के सम्पर्क में आने से कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिक भी संक्रमित हो सकते है और इसलिए निम्नलिखित सावधानियां उन कार्मिको को बरतनी चाहिए, जो संक्रमित कुक्कुट को नष्ट करने या काटने का कार्य करते है।

1. कुक्कुट को नष्ट करने एवं जीवित कुक्कुट एवं कुकुट उत्पाद का परिवहन करने वाले कार्मिको को, निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं वस्त्र आदि दिये जाएं।

क. सुरक्षित वस्त्र एक एपरन जो कि उपर से नीचे तक ढका हो।

ख. डिस्पोजल दस्ताने।

ग. मुंह पर लगानें के लिए मास्क।

ध. चश्मा।

ड. टोपी

च. डिस्पोजेबल शू कवर

2. समस्त प्रक्षेत्र कार्मिक एवं अन्य व्यक्ति, जो कि संक्रमित कुक्कुट के संम्पर्क में आते है उनको चाहिए कि वे अपने हाथ कीटनाशक दवाई से धोयें जो कार्मिक कुक्कुट को काटने का काम करते है वह भी तुरन्त बाद किसी कीटनाशक साबुन से अपना हाथ धोएं।

3 स्वच्छ वातावरण भी उस इलाके में होना चाहिए।

4. समस्त कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिक, जो कि संक्रमित कुक्कुट को नष्ट करने या काटने का काम करते है समय समय पर अपनी चिकित्सकीय जांच स्थानीय जन स्वास्थ्य अधिकारियों से अवश्य करायें। यह सलाह दी जाती है कि इस समस्त प्रक्षेत्र कार्मिक जो कि संक्रमित प्रक्षेत्र पर कार्यरत है और जिनको सांस लेने के माध्यम से संक्रमण होने का खतरा है को बचाव हेतु स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से स्वास्थ्य परिक्षण कराना चाहिए। संक्रमित प्रक्षेंत्र के पारिवारिक सदस्यों की भी नियमित जॉच होनी चाहिए। संक्रमित प्रक्षेत्र के समस्त कार्मिको को सांस लेने में तकलीफ होने, ऑखों में जलन होने अथवा फ्लू इन्फेक्सन होने की स्थिति में गम्भीरता पूर्वक जॉच की जानी चाहिए।

5 समस्त संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र पर कार्यरत कार्मिको एवं पशुचिकित्सा विदों के लिए सीरोलोजिकल सरविलेंस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6 उच्च सु रक्षा पशुरोगनिदान प्रयोगशाला एवं अन्य पशु रोगनिदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से रक्त के नमूनों तथा शव विच्छेदन के उपरान्त लिए गए आन्तरिक अगों के नमूनों की विस्तृत जांच कर अन्य सम्भावित रोगों के संक्रमण का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए।

संक्रमित कुक्कुट के सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति हेतु सलाह

3.3 समस्त स्थानीय नागरिक जो कि संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र के निगरानी प्रक्षेत्र के अर्न्तगत रहते हैं को निम्नलिखित सावाधानियॉ अपनाने की सलाह दी जाती है।

(1) समस्त स्थानीय नागरिकों को चाहिए कि वह कुक्कुट बत्तख बटेर आदि से दूर रहें। तथा बच्चों को संक्रमित कुक्कुट के सम्पर्क में न आने दे।

(2) किसी भी मृत या जीवित कुक्कुट बत्तख या बटेर आदि से जब भी आप अपने किसी मित्र के घर जाएं तो भी इससे दूर रहने की कोशिश करे।

(3) उन सभी कुक्कुट प्रक्षेत्रों से दूर रहें जहां बीमार कुवकुट उपलब्ध हो।

(4) अगर कोई व्यक्ति संक्रमित कुक्कुट प्रक्षेत्र से आया है कि, उसे चाहिए कि वह अपने हाथ ठीक प्रकार से धोए और 4 दिन तक सामान्य तापमान में रहें। अगर उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगे तो उसे तुरन्त डाक्टर के पास ले जाएं।

(5) अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी कुक्कुट के सम्पर्क में हो और वह कुक्कुट बर्ड फ्लू से मर जाये तो तुरंन्त उस व्यक्ति को डाक्टर के पास ले जाना चाहिए।

संक्रमित क्षेत्र में बैक यार्ड में कुक्कुट पालन व्यवसाय करना

3.4 यह जरूरी है कि वह कुक्कुट उत्पादक जो घरेलू कुक्कुट उत्पादन में संलग्न है और संक्रमित क्षेत्र में आते है को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए।

(1). अगर किसी के पास कुक्कुट है या कुक्कुट से सम्बन्धित कोई भी प्रजति है तो उसे ज्ञान होना चाहिए कि जब उसे मारे या वह मर जाए तो क्या करना है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि जहां कुवकुट रखे जाते है, कैसे सफाई करनी है।

(2). अगर कोई व्यक्ति किसी कुक्कुट के सम्पर्क में आता है जैसे बटेर बत्तख इत्यादि तो उसे अपने को सुरक्षित करना चाहिए। चेहरे पर मास्क, चश्मा,बूट और दस्ताने पहनने चाहिए। अगर यह सामग्री उपलब्ध न हो तो वह अपना चेहरा किसी कपड़े से ढंग से ढक ले प्लास्टिक बैग से हाथ बांध लें आदि। इसके बाद ही वह किसी कुक्कुट को काटने का काम करें और बाद में उस जगह को साफ कर दे। बच्चो को कुवकुट से दूर रखें।

(3). वह क्षेत्र साफ हो जाये तो सभी सामान, जो प्रयोग में आया था उसे हटा दें और उसके बाद नहा लें । अपने कपड़े गरम पानी से धो ले और सूखा दें। दस्ताने प्लास्टिक बैग और दूसरी वस्तुओं को भी हटा दें। दोबारा प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तु को साफ कर ले और दोबारा अपने हाथ भी धो लें।

कुक्कुट गृह को जीवाणु रहित करना

3.5 निम्नलिखित सुझाव कुक्कुट गृह को जीवाणु रहित करने के लिए दिये जाते है।

(1) किसी भी कुक्कुट को काटने के बाद जगह को साफ कर लें।

(2) सफाई कार्य करने से पहले सभी सुरक्षित वस्त्र पहन लें।

(3) कुवकुट को काटते समय फैले कूडे करकट को इक्ट्ठा करके एक मीटर गहरे गढढे में दबा दें।

(4) पोल्ट्री ड्रोपिगंस को सावधानी पूर्वक उठाना चाहिये पोल्ट्री ड्रोपिगंस की डस्ट से आंखों में जलन हो सकती है।

(5) अधिक से अधिक पोल्ट्री ड्रोपिगंस को कुक्कुट गृह से उठा लेना चाहिये। तथा दूर सुरक्षित स्थान पर एक मीटर गहरे गडडे में दबा देना चाहिये।

(6) पूरी जगह को अच्छे डिर्जेंट से साफ कर लें।

(7) सभी प्रयुक्त वस्तुओं को उतार दे और दोबारा प्रयोग होने वाली वस्तुओं को किसी अच्छे डिटर्जेंट से धो लें।

(8) हाथो को साबुन और पानी से अच्छे से धो लें।

(9). पूरा नहाये सिर से पैर तक।

(10). ख्याल रखें और अपने शरीर को संक्रमित न करें। कुक्कुट को काटने के दौरान प्रयुक्त हुई वस्तु को अच्छे से गरम पानी और डिटर्जेट से धोये।

(11). कपड़ो को धूप में सुखायें।

(12) जो वस्तुएं दोबारा प्रयोग में आये जैसे रबड के दस्ताने आदि को गरम पानी व डिटर्जेट से धोयें।

(13) हमेशा अपने हाथ धोये जब कभी भी कोई कार्य करें।

।ददमगनतमरूव्दम

ज्ञप्ज for the Veterinary Officer

1) Paper and pens
2) Epidemiological inquiry form
3) Equipment necessary for the clinical visit and sampling procedures:

(a) 2 disposable suits
(b) 5 pairs of disposable shoe-covers
(c) 2 pairs of rubber gloves and 5 paris of latex gloves
(d) disposable caps and face masks
(e) paper tissues
(f) 5 leak proof containers
(g) 5 leak proof and water resistant plastic bags
(h) torch
(i) active disinfecrtant soultion
(j) 2 pens and a notepad
(k) 100 syringes 2.5 ml with needle
(l) 100 thin, small plastic bags
(m) 2 paris of surgical scissors
(n) 2 parirs of forceps
(o) tape
(p) 2 felt tip pens
(q) 1 thermic container (ice box)
(r) 5 frozen icepacks

At leat 3 sets of this kit should be available at the Distric headquarters always.

Annexure-Two

Kit for the Disease Investigation Officer

1. The following equipment:

(a) 1 thermic container (ice box)

(b) 4 pairs of forceps

(c) 2 paris of surgical scissors

(d) 1 knife

(e) tape

(f) labels and pens

(g) 100 syringes (2.5 ml) with needle

(h) sterile swabs

(i) 50 test tubes (with cork containing) virus transport media

(j) 10 leak proof containers

(k) 2 disposable suits

(l) 5 pairs of disposable shoe-covers

(m) 5 pairs of latex gloves

(n) disposable caps and face masks including goggles

(o) 10 black waste bags

(p) 50 rubber bands

(q) disinfectant solution

(r) cardboard container

2. The samples should be placed in isotonic phosphate buffered saline (PBS), pH7.0-7.4 containing antibotics.

Annexure: Three

AVIAN INFLUENZA EPIDEMIOLOGICAL INQUIRY FORM

Date	:	
Dr	:	
Phone number	:	
Name and Address of farm	:	
Phone	:	
District	:	
State	:	
Farm code or identification number		
Owner	:	
Address of the owner	:	
Phone	:	
Informationn provided by	:	
Farm Veterinarian Dr.	:	
Available in the farm	:	Yes/No

INFORMATION CONCERNING THE FARM

TYPE OF ESTABLISHMENT : Industrial /Rural/Dealer/Retailer

CATEGORY/PRODUCTION LINE : Table-egg layers/Meat birds

Type :

Grandparents :

Parents :

Pullest :

Meat-type (broiler) :

Layers :

NUMBER OF BIRDS AND SPECIES PRESENT

No. Date of Sex Age placing

Chickens Meat:

Breeders :

Layers :

Other :

HATCHERY OF ORIGIN

Company Hatchery : Yes/No

Company :

Address

Distric State

Phone Fax

Debeaking operation- Date :

Performed by: Family members/Employed staff/External staff/other

1.HOUSING SYSTEM

Deep litter : YES/No

Cage system : YES/No

Type of ventilation system : Natural/Natural with fans/Artificial

Bird proof nets : YES/No

Possibility of contact

with wild birds species : YES/No

Other birds present on site : YES/No

(captive or free) :

Species :

Presence of poundsor lakes : YES/No

Other water reservoires : YES (Specify)/NO

Presence of pigs : YES (Specify)/NO

Other animals : YES (Specify)/NO

Remarks

2. INFORMATION CONCERNING MOVEMENTS OF BIRDS

(A) Intoroduction of birds form other establishments/hatcheries/farms

(Twenty days before the onset of the firest clinical signs) Yes/No

Date No

Species Farm Hatchery

Name of Farm :

Address :

Distric :

(b) Introduction of birds form Exhibitions/ markets / fairs (Twenty days before the On set of the firest clinical signs) Yes/No

Date No Species

Origin : fair/Market/Exhibition

Distric :

(c) Exit of birds eggs to other farms/ Establishments/hatcheries/abattoirs

(In the time span between 20 days before the onset of the first clinical signs and the date the farm was put under restriction) Yes/No

Date No

Destinattion :

Other farm/Hatchery/Abattoir/Other Name of establishment:

Address :

District :

State :

(d) Exit of birds/eggs to other

Fairs/markets/exhibitions Yes/No

(In the time span between 20 days before onset of the first clinical signs and the date the farm was put under restriction)

Date :

Destination :

Fair/Market/Exhibition/Other

Address

District

3. INFORMATION CONCERNING MOVEMENT OF PEOPLE

(In the time span between 20 days before the onset of the first clicical signs ad the date the farm was put under restriction)

Yes/No

Date

Specify Veterinarian/Technician/Vaccinating crew

Debeaker/farmer/Dealer/Other

Address

District State

Phone number

Previously visited farm

NameDistrict

4.INFORMATION CONCERNING MOVEMENT OF VEHICLES

(A) Transport of animals (B) Transport of feed, (C) Transport of eggs, (D) Collection of dead animals, (E) Fuel/Gas (Other) specify.

(In the time span between 20 days before the onset of the first clinical signs and the date the farm put under restriction)

Date of entry Vehicel : AB//C/D /E/other

Name of company :

Fax/Phone number :

5a) INDIRECT CONTACTS WITH OTHER POULTRY ESTABLISHMENTS

Yes/No

(Sharing of equipment, vehicles, feed staff, etc. In the time span between 20 days before the onset of the firest clinical signs and the date the farm was put under restriction)

Date of contact :

Name of farm or establishment :

District :

shared vehicle/shared feed/shared

equipment / shared staff/ collection/

recycle of litter/other(specify)

5b) CONTACTS WITH OTHER FARMS OWNED BY THE SAME OWNER

Yes/No

Name of farm or establishment :

Address :

District :

Species farmednumber Empty/Full

5c) CONTACTS WITH POULTRY FARMS LOCATED NEAR OUTBREAK

Yes/No

Name of farm or establishment :

Address :

District :

Distance in metres :

Species farmed :

Number : Empty/Full

ANAMNESTIC DATA (Vaccination carred out etc.)

WEEKIY MORTALITY

NB. data concerning mortality rates recorded in the 6 weeks prior to the onset of clinical signs

WEEK FROM TO

NUMBER ANIMALA DEAD

Remarks:

Date of onset of AI clinical signs

Clinical signs observed by the farmer

TOTAL NUMBER OF BIRDS

Farm put under restriction (dead or alive) :

Number of ill birds (Farm put under restriction) :

Number f dead birds (Farm put under restriction) :

Number of birds depopulated

NB. this information must refer to the data collection when the farm has been put under restriction after confirmation of HPAI

6.VACCINATION OF BIRDS AND ADMINISTRATION OF DRUGS

Vaccination of birds is practised NO YES

Date of vaccination

Type of vaccine

Commercial name

Administration route

Live or inactivated

Vaccinating staff:

Family Employees External staff Other

Remarks

Administration of drugs/medicaments

In the last 15 days: Yes/No (Specify)

Staff who administered the medicament:

Family/Employees/External staff/Other

Remarks

7. CLINICAL INVESTIGATION PER SPECIES

Species

Depression

Respiratory signs :mild/severe Drop or cessation of egg laying

Oedema, cyanosis or cutaneous haemorrhages Diarrhoea

Nervous signs, OTHERS

8.GROSS FINDINGS

Rhinitis and sinusitis

Tracheitis catarrhal

haemorrhagic Aersacculitis Haemorrhages epicardium endocardium *proventriculus* ovarian follicles, Enteritis catarrhal *haemorrhagic* Pancreatitis Other:

Signature Date

Annexure III

AVAIN INFLUENZA Sample submission form

(As per OIE Reference Laboratory)

State District

Veterinarian

Phone Fax

Date Accession number

Farm

District State

Code or identification number

Owner

Complete address

Species and category

Broiler breeders No.

Layer breeders No.

Layers No. Broilers No.

Other species (specify) No.

Collection of sample

From Suspected outbreak/confirmed outbreak

Date of notification

Farm epidemiologically connected with outbreak

Name and code of farm of outbreak

Farm located in protection zone

Name and farm code of outbreak

Farm located in surveillance zone

Name and farm code of outbreak

Testing for the movement of animals

Monitoring programme.

Other

Anamnestic data

Species and category

Onset of clinical signs

Symptoms

% mortaclity (from..... /to.....)

Species Samples collected

No. samples for detection of Antibodies

No. samples for detection of virus

Sample indentificaiton

Signature :
Date :

4.0 जन–सामान्य हेतु सूचना

अब तक प्रदेश में बर्ड फ्लू का कोई प्रकरण सूचित नही है प्रदेश सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम व तैयार है, वन, पशुधन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुचित सतर्कता व निगरानी बरती जा रही है, किन्तु एहितियातन निम्नांकित सावधानियॉ बरती जानी आवश्यक होगीः–

1. बर्ड फ्लू से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में नियत्रंण कक्ष स्थापित है यदि आपके संज्ञान में कुक्कुटों की असामान्य मृत्यु अथवा व्यवहार की घटना आती है तो नियत्रंण कक्ष का सूचित करें, परन्तु भय वश अथवा अप्रमाणिक सूचना न तो दें और ना ही उससे प्रभावित हो।
2. पूर्ण रूप से उच्च तापमान पर पके हुए तथा साफ पोल्ट्री पदार्थो का ही सेवन करें, मृत पक्षियों का कदापि प्रयोग न करें तथा खान–पान व रहन–सहन में पूर्ण स्वच्छता रखें।
3. प्रवासी पक्षियों से दूरी बनाये रखी जाय।
4. बिना बर्ड फ्लू से सम्बन्धित कोई सूचना अथवा यदि कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो उसकी सूचना बिना छेड–छाड़ किये मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग को भी तत्काल दी जाय।
5. कुक्कुट फार्मो में स्थित वृक्षों की टहनियों की छॅटाई कर दी जाय, ताकि उन वृक्षों पर बाहरी पक्षी न बैठ सकें।
6. कुक्कुट फार्मो पर बाहरी व्यक्तियों तथा बाहरी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रखा जाय।
7. कुक्कुट फार्मो को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाये रखा जाय।
8. कुक्कुट फार्मो पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाय तथा उन्हें दस्तानें, बूट, फेसमास्क आदि का प्रयोग करने हेतु बाध्य किया जाय।
9. कुक्कुट फार्म के उपकरणों/जालियों एवं परिसर को स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
10. देश में बर्ड फ्लू की दस्तक को देखते हुए प्रदेश के समस्त कुक्कुट व्यवसायियों को हिदायत दी जाती है कि समस्त कुक्कुटों की गहन जॉच आवश्यक है, इस हेतु पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
11. कुक्कुट पक्षियों को जंगली पक्षी, विशेषकर प्रवासी पक्षियों के सम्पर्क में न आने दिया जाय।

कृपया उक्त के परिपालन में आप सभी का सहयोग वांछित है।

राज्य आपात पशु रोग नियत्रंण समिति
पशुपालन निदेशालय उत्तरॉचल

राज्य के मुर्गीपालकों द्वारा अपनायें जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय

1. बीमारी फैलने पर राज्य में स्थित सभी कुक्कुट फार्म प्रजनन फार्म बाहर से पक्षी व चूजों का आयात बन्द कर दें, यदि पूर्व के समझौतों से ऐसे आयात किए जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर ले कि आयातित किए जाने वाले स्थान में तीन माह पूर्व बर्ड के लक्षणों वाली कोई बीमारी नही हुई है।
2. कुक्कुट फार्मो में निर्धारित मानकों व नियमों व स्वच्छता का कड़ाई से पालन किया जाय।कर्मचारियों उपभोग सामग्री तथा वाहनों को कीटाणु मुक्त करने के पश्चात ही फार्मो के अन्दर आने दिया जाय।
3. सभी फार्म कार्मिकों को स्वच्छ सुरक्षात्मक पोशाक, गमबूट, दस्ताने तथा मास्क उपलब्ध कराये जाय।
4. कुक्कुट फार्म के अन्दर बाहरी व्यक्तियों/दर्शकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाय।
5. कुक्कुटों को स्वास्थ्य व निरोग रखने के लिए सभी सम्भव प्रयास जैसे टीकाकरण पारजीविक दवापान, मिनरल्स व विटामिन्स मिश्रण का प्रयोग आवश्यक है।
6. कुक्कुट में संक्रामक रोग पर नियत्रंण के लिए कड़े सुरक्षात्मक उपाय, साफ–सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय।
7. कुक्कुट के पंख, त्वचा, मॉस, हड्डी, खाद तथा अन्य अनुपयोगी अंगों का निस्तारण कीटाणुयुक्त दवाओं से उपचार करने के उपरान्त गहरे गड्डे में दबाकर करें।
8. एक कुक्कुट बाड़ा की वस्तुएँ व कर्मचारी दूसरे कुक्कुट बाड़े में संक्रमण मुक्त करने के पश्चात ही जाएँ।
9. सभी कुक्कुट फार्मो पर एक सुरक्षा टीम जो प्रतिदिन पक्षियों की जॉच एवं सुरक्षा सम्बन्धी जॉच कर संदेहास्पद मामलों को फार्म स्वामी और पशुपालन विभाग को तत्काल सूचित करें।
10. कुक्कुट में अप्रत्याशित मृत्यु दर, गर्दन का झुकना, लड़खड़ा कर चलना, दस्त आना जैसे लक्षण दिखने पर स्वस्थ्य कुक्कुट से अलग किया जाय।
11. बीमारी के लक्षण दिखने पर फार्म से कुक्कुट अण्डों एवं अन्य उत्पादों का क्रय–विक्रय बन्द कर दिया जाय। यह प्रक्रिया बीमारी के अन्तिम लक्षण दिखने के 30 दिन बाद भी लागू रहेगी।
12. विदेशों से आने वाली प्रवासी पक्षियों से इस रोग के संक्रमण की वैज्ञानिकों द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्न सुरक्षा अपनाने की आवश्यकता हैः–

- प्रवासी पक्षियों से दूरी बनायी जाय।
- प्रवासी पक्षियों से अपने पक्षियों को दूर रखा जाय।
- ऐसे पक्षियों का शिकार न किया जाय।
- कुक्कुट फार्म पर स्थित ऐसे वृक्षों की छॅटाई कर दी जाय जहॉ अन्य पक्षी बैठते हैं।
- कुक्कुट फार्म पर अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्तियों प्रवेश वर्जित किया जाय।
- कुक्कुट फार्म पर प्रवेश करने से पूर्व जूते व चप्पलों को फिनायल से साफ कर लें।
- फार्म पर स्वच्छता रखी जाय।
- वाहनों का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दिया जाय।

यदि उपरोक्त सावधानियॉ बरती जाय तो कुक्कुट में संक्रमण की कोई सम्भावना नही होगी। प्रवासी पक्षियों के ठहरने के स्थानों पर वन विभाग व पशुपालन विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। यहॉ पर यह भी बताना आवश्यक है कि बर्ड फ्लू रोग का विषाणु गर्म होने पर निष्क्रिय हो जाता है। अतः पका कुक्कुट मॉस सेवन हेतु सुरक्षित है।

बर्ड फ्लू के सम्भावित प्रकोप पर निगरानी एवं नियत्रंण हेतु सूचना प्रबन्ध तन्त्र

(Bird Flu Management Information System In Uttaranchal)

पशुपालन विभाग उत्तरॉचल

क0सं0	सूचना का स्रोत	पशुपालन विभाग के कर्मचारी / अधिकारी का पदनाम जिन्हें सूचना दी जानी है	अपेक्षित कार्यवाही
1.	कुक्कुट पालक, कुक्कुट यूनिट / प्रक्षेत्र के प्रबन्धक	निकटतम पशुधन प्रसार अधिकारी / कुक्कुट निरीक्षक / पशु चिकित्साधिकारी	पशुधन प्रसार अधिकारी / कुक्कुट निरीक्षक / पशुचिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे।
2.	कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद विक्रेता / उपभोक्ता एवं जनसाधारण	निकटतम पशुधन प्रसार अधिकारी / कुक्कुट निरीक्षक / पशु चिकित्साधिकारी	पशुधन प्रसार अधिकारी / कुक्कुट निरीक्षक / पशुचिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे।
3.	पशुधन प्रसार अधिकारी / कुक्कुट निरीक्षक / पशु चिकित्साधिकारी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / रोग निदान अधिकारी	सूचना प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर स्थलीय निरीक्षक एवं निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही।
4.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / रोग निदान अधिकारी	–	रोग प्रसार अधिकारी के साथ नमूने एकत्र करके उच्च सुरक्षा पशु रोग निदान प्रयोगशाला भोपाल को भेजेंगे।
5.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / रोग निदान अधिकारी	निदेशक पशुपालन / जिला अधिकारी एवं अन्य	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / निदेशक पशुपालन / जिलाधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी, जो कि राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी / तहसीलदार स्तर का हो को दूरभाष, फैक्स या ई–मेल द्वारा सूचित करें तथा विभिन्न प्रतिबन्धों को कार्य योजना के अनुसार प्रभावी रूप से कार्ययोजना के अनुसार प्रभावी रूप से लागू कराने में सहयोग प्राप्त करें।
6.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / रोग निदान अधिकारी	–	प्रभावित क्षेत्र को छोड़ने से पहले मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / रोग निदान अधिकारी को चाहिए कि वह स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी को अपने विधिक कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत बर्ड फ्लू निगरानी एवं नियत्रंण कार्ययोजना प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नामित किया जाय जो कि कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

बर्ड फ्लू के प्रमाणित होने की स्थिति में निगरानी एवं नियत्रंण हेतु सूचना प्रबन्ध तन्त्र

क्र0सं0	सूचना का स्रोत	पशुपालन विभाग के कर्मचारी / अधिकारी का पदनाम जिन्हें सूचना दी जानी है	अपेक्षित कार्यवाही
1.	उच्च सुरक्षा पशु रोग निदान प्रयोगशाला भोपाल से पुष्टि होने पर	निदेशक, पशुपालन विभाग एवं सचिव / प्रमुख सचिव, पशुधन	संक्रमित क्षेत्र के परिधि में लगभग 3 कि0मी0 तक के क्षेत्र के गॉव एवं उपनगरीय क्षेत्रों के नाम आदि चिन्हित कर सूचना तत्काल निदेशक पशुपालन एवं सचिव / प्रमुख सचिव पशुधन को प्रेषित की जाए ताकि संक्रमित क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने विषयक अधिसूचना जारी की जा सके। और वहॉ एक साईन बोर्ड लगाया जाए जिसमें यह अंकित हो कि 3 कि0मी0 वर्ग का इलाका बर्ड फ्लू के अन्तर्गत आता है। यह वहॉ की स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए।
2.	सचिव / प्रमुख सचिव, पशुधन	पशुपालन आयुक्त तथा संयुक्त सचिव (पशुस्वास्थ्य), पशुपालन डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	समस्त सम्बन्धित संस्थाओं (स्थानीय / केन्द्रीय) को बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायेंगे। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बर्ड फ्लू अधिसूचित क्षेत्र की जानकारी केवल पशुपालन डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
3.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / निदेशक पशुपालन एवं सचिव पशुधन	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी	संक्रमण के लक्षण मनुष्यों में पाए जाने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, निदेशक, पशुपालन एवं सचिव, पशुधन को यह सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरन्त उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कुक्कुट प्रक्षेत्र पर कार्यरत कार्मिक, जो कि संक्रमित कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों की देख–रेख में संलग्न हो का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। यदि कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्मिकों में बर्ड फ्लू रोग से सम्बन्धित दिखाई दे तो उनकी समुचित सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। समस्त प्रक्षेत्र कार्मिकों को सुरक्षा वस्त एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नियमित रूप से करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने चाहिए।

क0सं0	सूचना का स्रोत	पशुपालन विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी का पदनाम जिन्हें सूचना दी जानी है	अपेक्षित कार्यवाही
4.	निदेशक पशुपालन एवं सचिव पशुधन	समस्त क्षेत्रीय कुक्कुट उत्पादकों एवं कुक्कुट उद्योग के संचालन कर्ताओं	समस्त कुक्कुट उत्पादक एवं कुक्कुट उद्योग को विश्वास में लेकर नियमित अन्तराल पर बर्ड फ्लू के नियत्रंण हेतु आवश्यक उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए।
5.	सचिव पशुधन	प्रेस/मीडिया/समाचार पत्र	इस कार्य के लिए राज्य सरकार को एक अधिकारी को नामित करना चाहिए। सूचना में मीडिया को चाहिए कि वह लोगों को सही जानकारी दें। और कुक्कुट उत्पाद के खान पान के बारे में सही जानकारी दें। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को इस विषय में प्रेस मीडिया के लिए वक्तव्य जारी करने से स्पष्ट रूप से मना किया जाए।

उत्तरॉचल शासन
पशुपालन अनुभाग–1
संख्या–786 / गअ–1 / 7(50) / 2005
देहरादून : दिनांक 7 दिसम्बर, 2005
कार्यालय आदेश

विषयः– प्रवासी पक्षियों के आगमन से बर्ड फ्लू की आशंका के समाधान हेतु मार्ग निर्देश।

वर्तमान में उत्तरॉचल राज्य में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है तथा वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी सम्भावनाएँ व्यक्त की जा रही है कि यह पक्षी बर्ड फ्लू रोग के विषाणु के सम्वाहक हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी सूचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं। सम्भावित बर्ड फ्लू के नियत्रंण हेतु निम्न प्रकार राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है।

(क) राज्य स्तरीय समिति

1.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2.	सचिव, पशुपालन	सदस्य
3.	सचिव, स्वास्थ्य	सदस्य
4.	सचिव, वन	सदस्य
5.	उप कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त वि0वि0 के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रमुख वन संरक्षक	सदस्य
7.	महानिदेशक, स्वास्थ्य	सदस्य
8.	मुख्य वन जीव प्रतिपालक	सदस्य
9.	निदेशक, पशुपालन	सदस्य सचिव एवं संयोजक

(ख) जिला स्तरीय समिति :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव एवं संयोजक
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जनपद के समस्त प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

उपरोक्त समितियॉ राज्य में बर्ड फ्लू के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगी। जिला स्तरीय समिति के निम्न दायित्व होंगेः–

1. राज्य के कुक्कुट पक्षियों में उक्त रोग नहीं देखा गया है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में भ्रामक स्थिति पैदा न हो, सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिकृत सूचना का प्रसार होना चाहिए। इस हेतु जनपद स्तर पर प्रेस में सूचना देने के लिए जिलाधिकारी ही सक्षम होंगे। कोई भी अन्य अधिकारी इस विषय में प्रेस से वार्ता नही करेगा। समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी प्रत्येक सप्ताह अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से सूचना एकत्र कर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र के समस्त कुक्कुट पालकों व कुक्कुट व्यापारियों को बर्ड फ्लू के सम्बन्ध में गोष्ठियों एवं साहित्य के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्थिति कुक्कुट परिक्षेत्रों का समय–समय पर स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराते रहें।
4. प्रवासी पक्षियों की मृत्यु होने पर सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को सूचित करेंगे तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के सहयोग से मृत पक्षी की जॉच कराना सुनिश्चित करेंगे। जॉच हेतु उत्तरॉचल राज्य में स्थित पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं से भी सहयोग लिया जाये।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव

कृषि मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
P.M.A. Hakeem कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Ministry of Agriculture
Ministry of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

सचिव
भारत सरकार
Secretary
Secy. (ADF)/ 2005
Government of India

D.O.No. 4880/

Dated the 16th November, 2005

Dear Sir Ramachandran,

India is presently not affected by Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI). We have been carrying out active surveillance in poultry and other birds for the last four years. However, on-going outbreaks of highly pathogenic H5N1 in Asia and more recently in Europe have raised concerns about the source of infection , the risk to humans from various exposures and the probable start of an influenza pandemic if the virus mutates into a form that is highly infectious for humans. In view of the immediacy of the threat WHO/FAO/OIE (World Organisation for Animal Health) have recommended that all countries take urgent action to prepare for pandemic.

2. 'Animal Husbandry' is a State subject under the Indian federal structure. However, to assist in preparedness planning, this Department has developed an Action planin respect of HPAI. The draft Action plan was discussed in a meeting with the state Secretaries of Animal Husbandry organsied by the Government of India on 26th October, 2005 at New Delhi.

3. I am enclosing a copy of the Action plan developed by the Government of India. I would like to emphasise the following points for your personal attention :

(i) While we need to prepare for any eventuality, abundant caution should be exercised to ensure that our actions and words do not create a scare among the poultry producers and consumers as also the public at large. It needs to be emphasised that adequate surveillance measures are in place and there is presently no cause for worry regarding poultry health especially since more than 18,000 samples tested so far at the High Security Animal Disease Laboratory (HSADL) at Bhopal have tested negative for HPAI.

(ii) Several phase-wise opportunities to intervene exist moving from a pre-outbreak phase through suspicion of an outbreak to confirmation of an HPAI

outbreak and culminating in other bio-security measures till freedom from disease is established. The Action plan describes strategic actions that can be undertaken to capitalize on each opportunity to intervene. Control of the disease at source I.e. in birds is the principal way to reduce opportunities for spread of the disease and for possible human infection. Therefore disease intelligence, active animal surveillance and strengthening the Early Warning System in the pre-outbreak stage and total culling in prescribed radius in the out-break phase are critical. Random samples should be collected and forwarded regularly to the five Regional Disease Diagnostics Laboratories/HSADL, Bhopal especially from areas visited by migratory birds during period of migration. However, as explained in the Action plan, in case of any suspicion, it is of utmost importance that proper disease investigations are carried out and samples sent to HSADL, Bhopal without any loss of time.

(iii) Compensation is an issue that will impact on early and honest reporting of suspicion of disease in poultry as also the success of the culling operations. Therefore, it is advised that immediate and adequate compensation is paid for culled poultry as a confidence building measure in poultry producers. State Governments need to allocate sufficient resource to cover such compensation.

(iv) Prevention of activities and behaviours that expose other birds and the humans to virus is extremely important as explained in the Action Plan. Strategic action in this regard includes restriction of movement in notified zone, protective clothing, fogging use of dis-infectants etc. The State Governments should immediately ensure procurement and availability of protective clothing (for investigations/culling etc.), equipment (fogging machines etc.) training to veterinary staff, formation of Rapid Response Teams at appropriate levels (considering geographical size, size of poultry, influx of migaratory birds etc.) and an effective and sustainable system of monitoring at the State level

(v) HPAI requires co-ordinated action between different agencies viz. veterinary, health, forests, police, district administration, municipal and panchayat authorities etc. on a regular and sustainable basis. Collaboration between the animal health and the public health sectors is especially required to be strengthened. Mechanisms to ensure the same may be suitably designed and put in place by the State Governments.

(vi) On-going risk communication to industry and public especially rural residents (since backyard poultry is emerging as an extremely vulnerable

category) in needed to explain well-known and avoidable behaviours with a high risk of infection without causing panic and alarm.

(vii) Sufficient number of copies of the Action plan are being sent to Secretary/Director of Animal Husbandry of your state so that a few copies can be made available to the veterinary authorities of each district. However, steps will

have to be taken by the State Government for translation of the 'Action Plan' into regional languages and its printing so as to circulate to all the officials of Animal Husbandry Departments and other concerned agencies in the districts.

(viii) I shall be grateful if immediate action is taken on the above lines and I am apprised of the same.

With regards, Yours Sincerely,

(P.M.A.Hakeem)
Sri M.Ramachandran,
Chief Secretary,
Government of Uttaranchal,
Dehradun

No. 50-171/2005-LDTAQ
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 25th November, 2005

To,

1. The Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.
2. M/o Home Affairs (Home Secretary) North Block, New Delhi.
3. M/o Health & Family Welfare (Mr. Deepak Gupta, Addl. Secy.)
4. M/o Environment & Forest (Dr. R.B.Lal, Insp. Gen. Forest (WF) Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
5. All State Secretaries of Deptt. of Deptt. of Animal Husbandry (As per list attached)

Sir

Subject: AVIAN INFLUENZA

Access persons/points for communication with Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, Goverment of India.

It has been decided to nominate the following officers of this Department as Access persons/points for communication with this Department on issues concerning Avian Influenza.

S.No.	Name & Designation of the officer	Telephone No.
1.	Dr. A.B.Negi, J.C. (LH)	23384190 (O) 26183834 (R) 9871629926 (C)
2.	Dr. H.R.Khanna, L.O. (LH)	23381608 (O) 9811277860 (C)
3.	Dr. Rajiv Khosla, AQC Officer (Kapashera)	25063272 (O) 27419067 (R) 9810193241 (C)

The Information regarding suspicion of outbreak/outbreak of Avian Influenza or any other matter related with Avian Influenza may by conveyed to any of these officers at the numbers give above.
In addition, the telephone numbers of the following senior officers of this Department are also conveyed to facilitate communication:-

S.No.	Name & Designation of the officer	Telephone No.
1.	Shri P.M.A. Hakeem Secretary (ADF)	23382608 (O) 26883663 (R)
2.	Shri S.K. Bandhopadhyay, A.H.C.	23384146 (O) 26116128 (R)
3.	Smt. Upma Chawdhry J.S. (A&LH)	23387804 (O) 26115375 (R)

It is requested that the State Governments may also nominate Access Persons/points at State Level immediately. It may be ensured that the person (s) nominated as Access Persons/points can be contacted at any point in time in case of need. Their names and telephone numbers may please be conveyed by 29th November, 2005 to Mrs. Upma Chawdhry, JS (A&LH)
Material/updates on Avian influenza under title of Bird Flu are placed on Departmental website (dafd.nic.in). Please visit the website frequently.

(Upma Chawdhry)

Joint Secretary to
Government of India

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 116/XV–1/05/7(50)/2005

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, देहरादून दिनांक 19 फरवरी 2006

विषयः– एवियन इन्फ्ल्यूइन्जा (बर्ड फ्लू) से बचाव।

महोदय,

आप अवगत हैं कि महाराष्ट्र के नन्दूवार क्षेत्र में विगत दिनों बर्ड फ्लू से कुक्कुटों की मृत्यु हुई है तथा इस क्षेत्र के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सर्विलियन्यस (SURVEILLANCE) व रिंग वैक्सीन की कार्यवाही की जा रही है, इस घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश में एवियन इन्फ्ल्यूइन्जा को रोकने के लिए पूर्ण सतर्कता के साथ कार्यवाही की जानी है।

उपरोक्त संदर्भ में पशुपालन अनुभाग–1 संख्या 786/XV–1/7(50)/05 दिनांक 7 दिसम्बर, 2005 द्वारा राज्य स्तरीय समिति व जनपद स्तरीय समिति गठित की जा चुकी है तथा मुख्यत जिला स्तरीय समितियों के दायित्व निर्धारित कर दिये गये हैं। जिला स्तर पर मुख्य रूप से पशुधन, स्वास्थ्य व वन विभाग के समन्वय द्वारा कार्यवाही की जानी है। अभी तक जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 101 सिरम के नमूने तथा 04 विसरा के नमूने भ्पही ंमबनतपजल Animal Disease Laboratory (HSADL), Bhopal को भेजे गये थे, जो सभी नाकारात्मक आये हैं। किन्तु महाराष्ट्र की घटना को देखते हुए अब शीर्ष स्तरीय सतर्कता बरती जानी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश पत्र संख्या DO No. 50171/05-LDT(AQ) दिनांक 2 फरवरी 2006 की प्रति विस्तृत कार्य बिन्दुओं सहित आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

इससे पूर्व कार्ययोजना की प्रति आपको अपर निदेशक पशुपालन के पत्र संख्या 1416/बर्ड फ्लू/2005–06 दिनांक 26 नवम्बर 2005 द्वारा भेजी जा चुकी है। कृपया इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही अपने जनपद में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही कर ली जाय।

1. जिला स्तर पर एक नियत्रंण कक्ष की स्थापना कर ली जाय तथा नियत्रंण कक्ष 24 घण्टे कार्य करें, नियत्रंण कक्ष के दूरभाष नम्बरों की सूचना समस्त सम्बन्धितों को दी जाय।
2. एवियन इन्फ्लूइन्जा के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल निम्नांकित दूरभाष नं0 पर राज्य स्तरीय नियत्रंण कक्षों पर दी जाय।

अ) पशुपालन विभाग– 0135–2712891 (मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून)
0135–2453398 (उप निदेशक, पशुलोक)

ब) स्वास्थ्य विभाग– 0135–2720311 (महानिदेशक, स्वास्थ्य, देहरादून)

स) वन विभाग– 0135–2521244, 2644691 (मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक)

3. स्थिति की दैनिक समीक्षा जिला अधिकारी के स्तर पर की जाय।
4. जिला स्तर से पशुपालन व वन विभाग से पक्षियों के सिरम सैम्पल निरन्तर तथा

आवश्यकता पड़ने पर विसरा के सैम्पल तत्काल High Security Animal Disease Laboratory (HSADL), Bhopal को अविलम्ब भेजे जायॅ।

5. सिरम सैम्पल के परिणामों की निरन्तर समीक्षा की जाय।

6. स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से एवियन इन्फ्ल्यूइन्जा से बचाव हेतु विज्ञप्तियॉ जनसामान्य की जानकारी हेतु निरन्तर दी जाय, जिला स्तर पर यह कार्य जिला अधिकारी के स्तर पर ही किया जाय।

7. जनपद में स्थित व्यवसायिक कुक्कुट पालकों, स्थानीय निकाय तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी अधिकारियों/वैज्ञानिकों को भी इस अभियान में सम्मिलित किया जाय।

भवदीया
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव

संख्या 116/XV–1/05/7(50)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरॉचल।
2. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर–चमोली।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरॉचल।
5. मुख्य, वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरॉचल।
6. महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तरॉचल।
7. अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल शासन।
8. सचिव, पशुपालन एवं डेरी विभाग, उत्तरॉचल शासन।
9. सचिव, नगर विकास, उत्तरॉचल शासन।

आज्ञा से
(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्या 117 / व.ग्रा.वि. / 2005

प्रेषक,

विभापुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल
उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, देहरादून दिनांक 19 फरवरी 2006

विषयः– देश में बर्डफ्लू के सम्बन्ध में प्राप्त समाचार एवं तद्क्रम में प्रदेश में सतर्कता।

कृपया संलग्न कार्यालय आदेश संख्या **786 / xv-1/7(50)/ 2005** दिनांक 7.10.2005 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें बर्डफ्लू के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे और ये भी अपेक्षा की गई थी कि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जाय तथा मुर्गीपालकों को अपने पक्षी migratory birds से दूर रखने तथा उनके सम्पर्क में न लाये जाने पर बल दिया जाये।

समाचार माध्यमों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से विदित हो रहा है कि देश के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर मुर्गियों में बीमारी फैली है और सम्भवतः महाराष्ट्र प्रदेश प्रशासन ने सम्पर्क में आने वाली मुर्गिया नष्ट करने के निर्देश दिये हैं। पूर्व में निर्गत निर्देशों के कड़ाई से पालन, स्थिति की दैनिक समीक्षा व शासन को दैनिक रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक यथा आवश्यकता और साप्ताहिक रूप से अवश्य कर ली जाय।

पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए दैनिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(विभापुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक,उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ कि कृपया सभी वनाधिकारियों को इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कड़ी निगरानी रखने और जैसे ही कोई संधिग्ध स्थिति सामने आये इसकी सूचना जिलाधिकारी को देना और शासन को सूचित करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।,
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल को समस्त पशुचिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवगतार्थ।

(विभापुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या 432/756/–1/05/7(50)/2005

प्रेषक,

सचिव,
पशुपालन एंव डेरी विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

1. मण्डलायुक्त
कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तरांचल।

4. महानिदेशक,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल।

पशुपालन, डेरी एवं आबकारी देहरादूनः
दिनांक 19 फरवरी, 2006

विषय एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्डफ्लू) से बचाव।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या 116/गअ.1/05/07 (50) दिनांक 19 फरवरी, 2006 एवं पत्र संख्या 117/व0ग्र0वि0/2006 दिनांक 19 फरवरी, 2006 जो समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित तथा अन्य को पृष्ठांकित का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) से बचाव हेतु विभिन्न निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न व्यवस्थांए भी शीर्ष प्राथमिकताओं पर सम्पन्न की जाय।

1. प्रदेश स्तर पर संयुक्त नियन्त्रण कक्ष, सदर पशुचिकित्सालय परिसर, 12 डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में स्थापित किया गया है, जिसका विवरण निम्नांकित है।

अ) मुख्य प्रभारी, नियन्त्रण कक्ष– डा0 बी0पी0 भट्ट, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।

ब) टेलीफोन न0 0135–2712572

स) विभागीय अधिकारी की स्थिति जो नियन्त्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे –

पशपालन विभाग–01, स्वास्थ्य विभाग – 01, वन विभाग–01 यह नियन्त्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य करेगा।

2. जनपद स्तर पर अन्तर्राजीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रवेश मार्गों पर विशेष निगरानी की जायेगी। जिलाधिकारी इन मार्गों पर स्थित चौकियों पर तैनात चौकी प्रभारी विभिन्न विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का उपयोग करेंगे साथ ही यथा आवश्यक वन, पशुधन व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को भी तैनात करेंगे जो बाहर से आने वाले कुक्कुट पक्षियों के सम्बन्ध में निम्नांकित जानकारी पंजिका में अंकित करेंगे। यह पंजिका चौकी प्रभारी के नियन्त्रण में रहेगी।

3. उद्देश्य है कि प्रदेश में मृत एवं बीमार कुक्कुटों का प्रवेश बिल्कुल भी न हो।

कुक्कुट पक्षियों एवं उनके अण्डों के आयात के स्थान का पता	कुक्कुट पक्षियों एवं अण्डों के गंतव्य स्थान का पता	वाहन संख्या जिससे पक्षियों एवं अण्डों का परिवहन किया जा रहा है	कुक्कुट पक्षी या अण्डों पक्षियों की संख्या	कुक्कुट पक्षियों की प्रत्यक्ष रूप दिखायी दे रही स्थिति का पूर्ण विवरण	कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर

उक्त कार्यवाही के उपरान्त वाहनों को अनावश्क रूप से चौकी पर प्रतीक्षा न करायें जहां तक जनपद के अन्तर्गत कुक्कुटों के परिवहन का प्रश्न है इस पर भी आवश्यक रखी जाय।

4. जिला स्तर से फैक्स द्वारा सूचना निम्नांकित प्रारूप पर फैक्स संख्या 0135–2712810 पर प्रत्येक दिन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर से अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

जनपद में एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्डफ्लू) का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है हस्ताक्षर–अधिकारी / पदनाम / जनपद / दिनांक.....

अथवा

यदि सूचना सकारात्मक हो तो उसका पूर्ण विवरण तत्काल फैक्स द्वारा तथा नियन्त्रण कक्ष को टेलीफोन द्वारा दी जायेगी। (हस्ताक्षर–अधिकारी / पदनाम / जनपद / दिनांक.....)।

राज्य स्तर पर संयुक्त / केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष पर एक प्रभारी अधिकारी / विभागीय अधिकारी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / टेलीफोन व फर्नीचर की व्यवस्था मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून द्वारा की जायेगी।

5. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा महानिदेशक, स्वास्थ्य द्वारा एक–एक अधिकारी आठ–आठ घण्टे के लिए मुख्य नियन्त्रण कक्ष अधिकारी (मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून) को एक–एक अधिकारी एंव एक–एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 20 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न तक उपलब्ध करा देंगे।

6. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा महानिदेशक स्वास्थ्य अपने–अपने स्तर से भी विभागीय जिलास्तरीय अधिकारियों को विभागीय सतर्कता एवं व्यवस्थाएं निर्धारित करने के लिए कृपया स्पष्ट

निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

7. विशेष रूप से अन्तर्राज्जीय / अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों मे विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कृपया पत्र प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय
(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्या 432(1) / XV-1/ 05/ 7(50) /2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ कि जनपद स्तर पर टास्क फोर्स सचिव के रूप में समन्वय एवं व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।
2. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर–चमोली।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल।
5. उप सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल।
6. निदेशक, सूचना उत्तरांचल को प्रेस हेतु अतिरिक्त 15 प्रतियों सहित।
7. निजी सचिव, अपर सचिव, पशुपालन एंव डेरी विभाग, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9. सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कृपया अवलोकन कराने का कष्ट करें

Upma Chawdhry

संयुक्त सचिव
भारत सरकार,
कृषि मन्त्रालय
पशुपालन, डेयरी, और मत्स्यपालन विभाग
Joint Secretary
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry,
Dairying & Fisheries Krishi Bhawan, New Delhi- 110001
Dated the 2nd February 2006

D.O.No-50-171/05-LDT(AQ) Dated the 2nd February
Subject: Avian Influenza- Vaccination for Poultry-Requirements and protocol for Access and use.

An action plan for State Animal Husbandry Departments in respect of Bird Flu has been circulated by the Government of India. The Action Plan deals with strategic action to be taken in two situation viz. in case of suspicion of outbreak of Avian Influenza and in case outbreak of HPAI is confirmed. A Series of action Plan to be taken in case outbreak of HPAI is confirmed. Which have been dealt at part II of the Action Plan (from pages 12-27). Vaccination is a recommended strategy in case of outbreak of HPAI especially in a densely populated poultry area. Para 2.24 and 2.25 of Part II of the Action Plan (Pages 25-26) deal with vaccination. Ring vaccination may be carried out in the Intensive Surveillance Zone.i.e.8 to 10 km radius of the infected site. The State Government are advised to contact the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries if it is desired to carry out ring vaccine in the Surveillance Zone stating reasons for Vaccination, number of domestic avian species at risk number of doses required etc. If convinced, DADF may arrange to procure and dispatch appropriate Vaccines to the concerned District authorities.

A Central Strategic Reserve of H5 and H7 Vaccine has now been developed and is being maintained by the Government of India at Kapashera near Indira Gandhi International Airport. It is therefore considered necessary to lay down the procedure and process for accessing and using the Vaccine from the Central Strategic Reserves of Government of India by the State Government Accordingly a "Protocol For Access and Use of Vaccine for Avian Influenza" has been drawn up by this Department. Two Copies of the Protocol are enclosed with this litter.

The technical specification and other requirement concerning use of these vaccines are covered in this protocol for further dissemination to the Veterinarians especially the Rapid Response Team (RRTs) of Vaccinator so that in case of outbreak valuable time is not lost in famillarizing the members of the RRTs with such details in time of emergency. Presently the technical

specification/requirements of the H5 Vaccine are being conveyed. The technical requirements of the H7 vaccine will be conveyed subsequently. It is requested that the concerned Veterinarians and especially the Rapid

Response Team of Vaccinator are familiarized with the technical specification of the
Vaccine.

The Procedure and the process for accessing vaccines from the Government of India Reserve may please be perused and understood clearly for early activation in time of emergency.

with regards,
your's Sincerelly

(Upma Chawdhry)

Shri M. Ramchandran
Chief Secretary,
Government of Uttaranchal,
Uttaranchal Secretariat,
Dehradun-248001

Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Ministry of Agriculture
Government of India

PROTOCOL FOR ACCESS AND USE OF VACCINES FOR 'AVIAN INFLUENZA'

In developing country specific HPIA control strategies and programs, the board principal of targeting the disease at source of infection is to be applied. This is universally acknowledge as the most effective strategy. The disease control options include risk based surveillance, enhanced bloseccurity, control on movement of poultry, rapid humane culling of high risk poultry, strategic vaccination etc.

The global strategy supports the use of good quality vaccines. FAO and OIE have made recommendation for the use of OIE approved HPAI vaccines in accordance with the FAO/OIE guidelines (FAO position paper, September, 2004). Vaccination protects against clinical disease in chickens by reducing mortility and production losses.Vaccination of poultry also reduces the virus pool contamination the environment and thereby the risk of infection to poultry and humans. It increase resistance to infection and protects from diverse field viruses within the hemagglutinin subtype. Accordance to current OIE recommendation guidelines must be followed to ensure that the vaccine is being applied properly and monitored effectively.

It is important that the vaccination alone is not considered the solution to the control of Notified Avian Influenza (NAI), both Highly Pathogenic Notifiable Avian Influenza(HPNAI) and Low pathogenic Avian Influenza (LPNAI) sub type if eradication is the desired result, measures and depopulation in the face of infection in case of an outbreak, etc. Whereas Vaccination of commercial poultry farms can be carried out quite easily, vaccination of backyard, non confined poultry poses significant logistical and technical problems. Several country have adopted vaccination as a strategy in case of outbreak of HPAI. In countries vaccination practicing vaccination, the vaccination strategy was adopted mainly because the disease had spared widely throughout the smallholder poultry sector particularly yin production systems 2, 3 and 4(medium to low level of biosecurity) accompanies by high level of mortality. Given the large scale of infection and the limited capacity to mount large- scale surveillance. Stamping out and bio security measures, vaccination was considered as an important of the control strategic.

There is good evidence to show that this approach has served to significantly reduce losses due to HPAI.(Source : FAO/OIE)

The Governmnt of India has developed a Strategic Reserves of H5 and H7 vaccines being maintained as Kapashera, near Indira Gandhi International Airport, New Delhi. It is necessary to lay down the procedure and process for accessing/using the vaccines from the Central Strategic Reserves of Government of India by the State Government as also share information on other issues concerning cold chai, technical requirement for vaccine etc. Accordingly the protocol for Access and use of vaccines for Avian Influeza has been drawn up the Department. The Protocol has the following four parts:

i. Technical specification of vaccines available in the Central Strategic Reserves of GOI.
ii. Procedure to access vaccines.
iii. Requirements to be met by the State Government for receiving and utilizing vaccines.
iv. Related issues.

Part I - Technical specifications of vaccines available in the Central Strategic Reserves of GOI.

H5 and H7 vaccines are available in the central Strategic Reserves of Government of India.

I.1 Technical specification of H5 vaccines

1. Description :

It is an inactivated vaccine used to induce active immunity in chickens against. Avian Influenza type A, subtype H5. The virus is grown in embryonated eggs and is chemically inactivated. Subsequently the inactivated viral antigen is suspended in and aqueous phase and mixed with an oil phase to produce on emulsion to enhance immunity.

2. Composition :

Active component is the inactivated Avian Influenza virus type A, subtype H5N2, Strain A/ Chicken/Maxico. 232/94/CPA.

3. Indication

Nobills Influenza H5 in meant to be used for active immunization of healthy poultry as an aid the prevention of Avian Influenza type A, subtype H5.

4. Recommended Vaccination Program

All flocks including backyard poultry within 23-10 Kms radius should be immediately vaccinated with the inactivated Avian Influenza vaccine @ 0.5 mt per bird. Birds less than three weeks should be vaccinated@ 0.25 ml per bird subcutaneously in lower neck region. Booster Vaccination will be carried out after 4-6 weeks.

5. Dosage and Administration

The vaccine is liquid product ready to be used. shake well before use. The vaccine is administered subcutaneously into the lower back part to the neck. Use a dose of 0.50 ml for vials with 1000 doses and a doses of 0.25 ml for

vials containing 2000 doses. The present vaccine contains 1000 doses per 500 ml bottles.

6. Vaccination Reactions :

In healthy birds no clinical reaction to vaccination will be observed. After vaccination a slightly swelling may be felt at the site of vaccination. In the layers, drop in production may be seen due to the handling during this period.

7. Withdraw Period :
None.

8. Precautions and Warnings :
- Vaccinate healthy animals only.
- Shake well before using.
- Alllow the vaccine to reach ambient temperature (18^0 - 25^0 C) before use.
- Use the control within 3 hours after opened.
- Do not mix other Veterinary medicinal products.

9. Operator warning :

If accidental self administration (or bystander) occurs, a local reaction may be seen. It is recommended to seek physician's advice. Inform physician vaccine is inactivated and is water in oil emulsion.

10. Storage Conditons :
Store in refrigator between 4^0 to 8^0 c. Protect from sunlight. Don't freeze.

11. Technical Specifications of H7 Vaccine.

The Specification of the H7 vaccine will be conveyed subsequently.

Part III. Procedure to access vaccines :

1. In case of suspicion of outbreak, the pathological samples are to be collected as detailed in Para 1.10 of the Action Plan. These samples are to be dispatched to HSADL, Bhopal immediately . In situation of suspicion of HPAI

based on preliminary investigation the samples may be sent to HSADL, Bhopal directly and not to Regional Disease Diagnostic Laboratories (RDDL's). Information about dispatch of samples on suspicion of Avian Influenza must be given to Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India immediately. The contact persons are Dr. S.K Bandyopadhyay, Animal Husbandry Commissioner (Telefax No : 23384146, Ms Upama Chawdhry, Joint Secretary (Tel No 23387804 / Fax No : 23386115) and

Dr A.B. Negi, Joint Commissioner (Telefax No. 23384190).

2. In case the situation warrants, arrangements to fly the samples to Bhopal can be considered by Government of India. In such a situation the state will have to provide logistical details of place/district/area from where samples have to be flown out; co-ordinates viz.The longtitude/latitude of possible landing location; nearest town/centre of importance etc to enable landing of hellcopter. The laboratory at Bhopal will take sometimes to confirm the result. The period available between dispatch of sample and confirmation one way or the other by the Bhopal is to be utilised for certain actions including collection of data on poultry as already specified in Para 1.14 of the Action Plan. This data is to be collected both within the radius of 3 kms and between 3-10 kms radius of the infected farm (which will be the infected zone and the surveillance zone respectively in case of confirmation). This data collection in important for three reasons as below:

i. Determine size of poultry to be culled within a radius of three kms of the farm premises to assess requirement of cullers.
ii. Verify claims and payment of compensation for culled poultry within a radius of 3 kms of the infected farm.
iii. Quantity and assess requirement of vaccines and vaccinators in the 3-10 kms zone.

3. If the samples is confirmed as positive by the Bhopal Laboratory the State Government is to take action as per the details contained in Part II of the Action Plan.

4. Vaccination is one action that can be considered to control HPAI. The Action Plan for State Animal Husbandry Department in respect of bird flu, which was prepared and circulated by the Government of India considers vaccination as an option under para 2.24 and 2.25. The relevant paras are reproduced below :

2.24 Vaccinated birds may get protected against the disease but continue to spread the infection, OIE recommends that in case of an outbreak of HPAI in a densely populated poultry area, Vaccination can be one of the options to be adopted as a control policy. Since there are various subtype of influenza virus. It is difficult to predict involvement of a particular subtype and keep stocks ready.

However mass vaccination with the most commonly used strain in an inactivated vaccine in the entire surveillance zone as ring vaccination could be adopted. If it is desired that ring vaccination be carried out in the Intensive surveillance zone (i.e. 3 to 10 kms radius of infected site) the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries (DADF) Government of India may be contacted stating reasons for vaccination, no of domestic avian species at risk, no of doses required etc. If convinced, DADF may arrange to procure and dispatch appropriate vaccine to the concerned district authorities. Prior to receiving the vaccine, the district authorities should make all necessary arrangements for carrying out emergency vaccination including mobilisation of teams etc.

2.25 After a cooling off period of about three weeks, the poultry or products from the surveillance zone, which had undergone vaccination can be allowed to be treated outside the zone. It may be noted that vaccination is to undertaken only during hours of crists and not as a routing prophylaxis. It is emphasized that vaccination alone will not the sufficient to bring the outbreak in poultry under control. It must be used in conjunction with comprehensive strategy. i.e. culling of affected birds, strict bio-security, quarantine and other measures to prevent further spread of the disease. If no vaccination is adopted, trading could be resumed four weeks after all birds 3 kms are culled, provided no fresh case appeared in the surveillance zone between 3 to 10 kms.

5- If the state Government is of the opinion that vaccination is to be carried out in the in the intensive surveillance zone. i.e 3 to 10 kms radius of infected site, it may contact the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries , Government of India. The Government of India will require the following information :

a. Poultry numbers in the surveillance zone.
b. Species all poultry.
c. Doses required
d. Concentration of Poultry.
e. Type of poultry viz. organized/unorganised including backyard poultry etc.
f. Reasons for considering vaccination.

6. Based on the request of the state Government and the information so received the Government of India will decide the determine whether vaccination should be undertaken or not. Decision on vaccination will depend on the nature and severty of the outbreak the density and type of poultry population etc. If convinced of the need to vaccinate poultry in the surveillance zone, the Government of India will dispatch the appropriate vaccine to the concerned state/District authorities. The Vaccine will be carried by on officer of the Government of India and will be delivered by him at determined place to the designatd place to the designed of the State Government. The office of the

Government of Indea wikk also be in a position to brief the vaccine use, culling etc.

7. The Government of india will attempt to send the vaccine by air in case of emergency. Logistical details as already mentioned above will be required from the State Government in case vaccine are flown by air in emergency.

Part III Requirements to be met by the State Government for receiving vaccines and utilizing vaccine.

1. The Government of India will transport to vaccine in cold chain to the specified station. The vaccine will be packed in appropriate containers in ice-gel packs, which maintain the cold chain requirements for a certain period of time.

The cold chain has to be maintained thereafter till the vaccine is administrated. The state Government will have to ensure this and make adequate arrangemants for the same. The following equipment/ materials will be required for the maintenance of the cold chain at the site of delivery:

2. Refrigerator (a 320 litres capacity refrigerator will accommodate 400 vials of 500 ml. containing 1000 doses per vial).
3. Power back up.
4. Vaccine carries/Thermocol boxes.
5. Ice-gel packs/Ice for thermocol boxes/vaccine carries.
6. Vaccination Plan.

i. The State Government should have a plan for administering the vaccine so as to cover the area between 3-10 kms of the surveillance zone quickly and comprehensively. Vaccine compressively. Vaccine delivery system and campaigns should be carefully organized and monitored.

ii. The plan should developed under overall control and supervision of the district collector/Sub Divisional Officer with technical assistance of veterinarians.

iii. The plan should broadly consider the following points on the basis of the data, which is expected to be available with the District administration in terms of the exercise having been conducted as explained at part III. above.

a. Manner of coverage of 7 kms area.

As per practice, ring vaccination is to be done. i.e. vaccination is to start from periphery of surveillance zone,i.e 10 kms of infected farm premises. It will move inward from 10 kms to 3 km radius in stages.

b. No of vaccination teams required.
c. Availability of vaccination teams.

Sufficient number of teams of vaccinators should be available with required equipment. In case the need arises, the teams of vaccinators from neighbouring areas/districts should be rushed in immediately. Each team should have a designed coordination.

d. Equipment/ material required by the vaccination terms and its availability :

- PPE: As per letter No- 50-172/2005-LDT (AQ) dated 25 th November 2005 Government of India, two sets of PPE have been suggested viz. For direct handlers and other than directs handlers.
- Vaccinators/syringes Since the vial of H5 Vaccine is of 500 ml, it is advisable to use vaccinator where the vial can be fitted directly to the vaccinator.
- Vaccine carrier with cold chain maintenance : It is suggested that the state Animal Husbandry Departments can also seeks support if required of State Health Department which also have considerable experience in maintenance of cold chain in the immunisation programme.

iv. A system of communicating with vaccination teams should be developed and put in place immediately. If required , special permission can be giving to use mobile phones and the cost can be charged to the campaign. Alternate methods as per Geographical locations can be considered. Policy networks can also be used. It is important to establish a communication with vaccination teams in case mid course corrections are required and also for review/ monitoring etc.

v. Daily reporting and monitoring of vaccination through coordinator of the vaccination team is to be ensured.

vi. System of Identification of vaccinated birds, e.g. through colour marking is to be enforced to ensure that all birds are vaccinated. birds. i.e. through colour marking is to be enforced to ensure that all birds are vaccinated.

vii. Overall control and supervision, which should be vested in the District administration not lower than at level of the Sub-Divisional officer/collector with technical assistance of veterinarians is necessary.

viii. The movement of the vaccinator team should be clearly worked out assigning specific area to each team. The movement and operation of these teams should be closely monitored at the District/Sub-Divisional level under chairpersonship of the District collector/ Sub-Divisional offices.

PART IV Related Issues :-

1. Exit Strategy :The vaccine are to be used with a clearly defined objective linked to a time phased exit strategy. Vaccinations is not an end in itself and cannot be used indefinitely. There fore, and exit strategy has to be identified this will be done by the GOI in consultation with the State Government if vaccinations is introduced in a particular area.
2. DIVA and Sentinel birds: A strategy that is capable of differentiating infected from vaccinated has been recommended. At the flock level, a simple method is to regularly monitor sentinel birds left unvaccinated in each vaccinated flock (i.e. 3 per hundred of vaccinated birds) through this approach has some management problems particularly in identifying the sentinel birds for identifying the sentinels in large flocks for this purpose . It is suggested to use wing/leg bands in sentinel birds for identification. These sentinel birds need not to be sold so that sampling can be done from others birds on al later date.
3. Data maintenance requirements incase of outbreak of Avian Influenza control vaccination are large and enormous. Data is to be gathered for no of birds vaccinated.
4. It is necessary to maintain data of vaccination to differentiate between vaccinated and non vaccinated birds(eg. Sentinel birds) administration of second vaccination post-vaccination surveillance to measure the efficacy of the dose etc. It would be appropriate to maintain date village wise / Farm wise. Data maintenance should proceed simultaneously with vaccination. Therefore each vaccination team should

have a person charged with data collection and maintenance.

i. Monitoring - The monitoring of vaccinated flock is very necessary. After the vaccinations is carried out in the surveillance, following actions shall be taken.
ii. Clinical surveillance of vaccinated flock shall be maintained to report any morbidity / mortality , in which case sample will be sent to HSADL Bhopal.
iii. Surveillance shall be carried out by vaccinations teams, information will coordinate at sub divisional/district level through team coordinator. On a daily basis, Government of India will be kept informed.
iv. Serum samples shall be collected after 21 days to determine the immunity level in the vaccination flocks . The sample should be drawn at least @ 1% of total poultry population in the surveillance zone. The sample should be randomly taken so as it is representative of the surveillance zone and sent to HSADL Bhopal.
v. The second vaccination will be administered as per the requirement after 4-6 weeks. Similar process will be following as explained above for first vaccination.
vi. Thereafter clinical surveillance will be maintained in the surveillance zone. If the area remains free from any further outbreak for a period of 6 months the samples shall be collected and sent for testing before the area is declared free from the disease.

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का अभिप्राय

पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं को वर्ष भर उपलब्ध होने वाले पौष्टिक तथा अधिक उत्पादन देने वाली घासों के सम्बन्ध में चारा वैज्ञानिकों को 11 प्रजातियों को विकास एवं विस्तार के लिये उपयुक्त पाया हैः

1.1 टिम्प्रेट घासें – दोलनी घास, गुच्छी घास, राई घास, ब्रोम घास, अल्फाल्फा एवं सफेद कलोवर।

1.2 सब ट्रापिकल घासें – नैपियर, गुणी घास, सीता घास, स्ट्रायला, सेन्ट्रो तथा दशरथ घास।

2. उत्तरांचल में चारा घासों के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक मात्रा में घास बीज तथा रूट स्टाक/ कटिंग्स का अभाव है।

3. सम्पूर्ण राज्य में कार्यक्रम विस्तारित करने के लिए चारा घासों के बीज एवं रूट स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, कर्मचारी प्रशिक्षित हों तथा पशुपालकों को घासों की उपयोगिता के विषय में स्पष्ट जानकारी हो।

4. उत्तरांचल के प्रत्यके जनपद में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता अनुमन्य की गई जहां घासों के विकास के लिए आवश्यक निवेश, पैकेज ऑफ प्रैक्टीरोज तथा आधारभूत ढ़ांचा विकसित किया जाय, जो जनपद में न्यूविलयरा का कार्य कर सके।

5. सामूदायिक नियन्त्रण में होने के कारण वन पंचायतों को चारे के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के लिए उपयुक्त पाया गया है। प्रथम चरण में 10 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

6. चारा घासें अधिक उपज देय, पौष्टिक तथा बहुवर्षीय है। चारा उत्पादन 275 से लेकर 500 कुन्तल प्रति हैक्टेयर तथा चारे में प्रोटीन की मात्रा 7.5 से लेकर 12 प्रतिशत तक होती है।

7. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना का उद्देश्य घासों के प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा घास बीजों /रूट स्टाक का उत्पादन किया जाना है।

8. सेन्टर की स्थापना के पश्चात दूसरे वर्ष से विभिन्न घासों के लगभग 175 किग्रा0 घास बीज,200 कुन्तल रूट स्टाक/कटिंग्स तथा 1500 कुन्तल हरा घास प्रतिवर्ष उत्पादित होगा।

9. रूट स्टाक का उपयोग अन्य वन पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में विस्तार एवं विकास में किया जायेगा। सेन्टर से उत्पादित बीज तथा रूट स्टाक से प्रतिवर्ष 50 हेक्टेयर नए क्षेत्र में घासोंका विस्तार हो सके।

10. कृषक तथा पशुपालक भी इन घासों का विस्तार अपनी व्यक्तिगत भूमि से खेतों के मेढ़ों तथा भिंडोत्र पर कर सकेंगे।

वन पंचायत चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. वन पंचायत को गांव तथा आबादी के निकटतम होना चाहिए।
2. सड़क मार्ग से वन पंचायत की अधिकतम दूरी 1 किमी0 होनी चाहिए।
3. वन पंचायत की तुंगता (समुद्र सतह से ऊंचाई) 1000 से 2000 मीटर के मध्य होनी चाहिए।
4. चयनित क्षेत्र में भूमि ढ़लान 45 डिग्री से कम होना चाहिए।
5. चयनित क्षेत्र में उत्तरी, पूर्वोत्तरी तथा पश्चिमोत्तरी अभिमुख 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
6. चयनित क्षेत्र में चट्टानी भाग न्यूनतम (लगभग 20 प्रतिशत तक) होना चाहिए।
7. मृदा गहराई 20 सेन्टीमीटर से अधिक होनी चाहिए।
8. वृक्षों की संख्या 150 वृक्ष प्रति हेक्टेयर से कम होना चाहिए।
9. चयनित क्षेत्र में झाड़ियों का घनत्व (लगभग 100 झुरमुट प्रति हैक्टेयर से कम) होना चाहिए।
10. वन पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण दुग्ध सहकारी समिति कार्यरत एंव सक्रिय होना चाहिए।
11. चयनित क्षेत्र में जल स्रोतों की उपलब्धता को वरीयता देनी चाहिए।
12. वन पंचायत अविवादित होना चाहिये

चयनित वन पंचायत के सम्बन्ध में सूचनाएं।

- वन पंचायत का नाम।
- वन पंचायत के वर्तमान सरपंच का नाम एंव पता।
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम।
- वन पंचायत क्षेत्र/ग्राम में कार्यरत दृग्ध समिति/महिला सहकारी दुग्ध समिति का नाम व पता।
- उक्त दुग्ध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम व पता।
- विकासखण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम, जिससे वन पंचायत आती है।
- मुख्य मोटर मार्ग का नाम, जिस पर पंचायत स्थित हो (कृपया ऐसी वन पंचायतें चयनित करें, जो यथासंभव मुख्य मार्ग अथवा उसके सन्निकट स्थित हो)।
- वन पंचायत की निकटतम मोटर मार्ग से दूरी (किमी0)।
- वन पंचायत का कुल क्षेत्रफल।
- वन पंचायत की समुद्रतल से ऊंचाई।

चारे का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स कार्यक्रम

अनुमोदित बहुवर्षीय चारा घासें–

संकर नैपियर, सीता घास, गुणी घास, दीनानाथ घास– मानसून ग्रीष्म
दोलनी घास, राई घास, ब्रोम घास, गुच्छी घास–शीतकाल, ग्रीष्म

दलहनीय चारा –

स्टायलो, हमाटा, सेन्ट्रो, हेजलूसर्न (दशरथ घास)–मानसून, ग्रीष्म,
अल्फाल्फा बहुवर्षीय, सफेद क्लोवर– शीतकाल ग्रीष्म

सिन्धुतल से उपयुक्त ऊंचाई –

15 मीटर तक– संकर नैपियर, सीता, गुणी, दीनानाथ, स्टायलो, सेन्ट्रो, हेजलूसर्न (दशरथ घास)

1600 मीटर से अधिक – दोलनी, राई, ब्रोम, गुच्छी, अल्फाल्फा, सफेद क्लोवर।

अभिमुख प्रभाव –

1. उत्तरी, पूर्वोत्तरी, पश्चिमोत्तरी – शीतकालीन घासों के लिए उपर्युक्त।
   1200 मीटर की ऊंचाई भी शीतकालीन घासों के लिए उपयुक्त।
2. दक्षिणी, दक्षिण–पूर्वी, दक्षिण–पश्चिमी–मानसूनी घासों के लिए उपयुक्त।
   1700 मीटर की ऊंचाई भी मानसून घासों के लिए उपयुक्त।

रोपाई बीज बुआई का समय–

मानसूनी घासें – जुलाई में वर्षा प्रारम्भ से 30 अगस्त तक
सिंचाई व्यवस्था होने पर मार्च से जून तक
नैपियर घास– सिंचाई सुविधा होने पर सम्पूर्ण वर्ष

शीतकालीन घासें – नर्सरी तैयारी– मध्य सितम्बर से अक्टूबर तक सिंचाई सुविधा आवश्यक है।
घास रोपाई– शीतकालीन वष्र होने पर दिसम्बर से जनवरी तक।
रूट स्टाक रोपाई– जुलाई से अगस्त तक।

उन्नतशील जातियां –

संकर नैपियर– सी0ओ0– 1,2,3 पी.बी.एन. 83, 231, 233
एन.वी. 21, आई.जी.एफ.आर.आई. 3, 7, 10

रूट स्टाक/कटिंग्स की दर –

10 कुन्तल प्रति हेक्टेयर – 20 हजार कटिंग्स/रूट स्टाक 4 से 6 माह आयु के तने।

कटिंग्स की तैयारी – एक कलम – 25 सेन्टीमीटर लम्बी तथा 2 से 3 गांठ

पौधों/पंक्तियों की दूरी –

संकर नैपियर – 60 ग 60 सेन्टीमीटर – पर्वतीय क्षेत्र
अन्य घासें – 40 ग 50 सेन्टीमीटर – पर्वतीय क्षेत्र

रोपाई विधि –

एक गांठ मृदा के अन्दर, एक गांठ मृदा सतह, एक गांठ मृदा के ऊपर।

जैविक खाद –

150 से 250 कुन्तल कम्पोस्अ प्रति हेक्टेयर
75 कुन्तल प्रथम वर्ष
75 कुन्तल द्वितीय वर्ष
50 कुन्तल तृतीय वर्ष

सिंचाई –

प्राकृतिक वर्षा न होने पर 15 से 20 दिन के अन्तराल पर ।

हरा चारा कटाई –

रोपाई के 60 दिन पश्चात प्रथम कटाई।
अन्य कटाई –30 से 40 दिन उपरान्त।

उपयोग –

1. हरा चारा 2. साइलेज 3. हे (सूखा चारा)

विशेष निर्देश –

प्रथम बार रोपाई करने पर 4–5 वर्ष पश्चात नए सिरे से रोपाई आवश्यक है।

चारे के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापना से सम्बन्धित तकनीकी/विकास का वर्षवार कार्यक्रम

31 जुलाई से अक्टूबर :

- वन पंचायत के चयनित क्षेत्र की बायोफैन्सिंग, रामबांस, नागफनी, जैट्रोफा अथवा अन्य कंटीली झाड़ियों द्वारा।
- नैपियर, गुणी तथा सीता आदि घासों की रोपाई के लिए भूमि विकास,टिरैस तथा कन्टूर क्यारियों का निर्माण, रूट स्टाक तथा कलमों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- टिरैस, फरोज तथा क्यारियेां में जैविक खादों का प्रयोग, घासों की रोपाई,टिलेज तथा इन्टरकल्चर क्रियाएं सम्पन्न करना।
- शीतकालीन अल्पाइन घासों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, घासों की नर्सरी तैयार करना तथा नर्सरी के लिए सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- कृषकों तथा पशुपालकों को शीतकालीन चारा प्रशिक्षण।

ब– नवम्बर से मार्च –

- शीतकालीन अल्पाईन घासों की वन पंचायतों में रोपाई करने के लिए भूमि विकल्प टिरैस तथा कन्टूर क्यारियों का निर्माण करना।
- तैयार क्यारियों तथा टिरैसों में जैविक खादों का उपयोग।
- घासों की नर्सरी में इन्टरकल्चर क्रियाए निष्पादित करना।
- शीतकालीन वर्षा प्रारम्भ हो जाने पर नर्सरी से घास के पौधों की उखड़ाई तथा तैयार क्यारियों में उनकी रोपाई।
- रोपित अल्पाईन घासों में टिलेज तथा इन्टरकल्चर क्रियाएं सम्पन्न करना।

स– अप्रैल से जून –

- हरे चारे के लिए घासों की प्रथम कटाई।
- हरे चारे के लिए घासों की दूसरी तथा अन्य कटाई।
- वर्षा न होने की दशा में घासों की सिंचाई।
- घासों का बीज संग्रह करना।
- घासों का हे तैयार करना।
- कृषकों तथा पशुपालकों को मानसून घासों के कृषिकरण में प्रशिक्षण।

लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड का दायित्व

- राज्य में चारा एवं चारा विकास का उत्तरदायित्व।
- परियोजना का वित्तीय नियन्त्रण।
- स्टैक होल्उरर्स को चारा विकास में तकनीकी मार्गदर्शन।
- चारा विकास से सम्बन्धित राज्य के बाहर स्थित विभिन्न संस्थाओं से नवीनतम तकनीकी का आदान प्रदान।
- विभिन्न संस्थाओं से उन्नतशील चारा घासों के बीज/रूअ स्टाकों की व्यवस्था।
- प्रशिक्षणों का आयोजन।
- चारा साहित्यों का प्रकाशन।
- राज्य केन्द्र तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से चारा विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास।
- सूखे चारे का उपचारण, संसाधन, चारा बैंकों की स्थापना, कम्पैक्ट फीड ब्लॉक तथा तथा यूरिया–शीरा–खनिज भेजी का उत्पादन एवं वितरण।

दुग्ध संघ का दायित्व

- सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स विकसित करने का दायित्व, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक का होगा।
- पूंजी प्रवाह प्रबन्धक,दुग्ध संघ के माध्यम से होगा। प्रबन्धक को आवश्यक धनराशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा प्रदत्त किया जायेगा। वन पंचायतों में कार्यों का भुगतान प्रबन्धक दुग्ध संघ द्वारा किया जायेगा।
- वित्तीय नियन्त्रण के अतिरिक्त मासिक भौतिक7वित्तीय प्रगति का प्रेषण, आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव एवं आडिट कराना, प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक का दायित्व होगा।
- समिति के सदस्यों, कृषकों तथा पशुपालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
- अन्य वन पंचायतों, कृषकों तथा पशुपालकों की निजी भूमि से चारा घास विकास विस्तार के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करना।

वन पंचायतों का दायित्व

- सरपंच की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति का गठन। सदस्य सचिव जनपदीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक। समिति के अन्य सदस्य ग्राम प्रधान, ग्रामीण दुग्ध संघ के अध्यक्ष, सचिव, चारा विकास अधिकारी, दुग्ध संघ द्वारा नामित चारा अधिकारी तथा वन विभाग के प्रतिनिधि।
- श्रमिकों की व्यवस्था, तकनीकी कार्यों का क्रियान्वयन, श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण, मापन तथा मजदूरी का भुगतान कराना।
- पशुओं तथा अनाधिकृत रूप से क्षति पंहुचाने वालों से सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- उत्पादित चारे का ग्रामीणों में सःशुल्क वितरण करना।
- उत्पादित घास बीज तथा रूट स्टाक का भण्डारण, समूल्य वितरण तथा निकटस्थ वन पंचायतों, कृषकों तथा पशुपालकों में घासों का विकास तथा विस्तार।

चारा विकास अधिकारी का दायित्व

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स विकसित करने में चारा कर्मचारियों की अहम भूमिका और उनके दायित्व निम्न हैं –

- वन पंचायत का अन्तिम चयन, स्थलीय निरीक्षण तथा तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
- चारा विकास अधिकारी, क्रियान्वयन समिति के तकनीकी सदस्य हैं।
- स्थल चयन, बायोफैन्सिंग, भूमि विकास, मृदा कार्य, नर्सरी स्थापना, कृषिकरण क्रियाएं, टिलेज, इन्टरकल्चर, बीज उत्पादन, चारा उत्पादन, रूट स्टाक उत्पादन तकनीकी कार्यों के लिए उत्तरदायी।
- प्रबन्धक, दुग्धसंघ तथा वन पंचायत के सरपंच के साथ सेन्टर के विकास के सम्बन्ध में पूर्ण समन्वय।
- विभिन्न चारा घासों के बीज, रूट स्टाक तथा कटिंग्स की व्यवस्था।
- आवश्यक निवेशों तथा कृषि उपकरणों की व्यवस्था।
- घास बीजों, रूट स्टाक तथा कटिंग्स के पुनः विकास तथा विस्तार हेतु उनका उपयोग तथा पशुपालकों को तकनीकी सुझाव।
- यू0एल0डी0बी0 द्वारा वित्तीय सहयोग समाप्त हो जाने के पश्चात सेन्टर को तकनीकी सहायता प्रदान करते रहना।
- सेन्टर के आय अर्जन हेतु विविध आर्थिक स्रोतों का विकास करने में सहायता करना।

चारे के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का प्रबन्धन

1. केन्द्र के स्थापना अवधि में प्रथम 03 वर्ष तक यू0एल0डी0बी0 द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रहेगी।
2. इस अवधि में सभी केन्द्रों को अपने वित्तीय संसाधन अर्जित करने होंगे ताकि 03 वर्ष पश्चात केन्द्र के रख–रखाव तथा अनुरक्षण में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
3. प्रत्येक केन्द्र को वित्तीय संसाधन अर्जित करने के स्रोत :–
   - 3.1 हरे चारा का विक्रय – रू0 75 से 100 प्रति कुन्तलं
   - 3.2 बहुवर्षीय घासों के रूट स्टाक तथा कटिंग्स का विक्रय – रू0 225 प्रति कुन्तल।
   - 3.3 सूखी घासों का विक्रय – रू0 250 से 300 प्रति कुन्तल।

4. वन पंचायत के सरपंच को एक संयुक्त खाता खोलना चाहिए, जिसमें अर्जित धनराशि जमा की जाती रहेगी। अर्जित धनराशि का उपयोग 03 वर्ष पश्चात अनुरक्षण में उपयोग किया जाय।
5. केन्द्रों को एक माली/चौकीदार की व्यवस्था करनी चाहिए।
6. यू0एल0डी0बी0 द्वारा वित्तीय अवधि समाप्ति के उपरान्त भी चारा विकास अधिकारियों के माध्यम से तकनीकी सहायता जारी रहेगी।
7. सभी केन्द्र चारा घासों, विशेषकर संकर नैपियर के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार करते रहेंगे ताकि दूसरी वन पंचायतें तथा कृषक/पशुपालक चारा विकास कार्यक्रम अपनाते रहें।
8. सेन्टर को एक प्रदर्शन/प्रशिक्षण/उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रत्येक समय प्रयास किये जाने चाहिए।

चारे का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स

संशोधित व्यय विश्लेषण प्रति हेक्टेयर (प्रथम वर्ष)

क्रमांक	कार्य एवं मद विवरण	मात्रा	लागत(रू0)	विशेष
1	सुरक्षा बाढ़		4125.00	
	• रामबांस	400 बलबिल्स	700.00	श्रमिक एंव बलबिल्स
	• कंटीली झाड़ियां	200 मीटर	150.00	श्रमिक
	• कंटीले तार द्वारा	200 मीटर	1800.00	कंटीले तार
		श्रमिक व्यय	1425.00	लकड़ी के पोल की वन पंचायत से कटाई, तार फिक्सिंग
2.	मृदा विकास कार्य		11475.00	
	• अनावश्यक झाड़ियों तथा खरपतवार की सफाई		750.00	श्रमिक पर व्यय
	• टिरैस/कन्टूर खत्ती निर्माण	संख्या – 2000		लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र मृदा विकास, टिरैस निर्माण आवश्यक है।
	• कृषि कार्य –खुदाई समतलीकरण, मेड बनाना, कंकरीटों की सफाई	900 घन मीटर	10725.00	
3	बीज/रूट स्टाक मूल्य, परिवहन एवं रोपाई		4375.00	
		10 कुन्तल रूट स्टाक, परिवहन व्यय, रोपाई व्यय तथा नर्सरी व्यय	2250.00	रू0 225.00 प्रति कुन्तल
			600.00	रू0 60.00 प्रति कुन्तल
			1525.00	शीतकालीन घास नर्सरी तथा 20 हजार रूट स्टाक
4	इन्टर कल्चर		3000.00	
	• प्रथम इन्टरकल्चर	श्रमिक पर व्यय	1800.00	रोपित घास से खरपतवार की सफाई, निराई तथा गुड़ाई
	• द्वितीय इन्टरकल्चर	श्रमिक पर व्यय	1200.00	
5	कम्पोस्ट/जैविक खाद	75 कुन्तल	3000.00	खाद का मूल्य तथा परिवहन पर व्यय
6	कृषि उपकरण एवं आकस्मिक व्यय		3025.00	बोर्ड का निर्माण एवं कृषि उपकरण क्रय
		योग	29000.00	

चारे का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स

संशोधित व्यय विश्लेषण प्रति हेक्टेयर (द्वितीय वर्ष)

क्रमांक	कार्य एवं मद विवरण	मात्रा	लागत (रू0)	विशेष
1	कम्पोस्ट/जैविक खाद	75 कुन्तल	3000.00	खड़ी फसल से कम्पोस्ट का छिड़काव, मूल्य तथा परिवहन
2	गैप फिलिंग • क्षतिग्रस्त टिरैस की मरम्मत • रूट स्टाक द्वारा गैप फिलिंग • सुरक्षा बाढ़ की मरम्मत	15 से 20 प्रतिशत कार्य	3500.00	वास्तविक आंकलन के पश्चात अनुरक्षण किया जाय।
3	इन्टर कल्चर	तीन बार	2500.00	जुलाई, सितम्बर, जनवरी
4	कृषि उपकरण तथा आकस्मिक व्यय		1000.00	निवेश सम्बन्धी विविध का